

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2026

सं. 05/2026-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 919(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 नवंबर, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 14क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“14ख. धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल की पूर्ति करने वाले प्रदायकर्ताओं के लिए विकल्प— (1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नियम (9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, किसी ऐसे अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जहां उस व्यक्ति की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थित भांडागार को कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित करके, उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त कर सकेगा, अर्थात्:—

- (a) वह व्यक्ति ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल की पूर्ति करने का आशय रखता है, जो अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित है ;
- (b) वह व्यक्ति यह अवधारित करता है कि उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई ऐसी पूर्तियों पर केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर तथा एकीकृत कर से मिलकर बनने वाला कुल आउटपुट कर दायित्व प्रतिमास दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है ;
- (c) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उस भांडागार को कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित करने के लिए सहमति देता है।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का आशय रखता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन करेगा और किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘गृह राज्य’ कहा गया है), जहां उस व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति है, अपने स्थायी लेखा संख्यांक पर अभिप्राप्त माल और सेवा कर पहचान संख्यांक घोषित करेगा।

(3) आवेदक, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जहां वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का आशय रखता है, इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के भांडागार का पता और विशिष्टियां कारबार के मुख्य स्थान के रूप में तथा उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसी या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के किसी अन्य भांडागार का पता और विशिष्टियां कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में देगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन, संबंधित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को, यथास्थिति, कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में भांडागार की घोषणा के लिए उसकी सहमति संसूचित करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(5) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक सात कार्य दिवस के भीतर अपनी सहमति दे सकेगा और जहां उस अवधि के भीतर सहमति नहीं दी जाती है, वहां आवेदन पर आगे कार्यवाई नहीं की जाएगी।

(6) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक से सहमति की प्राप्ति पर, आवेदन, गृह राज्य के अधिकारिता वाले अधिकारी को बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अग्रेषित किया जाएगा, यदि वह पहले सफलतापूर्वक नहीं किया गया है।

(7) अधिप्रमाणन और सत्यापन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, अधिकारी गृह राज्य में कारबार के मुख्य स्थान के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही करेगा।

(8) भौतिक सत्यापन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, रजिस्ट्रीकरण इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदान किया जाएगा।

(9) जहां आवेदक बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन और दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करने में असफल रहता है, वहां आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(10) जहां भौतिक सत्यापन पर यह पाया जाता है कि आवेदक गृह राज्य में कोई कारबार नहीं करता है, वहां :

(क) आवेदन नामंजूर किया गया समझा जाएगा;

(ख) नामंजूरी की सूचना प्ररूप जीएसटी आरईजी-05क में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(11) यदि समुचित अधिकारी, बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् आवेदन निर्देश संख्यांक के सृजन की तारीख से तीस दिन के भीतर भौतिक सत्यापन करने में असफल रहता है, तो आवेदन अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।

(12) जहां बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन और परिसर के भौतिक सत्यापन के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् गृह राज्य में कारबार के मुख्य स्थान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, वहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक से सहमति की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदान किया जाएगा।

(13) नियम 10 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण, इस नियम के अधीन प्रस्तुत आवेदन को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा।

(14) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में, कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान, यदि कोई हो, के रूप में घोषित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के भांडागार के, तथा गृह राज्य में, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति है, कारबार के मुख्य स्थान के पते के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

(15) कोई व्यक्ति, जिसने गृह राज्य में नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और जो उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का आशय रखता है, इस नियम के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व, नियम 14क के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण करने के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(16) जहां कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के भांडागार के पते में कोई संशोधन होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में संशोधन के लिए आवेदन करेगा और इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की सहमति से संबंधित उपनियम (4) के उपबंध लागू होंगे तथा ऐसी सहमति की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के, यथास्थिति, कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के अतिरिक्त स्थान का पता तदनुसार संशोधित हो जाएगा।

(17) जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को दी गई सहमति प्रत्याहृत कर लेता है, वहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक प्रत्याहरण की सूचना सामान्य पोर्टल पर देगा।

(18) जहां उपनियम (17) के अधीन सहमति प्रत्याहृत कर ली गई है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सहमति के प्रत्याहरण की ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के अतिरिक्त स्थान के ब्यौरों में परिवर्तन करने के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की सहमति से संबंधित उपनियम (4) के उपबंध लागू होंगे।

(19) जहां परिवर्तन, कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के अतिरिक्त स्थान के पते से भिन्न रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित है, वहां नियम 19 के उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस सीमा तक संशोधित हो जाएगा जिस सीमा तक उसके लिए आवेदन किया गया है।

(20) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, समुचित अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर, नियम 56 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित लेखा बहियां, अभिलेख या अन्य सूचना या दस्तावेज देगा।

(21) नियम 56 के उपनियम (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसने इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यथा घोषित अपने कारबार के मुख्य स्थान पर लेखे और अन्य अभिलेख, इस नियम के अधीन अभिप्राप्त प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिए, गृह राज्य में अपने कारबार के मुख्य स्थान पर रखेगा और अनुरक्षित करेगा।

(22) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना की व्यवस्था करने और उसे उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करेगा।

(23) जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उसके कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित किसी भांडागार से उसके माध्यम से माल की पूर्ति करने के लिए दी गई अनुमति प्रत्याहृत कर लेता है और जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने

अनुमति के प्रत्याहरण की तारीख से तीस दिन के भीतर उपनियम (16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के व्यौरों के संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान के व्यौरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से हटा दिए जाएंगे।

(24) (क) इस नियम के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द किया गया समझा जाएगा और इसकी सूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-38 में दी जाएगी, जहां :

(i) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित किसी भांडागार से माल की पूर्ति करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को दी गई अनुमति प्रत्याहृत कर लेता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण, जिसके अंतर्गत धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए सहबद्ध रजिस्ट्रीकरण भी है, रद्द कर दिया गया है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, अनुमति के प्रत्याहरण या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर उपनियम (18) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के व्यौरों के संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया है ;

(ii) गृह राज्य में अभिप्राप्त वह रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसे इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए घोषित किया गया था ;

(iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित पते के परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का आवेदन अनुमोदित कर दिया गया है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे परिणामस्वरूप अपने रजिस्ट्रीकरण का संशोधन करना अपेक्षित है, ऐसे अनुमोदन के तीस दिन के भीतर अपेक्षित संशोधन आवेदन फाइल करने में असफल रहा है।

(ख) उपनियम 19 और नियम 22 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 20 के उपनियम (14), उपनियम (15), उपनियम(16), उपनियम(17), उपनियम(18), उपनियम(19) और उपनियम(20) के उपबंध, इस उपनियम को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

(25) कोई व्यक्ति, जिसने इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और जो उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण करने का आशय रखता है, भौतिक उपस्थिति के सबूत के रूप में कारबार के मुख्य स्थान के व्यौरों के साथ, सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 में फाइल करेगा।

(26) नियम 14क के उपनियम (5), उपनियम (6), उपनियम (7), उपनियम (8), उपनियम (9), उपनियम (10), उपनियम (11), उपनियम (12) और उपनियम (13) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, उपनियम (23) के अधीन किए गए आवेदन को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(27) नियम 18 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति से इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के भांडागार के नाम पटल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और माल और सेवा कर पहचान संख्यांक प्रदर्शित करना अपेक्षित नहीं होगा।

(28) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जिसने आधार संख्या के अधिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है, इस नियम के निबंधनानुसार रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने का पात्र नहीं होगा।

(29) नियम 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर अन्य रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का पात्र नहीं होगा ;

3. मूल नियमों में,

(i) नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"नियम 19. रजिस्ट्रीकरण में संशोधन.- (1) जहां प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप में या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संविचरणा करदाता द्वारा दी गई सूचना में या प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 में विशिष्ट पहचान संख्यांक में या प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में नामांकन संख्यांक में, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन या विशिष्ट पहचान संख्यांक अभिप्राप्त करते समय, दी गई किन्हीं विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है, वहां, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या विशिष्ट पहचान संख्यांक रखने वाला व्यक्ति या नामांकन संख्यांक रखने वाला व्यक्ति, ऐसे

परिवर्तन के घटित होने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।-

(2) (क) जहां परिवर्तन प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-09 में या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संविरचना करदाता द्वारा दी गई सूचना में यथा दिए गए कारबार के मुख्य स्थान के ब्यौरों से या प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 में यथा दिए गए भारत में प्रतिनिधि के कारबार के स्थान से या उस अस्तित्व से, जिसकी बाबत प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 में विशिष्ट पहचान संख्यांक चाहा गया है, या प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में यथा दिए गए वृत्तिक पते से संबंधित है, वहां, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या विशिष्ट पहचान संख्यांक रखने वाले व्यक्ति या नामांकन संख्यांक रखने वाले व्यक्ति द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन और साथ के दस्तावेज, परीक्षा के लिए समुचित अधिकारी को अग्रेषित किए जाएंगे।

(ख) जहां परीक्षा करने पर, आवेदन और साथ के दस्तावेज ठीक क्रम में पाए जाते हैं, वहां समुचित अधिकारी, आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, आवेदन का अनुमोदन करेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-15 में इलेक्ट्रानिक रूप से आदेश जारी करेगा तथा ऐसा संशोधन आवेदन के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा।

(ग) जहां उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन में या तो दी जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहां समुचित अधिकारी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, वहां वह आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में आवेदक को सूचना जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में इलेक्ट्रानिक रूप से ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा।

(घ) जहां समुचित अधिकारी का आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान हो जाता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे स्पष्टीकरण या सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदन का अनुमोदन करेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-15 में इलेक्ट्रानिक रूप से आदेश जारी करेगा तथा ऐसा संशोधन आवेदन के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा।

(ङ) जहां समुचित अधिकारी का दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान नहीं होता है, वहां समुचित अधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(च) जहां आवेदक, खंड (ग) के अधीन जारी सूचना का उत्तर विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, वहां उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन नामंजूर किया गया समझा जाएगा और नामंजूरी की सूचना सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-05क में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।-

(छ) जहां समुचित अधिकारी,—

- (i) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ; या
- (ii) खंड (ग) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर,

कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संशोधित किया गया समझा जाएगा और संशोधित प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) जहां परिवर्तन ऐसे व्यक्ति के, जिसने नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और जिसने नियम 14क के उपनियम (5) के अधीन प्रत्याहरण का विकल्प नहीं चुना है, कारबार के मुख्य स्थान के ब्यौरों से संबंधित है, वहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन के प्रस्तुत किए जाने और सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित ऑनलाइन विधिमान्यकरण के पूरा होने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस सीमा तक संशोधित हो जाएगा जिस सीमा तक उसके लिए आवेदन किया गया है और संशोधित प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) जहां परिवर्तन कारबार के मुख्य स्थान के व्यौरों से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित है, वहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन के प्रस्तुत किए जाने और सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित ऑनलाइन विधिमान्यकरण के पूरा होने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस सीमा तक संशोधित हो जाएगा जिस सीमा तक उसके लिए आवेदन किया गया है और संशोधित प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, कारबार के विधिक नाम से संबंधित और कारबार के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी भागीदारों या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य को जोड़ने, हटाने या उनकी सेवानिवृत्ति से संबंधित कोई परिवर्तन, उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अभिप्रास रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सभी रजिस्ट्रीकरणों को लागू होगा।

(6) इस नियम के अधीन प्रस्तुत, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन उपबंधित रीति से सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।

(7) जहां किसी कारबार के गठन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी लेखा संख्यांक में परिवर्तन होता है, वहां वह व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।"।

(ii) नियम 19 में, उपनियम (3) 1 दिसंबर, 2s026 से प्रवृत्त होगा।

4. मूल नियमों में, 1 नवंबर, 2026 से, नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"नियम 20. करदाता के अनुरोध पर रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहता है, रद्दकरण को आवश्यक बनाने वाली घटना के घटित होने से तीस दिन की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-16 में आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें, यथास्थिति, रद्दकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को या उस तारीख से, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक में धारित इनपुट या स्टॉक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट और स्टॉक में धारित पूंजी माल के व्यौरे, उन पर दायित्व, ऐसे दायित्व के विरुद्ध किए गए संदाय, यदि कोई हो, के व्यौरे अंतर्विष्ट होंगे और वह सामान्य पोर्टल पर आवेदन के साथ उसके समर्थन में सुसंगत दस्तावेज भी दे सकेगा : परंतु रद्दकरण को आवश्यक बनाने वाली घटना के घटित होने के तीस दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा, एकल स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में लागू नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि,-

- (a) ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख को, उस तारीख को या उससे पूर्व समाप्त होने वाली, जिससे रद्दकरण चाहा गया है, किसी अवधि की बाबत उस तारीख को या उससे पूर्व दी जाने के लिए अपेक्षित सभी विवरणियां, जिनके अंतर्गत जहां लागू हो, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण भी हैं, दे दी गई हैं ; और
- (b) किसी कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 या बीजक प्रस्तुति सुविधा में जावक पूर्ति के व्यौरे दे दिए गए हैं, उस कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी भी दे दी गई है।

दृष्टांत 1: कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 13.07.2026 को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करने आता है, तो उससे मई, 2026 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल कर दिया जाना अपेक्षित है।

दृष्टांत 2: जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने जून, 2026 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के व्यौरे 11.07.2026 को दे दिए हैं, वहां उससे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व जून, 2026 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करना अपेक्षित होगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथास्थिति, आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक या उस तारीख तक, जिससे रद्दकरण चाहा गया है, शेष अवधि के लिए विवरणी, जिसके अंतर्गत जहां लागू हो, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण भी हैं, ऐसी विवरणियां देने की नियत तारीख के अपश्चात् देगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, उस व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, रद्दकरण की कार्यवाहियों के पूरा होने तक निलंबित रहेगा।

(5) जहां उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल किया गया है और उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणियां उनमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर दे दी गई हैं तथा कर, ब्याज, फीस या शास्ति या कोई अन्य रकम, जिसका संदाय किए जाने का दायित्व है, संदत्त कर दी गई है और उन मामलों में, जहां –

- (a) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति की बाबत, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में, यदि कोई हो, प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथासंशोधित, जावक पूर्तियों के व्यौरों में या बीजक प्रस्तुति सुविधा का उपयोग करके घोषित केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर के मद्दे आउटपुट कर दायित्व, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से उपनियम (1) के अधीन रद्दकरण के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक किसी भी मास में दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ; या
- (b) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, जहां कहीं लागू हो, उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणियां देने की नियत तारीख से 3 दिन के भीतर प्ररूप जीएसटीआर-10 में विवरणी फाइल कर दी है,

वहां रजिस्ट्रीकरण, उस तारीख से, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द कर दिया जाएगा और इसकी संसूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-38 में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(6) जहां उपनियम (3) या उपनियम (5) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विवरणियों या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरणों, जहां लागू हों, में से कोई नहीं दी गई है या कर, ब्याज, फीस या शास्ति या कोई अन्य रकम, जिसका संदाय किए जाने का दायित्व है, संदत्त नहीं की गई है, वहां आवेदन, परीक्षा के लिए समुचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन आवेदन की परीक्षा करने पर, जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन,-

- (a) ठीक क्रम में है, वहां समुचित अधिकारी, उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण को रद्द करेगा और आदेश जारी करेगा, जिसकी संसूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।
- (b) त्रुटिपूर्ण है, वहां समुचित अधिकारी, उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में आवेदक को इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना जारी करके ऐसी कमियों की संसूचना दे सकेगा।

(8) उपनियम (7) के खंड (ख) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, आवेदक, उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणियां, स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा।

(9) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (8) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए उत्तर से समाधान हो जाता है, वहां समुचित अधिकारी, उत्तर की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, आवेदन का अनुमोदन कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आदेश जारी करेगा।

(10) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (8) के अधीन दिए गए उत्तर से समाधान नहीं होता है, वहां समुचित अधिकारी, उत्तर की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा और नामंजूरी की संसूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(11) जहां आवेदक द्वारा उपनियम (8) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर नहीं दिया गया है, वहां आवेदन नामंजूर किया गया समझा जाएगा और नामंजूरी की संसूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05क में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(12) जहां समुचित अधिकारी,-

- (a) उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ; या

- (b) उपनियम (8) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए उत्तर की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर,

कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है, वहां रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और इसकी संसूचना प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

(13) इस नियम के उपबंध, किसी मृत स्वत्वधारी के विधिक वारिसों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो आवेदन स्वयं स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

(14) जहां, इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के पश्चात्, समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 की उपधारा (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख किसी पूर्वतर तारीख में परिवर्तित किए जाने योग्य है, वहां समुचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरईजी-34 में सूचना जारी कर सकेगा, जिसमें यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख किसी पूर्वतर तारीख में क्यों न परिवर्तित कर दी जाए।

(15) वह व्यक्ति, उपनियम (14) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना का उत्तर, उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-35 में देगा।

(16) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (15) के अधीन दिए गए उत्तर से समाधान हो जाता है, वहां समुचित अधिकारी, उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, कार्यवाहियां समाप्त कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-36 में आदेश पारित करेगा।

(17) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (15) के अधीन दिए गए उत्तर से समाधान नहीं होता है, वहां समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख परिवर्तित कर सकेगा और उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-37 में आदेश जारी करेगा।

(18) जहां उपनियम (14) के अधीन जारी सूचना का उत्तर, उपनियम (15) के अनुसार ऐसी सूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर नहीं दिया गया है, वहां समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख परिवर्तित कर सकेगा और उपनियम (14) के अधीन सूचना जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-37 में आदेश जारी करेगा।

(19) जहां समुचित अधिकारी, उपनियम (14) के अधीन सूचना जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असफल रहता है, वहां रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए कार्यवाहियां समाप्त की गई समझी जाएंगी और इसकी संसूचना सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-36 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

(20) इस नियम के अधीन एक बार परिवर्तित की गई रद्दकरण की प्रभावी तारीख, आगे परिवर्तन के अधीन नहीं होगी।

5. मूल नियमों में, 1 नवंबर, 2026 से, नियम 21 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“नियम 21. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.—किसी व्यक्ति को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने का दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होते हुए,—

(क) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करते हुए, किसी वित्तीय वर्ष की विवरणी उक्त विवरणी देने की नियत तारीख से तीन मास से परे तक नहीं देता है ; या

(ख) नियम 23 के उपनियम (1) के तीसरे परंतुक या नियम 23 के उपनियम (1) के चौथे परंतुक के उपबंधों का अतिक्रमण करता है ; या

(ग) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, छह मास की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ; या

(घ) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, दो कर अवधियों की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ; या

(ङ) नियम 10क के उपबंधों का अतिक्रमण करता है”।

6. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, नियम 21क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“21क. करदाता के अनुरोध पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से भिन्न मामलों में रजिस्ट्रीकरण का निलंबन.—

(1) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन रद्द किए जाने का दायी है, वहां समुचित अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कार्यवाहियां आरंभ किए जाने पर, नियम 22 के अधीन रद्दकरण के लिए कार्यवाहियों के पूरा होने तक, समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित की जाने वाली तारीख से रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निलंबित किया जा सकेगा, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-

- (a) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करते हुए, किसी वित्तीय वर्ष की विवरणी उक्त विवरणी देने की नियत तारीख से तीन मास की अवधि से परे तक नहीं देता है ;
- (b) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, छह मास की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ;
- (c) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, दो कर अवधियों की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ; या
- (d) नियम 10क के उपबंध का अतिक्रमण करता है,

उस व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति से, यथास्थिति, ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त विवरणियां देने या नियम 10क के उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (1), (2), (2क) के अधीन निलंबित कर दिया गया है, निलंबन की अवधि के दौरान कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा और उससे धारा 39 के अधीन कोई विवरणी देना अपेक्षित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा" पद से यह अभिप्रेत है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निलंबन की अवधि के दौरान कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तदनुसार उस व्यक्ति द्वारा की गई पूर्तियों पर कर प्रभारित नहीं करेगा।

(4) जहां रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) के अधीन निलंबित किया गया है, वहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी लंबित विवरणियां दे दिए जाने पर या नियम 10क के उपबंधों का अनुपालन कर दिए जाने पर, निलंबन प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा कार्यवाहियां पूरी किए जाने पर प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा।

(6) उपनियम (5) के अधीन प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको निलंबन प्रभावी हुआ था।

(7) जहां रजिस्ट्रीकरण के निलंबन का प्रतिसंहरण करने का प्रभाव रखने वाला कोई आदेश पारित किया गया है, वहां निलंबन की अवधि के दौरान की गई पूर्तियों की बाबत धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 40 के उपबंध और उनमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी।”

7. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, नियम 22 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“22. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.— (1) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन रद्द किए जाने का दायी है, वहां समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-17 में सूचना जारी करेगा, जिसमें उस व्यक्ति से ऐसी सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि रजिस्ट्रीकरण क्यों न रद्द कर दिया जाए।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना का उत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-18 में फाइल करेगा।

(3) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (2) के अधीन दिए गए उत्तर से समाधान हो जाता है, वहां समुचित अधिकारी कार्यवाहियां समाप्त कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 में आदेश पारित करेगा।

(4) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (2) के अधीन उत्तर से समाधान नहीं होता है, वहां समुचित अधिकारी, यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना के उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या उपनियम

(2) के अधीन उत्तर देने की नियत तारीख से तीस दिन के भीतर, अवधारित की जाने वाली तारीख से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 में आदेश जारी करेगा और व्यक्ति को अधिसूचित करेगा तथा किसी कर, ब्याज या शास्ति के, जिसके अंतर्गत धारा 29 की उपधारा (9) के अधीन संदत्त किए जाने के लिए दायी रकम भी है, बकाया का संदाय करने का निदेश देगा।

(5) जहां कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 21क के उपनियम (2) के अधीन निलंबित किया गया है, यथास्थिति, निलंबन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी लंबित विवरणियां नहीं देता है या नियम 10क के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है, वहां ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द किया गया समझा जाएगा और इसकी सूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-38 में दी जाएगी।

(6) जहां इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के पश्चात्, समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख किसी पूर्वतर तारीख में परिवर्तित किए जाने योग्य है, वहां नियम 20 के उपनियम (14), (15), (16), (17), (18), (19) और (20) के उपबंध, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।”

8. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, नियम 23 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“23क. प्रणाली द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण — (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 22 के उपनियम (5) के अधीन सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द किया गया समझा गया है, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर, सामान्य पोर्टल पर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परंतु प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा, जहां रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणियां देने में असफलता के कारण रद्द किया गया है, जब तक कि ऐसी विवरणियां दे नहीं दी जातीं और ऐसी विवरणियों के निबंधनानुसार कर के रूप में शोध्य कोई रकम, उक्त विवरणियों की बाबत ब्याज, शास्ति और विलंब फीस के लिए संदेय किसी रकम के साथ संदत्त नहीं कर दी जाती :

परंतु यह और कि प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा, जहां रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियम 10क के अधीन बैंक खाते के ब्यौरे देने में असफलता के कारण रद्द किया गया है, जब तक कि ऐसे बैंक खाते के ब्यौरे दे नहीं दिए जाते।

(2) यथास्थिति, सभी लंबित विवरणियां दे दिए जाने पर या नियम 10क के उपबंधों का अनुपालन कर दिए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से प्रतिसंहृत कर दिया जाएगा तथा प्ररूप जीएसटी आरईजी-22 में आदेश की संसूचना आवेदक को सामान्य पोर्टल पर दी जाएगी।

(3) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए शोध्य सभी विवरणियां, उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर दी जाएंगी।”।

9. मूल नियमों के नियम 36 में, -

(i) उपनियम (1) में, “द्वारा, जिसके अंतर्गत इनपुट सेवा वितरक भी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी के आधार पर प्राप्त किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “द्वारा प्राप्त किया जाएगा या इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित किया जाएगा, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी के आधार पर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) में, “प्राप्त किया जाएगा” शब्दों के पश्चात्, “या इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित किया जाएगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. मूल नियमों के नियम 39 में, -

(i) उपनियम (1) के खंड (ड) में, “एकीकृत कर” शब्दों के पश्चात्, जहां वे दूसरी बार आते हैं, “या केंद्रीय कर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1क) में, “सामान्य” शब्द का लोप किया जाएगा।

11. मूल नियमों के नियम 44 में, 1 दिसंबर, 2026 से ; -

(i) उपनियम (1) में, “धारा 29” शब्द और अंक के पश्चात् आने वाले “की उपधारा (5)” शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (4) में, “प्ररूप जीएसटीआर-10” शब्दों, अक्षरों और अंक से पूर्व, “प्ररूप जीएसटी आरईजी-16 या” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. मूल नियमों के नियम 54 के उपनियम (1क) में, -

(i) खंड (क) में, “सामान्य इनपुट सेवाओं का प्रत्यय” शब्दों के स्थान पर, “एक या अधिक भिन्न व्यक्तियों से संबंधित इनपुट सेवाओं के संबंध में प्रत्यय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (iv) में, “उस सामान्य” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी” शब्द रखा जाएगा ;

(iii) खंड (ख) में, “सामान्य सेवाओं का मूल्य” शब्दों के स्थान पर, “उन सेवाओं का मूल्य, जिनका प्रत्यय इनपुट सेवा वितरक को अंतरित किया जाना ईप्सित है” शब्द रखे जाएंगे।

13. मूल नियमों के नियम 60 के उपनियम (2) में, “प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क में” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात्, “और इनपुट सेवा वितरक को प्ररूप जीएसटीआर-6क में” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. मूल नियमों के नियम 62 के उपनियम (5) में, “अप्रैल” शब्द के स्थान पर, “जून” शब्द रखा जाएगा।

15. मूल नियमों के नियम 63 में, “बीस” शब्द के स्थान पर, “तेरह” शब्द रखा जाएगा।

16. मूल नियमों में, 1 नवंबर, 2026 से, नियम 83ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“83ग. नामांकन में संशोधन.-

(1) जहां प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में दी गई किन्हीं विशिष्टियों में संशोधन अपेक्षित है, वहां माल और सेवा कर व्यवसायी, सामान्य पोर्टल पर, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में संशोधन से संबंधित नियम 19 के उपबंध, प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में दी गई विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।”

17. मूल नियमों के नियम 86 के उपनियम (3) में, “उक्त खाते में” शब्दों के पश्चात्, “नियम 89 के उपनियम (3) में विहित रीति से” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. मूल नियमों के नियम 86क में, 1 अप्रैल, 2027 से, -

(i) उपनियम (1) में, -

(क) “आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत, सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “समुचित अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के उन्मोचन के लिए या किसी अनुपयोजित रकम के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए, इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में ऐसे प्रत्यय के समतुल्य रकम की नामे को अनुज्ञात न करने का आदेश कर सकेगा” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26 में आदेश जारी करके इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में ऐसे प्रत्यय के समतुल्य रकम को नामे डालने की अनुज्ञा नहीं देगा और ऐसा आदेश रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा”;

(ii) उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(2) उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26 में जारी आदेश उस तारीख तक प्रवृत्त रहेगा, -

(a) जिसको उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होती है ; या

(b) जिसको समुचित अधिकारी, इस बात से समाधान हो जाने पर कि इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डालने की अनुज्ञा न देने की शर्तें अब विद्यमान नहीं हैं, आदेश द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से रकम को नामे डालने की अनुज्ञा देता है

इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस आशय का आक्षेप प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 में फाइल कर सकेगा कि इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में रकम को नामे डालना अननुज्ञात किए जाने योग्य नहीं था या नहीं है।”;

(4) उपनियम (3) के अधीन आक्षेप की प्राप्ति पर, समुचित अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-28 में आदेश जारी करेगा, जिसमें वह या तो, -

- (a) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-28 के भाग-क आदेश में इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से उस सीमा तक ऐसी रकम को नामे डालने की अनुज्ञा देगा ; या
- (b) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-28 के भाग ख में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उठाए गए आक्षेपों को नामंजूर करेगा।”।

19. मूल नियमों के नियम 89 में, —

(i) उपनियम (1) में, “, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (1क) में, “, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपनियम (2) में, 1 दिसंबर, 2026 से, —

(क) “उपनियम (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “या उपनियम (1क) या उपनियम (1ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, —

(अ) “पोतलदान बिलों या निर्यात बिलों की संख्या और तारीख” शब्दों में “की संख्या और तारीख” शब्दों के स्थान पर, “के ब्यौरे” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) “संबंधित निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख” शब्दों में “की संख्या और तारीख” शब्दों के स्थान पर, “के ब्यौरे” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (खक) में, “निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख” शब्दों में “की संख्या और तारीख” शब्दों के स्थान पर, “के ब्यौरे” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (खख) में, जहां-जहां “की संख्या और तारीख” शब्द आते हैं, उनके स्थान पर, “के ब्यौरे” शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) खंड (ग) में, “बीजकों की संख्या और तारीख” शब्दों में “की संख्या और तारीख” शब्दों के स्थान पर, “के ब्यौरे” शब्द रखे जाएंगे ;

(च) खंड (घ) में, —

(अ) “बीजकों की संख्या और तारीख” शब्दों में “की संख्या और तारीख” शब्दों के स्थान पर, “के ब्यौरे” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) “दूसरे” शब्द के स्थान पर, “पहले” शब्द रखा जाएगा ;

(छ) खंड (ङ) में, —

(अ) “बीजकों की संख्या और तारीख” शब्दों में “की संख्या और तारीख” शब्दों के स्थान पर, “के ब्यौरे” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) “दूसरे” शब्द के स्थान पर, “पहले” शब्द रखा जाएगा ;

(ज) खंड (ज) में, —

(अ) “प्राप्त और जारी बीजकों की संख्या और तारीख” शब्दों के स्थान पर, “प्राप्त बीजकों के ब्यौरे, इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों सहित, और जारी बीजकों के ब्यौरे” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) “धारा 54 की उपधारा (3)” शब्दों, अंक और कोष्ठकों के पश्चात्, “के पहले परंतुक के खंड (ii)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(इ) “जहां प्रत्यय, शून्य दर वाली या पूर्णतः छूट प्राप्त पूर्तियों से भिन्न, आउटपुट पूर्तियों पर कर की दर की तुलना में इनपुट पर कर की दर के अधिक होने के कारण संचित हुआ है” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(झ) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(जक) ऐसे मामले में, जहां दावा धारा 54 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन किसी अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है, किसी कर अवधि के दौरान जारी बीजकों के ब्यौरों का, उस रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा, जिसे आवेदक ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1320(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.

41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के अधीन माल की पूर्ति की है, फाइल किए गए सुसंगत पोत परिवहन बिलों या निर्यात बिलों के ब्यौरों सहित, विवरण ;”;

(ज) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ढ) ऐसे मामले में, जहां दावा धारा 54 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अधीन किसी अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है, प्राप्त बीजकों के ब्यौरों वाला, इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों सहित, विवरण ;

(ण) ऐसे मामले में, जहां प्रतिदाय धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के मद्दे या कर के संदाय सहित की गई शून्य दर पूर्ति के मद्दे है, इस आशय की घोषणा कि आवेदक को, उस कर अवधि के, जिससे प्रतिदाय का दावा संबंधित है, ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान, अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए, जहां अपवंचित कर की रकम दो सौ पचास लाख रुपये से अधिक है, अभियोजित नहीं किया गया है ;”;

(ट) खंड (ण) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2027 से, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(त) ऐसे मामले में, जहां दावा धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन किसी अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है और दावे में पूंजीगत माल पर प्राप्त प्रत्यय सम्मिलित है, इस आशय की घोषणा कि पूंजीगत माल का विक्रय नहीं किया गया है, उसका व्ययन नहीं किया गया है या उसे कारबार से स्थायी रूप से हटाया नहीं गया है, और उपनियम (4) या उपनियम (5) के अधीन दावे में सम्मिलित पूंजीगत माल इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है और संबंधित शून्य दर पूर्तियां या प्रत्यावर्तित दर पूर्तियां करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ;”।

(iv) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) जहां आवेदन इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है, वहां आवेदक द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में, इस प्रकार दावा किए गए प्रतिदाय के बराबर रकम, निम्नलिखित क्रम में नामे डाली जाएगी, अर्थात् —

(क) एकीकृत कर, उपलब्ध अतिशेष की सीमा तक ;

(ख) केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, उपलब्ध अतिशेष की सीमा तक समान रूप से ;

(ग) ऊपर खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी विशिष्ट इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध अतिशेष में कमी होने की दशा में, अंतर की रकम उसमें निर्दिष्ट अन्य इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डाली जाएगी।

दृष्टांत 1: — केंद्रीय कर के इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध अतिशेष में कमी होने की दशा में, अंतर की रकम राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डाली जाएगी ;

दृष्टांत 2: — राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध अतिशेष में कमी होने की दशा में, अंतर की रकम केंद्रीय कर के इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डाली जाएगी”;

(v) उपनियम (4) में, -

(क) खंड (आ) में, 1 अप्रैल, 2027 से, “प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय” शब्दों के पश्चात्, “और सुसंगत अवधि को आरोप्य पूंजीगत माल पर इनपुट कर प्रत्यय” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (इ) में, 1 नवंबर, 2026 से, “या उसी या समान रूप से स्थित प्रदायकर्ता द्वारा घरेलू रूप से पूर्ति किए गए वैसे ही माल के, प्रदायकर्ता द्वारा यथा घोषित, मूल्य का 1.5 गुना मूल्य, इनमें से जो भी कम हो” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

(ग) खंड (ऊ) में, 1 अप्रैल, 2027 से, “फाइल किया गया है।” शब्दों और विराम चिह्न के स्थान पर, “फाइल किया गया है ; और” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (ऊ) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, 1 अप्रैल, 2027 से, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“(ऋ) “सुसंगत अवधि को आरोप्य पूंजीगत माल” से ऐसा पूंजीगत माल अभिप्रेत है, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय ऐसे किसी मास में प्राप्त किया गया है, जो सुसंगत अवधि के अंतिम मास से उनसठ मास से पूर्वतर का न हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उक्त पूंजीगत माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है, और ऐसे पूंजीगत माल पर इनपुट कर प्रत्यय की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी -

ऐसे पूंजीगत माल पर इनपुट कर प्रत्यय = $\{(1/60 * \text{पूंजीगत माल पर प्राप्त पात्र आईटीसी} * \text{मासों की संख्या}) \text{ का समुच्चय} \} - \{\text{सुसंगत अवधि के मासों को आरोप्य ऐसे पूंजीगत माल के संबंध में अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार लागू इनपुट कर प्रत्यय उत्क्रमणों का समुच्चय}\}$ ।”

(ड) खंड (क) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2027 से, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण. — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, मासों की संख्या, ऐसे पूंजीगत माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय जिस मास में प्राप्त किया गया था उस मास से प्रारंभ होने वाली साठ मास की अवधि में से, सुसंगत अवधि के भीतर समाविष्ट अवधि के रूप में ली जाएगी।”;

(vi) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(5) प्रत्यावर्तित शुल्क संरचना के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रदान किया जाएगा : —

अधिकतम प्रतिदाय रकम = $\{(\text{माल और सेवाओं की प्रत्यावर्तित दर पूर्ति का आवर्त}) \times \text{शुद्ध आईटीसी} + \text{समायोजित कुल आवर्त}\} - \text{माल और सेवाओं की ऐसी प्रत्यावर्तित दर पूर्ति पर संदेय कर।}$

स्पष्टीकरण. — (i) “शुद्ध आईटीसी” से सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट और पात्र इनपुट सेवाओं पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय और सुसंगत अवधि को आरोप्य पूंजीगत माल पर इनपुट कर प्रत्यय का योग;

(ii) “पात्र इनपुट सेवाओं” से ऐसी इनपुट सेवाएं अभिप्रेत होंगी, जिन पर इनपुट कर प्रत्यय 1 नवंबर, 2026 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है ;

(iii) “समायोजित कुल आवर्त”, “सुसंगत अवधि को आरोप्य पूंजीगत माल” और “सुसंगत अवधि” पदों का वही अर्थ होगा, जो उपनियम (4) में उनका है।”

20. मूल नियमों के नियम 90 में, —

(i) उपनियम (2) में, “पंद्रह” शब्द के स्थान पर, “दस” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपनियम (3) में, “वहां समुचित अधिकारी,” शब्दों के पश्चात्, “उक्त आवेदन के फाइल किए जाने के दस दिन की अवधि के भीतर,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3क) जहां समुचित अधिकारी द्वारा, प्रतिदाय आवेदन के फाइल किए जाने के दस दिन की अवधि के भीतर, आवेदक को न तो प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में अभिस्वीकृति उपलब्ध कराई गई है और न ही प्ररूप जीएसटी आरएफडी-03 में कमियों की संसूचना दी गई है, वहां ऐसा आवेदन अभिस्वीकृत किया गया समझा जाएगा और उक्त अभिस्वीकृति आवेदक को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्रतिदाय के दावे के फाइल किए जाने की तारीख उपदर्शित होगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना फाइल किए जाने की ऐसी तारीख से की जाएगी।”

21. मूल नियमों के नियम 91 में, —

(i) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) सामान्य पोर्टल, प्रणाली द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर, नियम 90 के उपनियम (1क) या (2) या (3क) के अधीन अभिस्वीकृति की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में आदेश सृजित करेगा :

परंतु प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में जारी आदेश का समुचित अधिकारी द्वारा पुनःविधिमन्यकरण अपेक्षित नहीं होगा।”;

(ii) उपनियम (3) में, “समुचित अधिकारी, उपनियम (2) के अधीन मंजूर की गई रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय आदेश जारी करेगा और” शब्दों, अक्षरों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “उपनियम (2) के अधीन मंजूर की गई रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय आदेश, सामान्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा और” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

22. मूल नियमों के नियम 92 में, —

(i) उपनियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(1ख) जहां धारा 49 की उपधारा (6) के अधीन, धारा 54 के अधीन प्रतिदाय आवेदक को शोध्य और संदेय है, वहां सामान्य पोर्टल द्वारा प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश सृजित किया जाएगा, जिसमें उस प्रतिदाय की रकम मंजूर की जाएगी, जिसका आवेदक हकदार है, और उसमें अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम और प्रतिदेय अतिशेष रकम का उल्लेख किया जाएगा।”;

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, —

“यथास्थिति, जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है या, जहां सामान्य पोर्टल द्वारा यह अवधारित किया जाता है कि उपनियम (1) या (1क) या (1ख) या (2) के अधीन प्रतिदेय रकम धारा 54 की उपधारा (8) के अधीन आवेदक को संदेय है, वहां प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश किया जाएगा और प्रतिदाय की रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय आदेश जारी किया जाएगा और उसे समेकित संदाय सलाह के आधार पर आवेदक के, उसकी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में उल्लिखित और प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट, बैंक खातों में से किसी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाएगा .”;

23. मूल नियमों के नियम 138 में, —

(i) उपनियम (2क) में, “रेलवे द्वारा” शब्दों के पश्चात्, “या मेट्रो रेल द्वारा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2क) के परंतुक में, “रेलवे द्वारा किया जाता है, वहां रेलवे” शब्दों के स्थान पर, “रेलवे या मेट्रो रेल द्वारा किया जाता है, वहां रेलवे या मेट्रो रेल” शब्द रखे जाएंगे।

24. मूल नियमों के नियम 159 में, -

(i) उपनियम (1) में, “प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, “के भाग क” शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (5) में, “आक्षेप फाइल करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्,” शब्दों के पश्चात्, “यदि आवेदक के निवेदन से उसका समाधान नहीं होता है तो प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 के भाग ख में उक्त आवेदन को नामंजूर कर सकेगा या” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

25. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में, 1 नवंबर, 2026 से, सारणी 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

“5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < ड्राप डाउन में से चयन करें>.	
A.	(i) ऐसे माल के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं,
	(ii) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले प्रदायकर्ता
	(iii) धारा 10(1) के अंतर्गत आने वाला, संरचना उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता

B. धारा 10(2क) के अधीन संरचना के लिए पात्र व्यक्ति	”.
--	----

26. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 में, 1 नवंबर, 2026 से, सारणी 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

“5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग	
A. (i) ऐसे माल के, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं,	
(ii) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले प्रदायकर्ता	
(iii) धारा 10(1) के अंतर्गत आने वाला, संरचना उद्धरण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	
B. धारा 10(2क) के अधीन संरचना के लिए पात्र व्यक्ति	”.

27. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में, 1 नवंबर, 2026 से, -

(i) सारणी संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(सभी सरणियों में रकम ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	माल की जावक पूर्तियां (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित)					
(क)	सेवाओं की जावक पूर्तियां (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित) किंतु (किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई सेवाओं की उन पूर्तियों के सिवाय, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है)					
(ख)	किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई सेवाओं की जावक पूर्तियां, जहां					

	इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है।					
2	प्रतिलोम प्रभार आकर्षित करने वाली आवक पूर्तियां, जिनके अंतर्गत सेवाओं का आयात भी है					
3	संदेय कर (1+1(क)+2)					
4	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5	संदत्त कर और ब्याज					”;

(ii) 'अनुदेश' शीर्ष के अधीन, क्रम संख्यांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“3क करदाता, माल की पूर्ति के लिए जावक पूर्तियों (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित) की रिपोर्ट अभिहित स्तंभ (1) में करेगा।

3ख सेवाओं की जावक पूर्ति, जिसके अंतर्गत सेवाओं की छूट प्राप्त पूर्ति भी है, किंतु जिसमें किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई सेवाओं की वे पूर्तियां सम्मिलित नहीं हैं जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, की रिपोर्ट सारणी 1(क) में पृथक् रूप से की जाएगी।

3ग सेवाओं की जावक पूर्तियों की, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, रिपोर्ट सारणी 1(ख) में पृथक् रूप से की जाएगी। संरचना करदाताओं से ऐसी पूर्तियों पर कर दायित्व का उन्मोचन करना अपेक्षित नहीं है ; तथापि, अनुपालन और रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए इन पूर्तियों को उनके वार्षिक सकल आवर्त की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।”।

28. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 [नियम 8(1), 9क, 14क और 14ख देखें]

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न)

भाग –क

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

(i)	कारबार का विधिक नाम : (स्थायी खाता संख्यांक में यथा उल्लिखित)		
(ii)	स्थायी खाता संख्यांक : (कारबार का स्थायी खाता संख्यांक प्रविष्ट करें; स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में व्यष्टि का स्थायी खाता संख्यांक प्रविष्ट करें)		
(iii)	ई-मेल पता :		
(iv)	मोबाइल संख्या :		
<p>टिप्पण - भाग-ख को भरने की कार्यवाई करने से पूर्व ऊपर दी गई सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अध्वधीन है। [ई-मेल आईडी और मोबाइल संख्या, आवेदक के स्थायी खाता संख्यांक से सहवद्ध आय-कर डाटाबेस से स्वतः भरी जाएगी]</p>			
भाग –ख			
1.	व्यापार नाम, यदि कोई हो		
2.	कारबार का गठन (कृपया समुचित प्रवर्ग का चयन करें और उसके सामने यथा उल्लिखित दस्तावेज अपलोड करें।)		
(i) स्वत्वधारिता		(ii) भागीदारी (भागीदारी विलेख या गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)	
(iii) हिंदू अविभक्त कुटुंब		(iv) निजी लिमिटेड कंपनी (निगमन प्रमाणपत्र)	

(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (निगमन प्रमाणपत्र)		(vi) सोसाइटी/क्लब/न्यास/व्यक्ति संगम (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)		
(vii) सरकारी विभाग (गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)		(viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम (निगमन प्रमाणपत्र या गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)		
(ix) असीमित कंपनी (निगमन प्रमाणपत्र)		(x) सीमित दायित्व भागीदारी (निगमन प्रमाणपत्र)		
(xi) स्थानीय प्राधिकारी (गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)		(xii) कानूनी निकाय (गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)		
(xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी (स्थापन प्रमाणपत्र)		(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत) (स्थापन प्रमाणपत्र)		
(xivक) एक व्यक्ति कंपनी (निगमन प्रमाणपत्र)		(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) (गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)		
3.	राज्य का नाम		जिला	
4.	अधिकारिता	राज्य	केंद्र	
		सेक्टर, सर्कल, वार्ड, यूनिट, आदि अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
4.1	नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प	हां	नहीं	
4.1.1	नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का			

	विकल्प चुनने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा - मैं, एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि पूर्वोक्त कारबार, नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने के लिए अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन करेगा।			
4.2	नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प	हां	नहीं	
4.2.1	नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा मैं, एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि पूर्वोक्त कारबार, नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने के लिए अधिनियम या नियमों में			

	विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन करेगा।			
4.2.2	अन्य राज्य में, जहां आपकी भौतिक उपस्थिति है, जीएसटीआईएन प्रविष्ट करें			
5.	संरचना के लिए विकल्प	हां	नहीं	
6. संरचना घोषणा				
मैं, एतद्वारा, घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार, संरचना स्कीम के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प चुनने के लिए अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन करेगा।				
6.1 रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < चेक बॉक्स में टिक करें >				
A. (i) ऐसे माल के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता, जिसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं है और जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए,				
(ii) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले प्रदायकर्ता				
(iii) धारा 10(1) के अंतर्गत आने वाला, संरचना उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता				
B. धारा 10(2क) के अधीन संविरचना उद्ग्रहण के लिए पात्र व्यक्ति				
7.	कारबार के प्रारंभ की तारीख	दिन/मास/वर्ष		
8.	वह तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण का दायित्व उद्भूत होता है	दिन/मास/वर्ष		
9.	क्या आप आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं?	हां	नहीं	
10.	यदि क्रम सं. 9 में 'हां' का चयन किया गया है, तो वह अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	से दिन/मास/वर्ष	तक दिन/मास/वर्ष	

11.	यदि क्रम सं. 9 में 'हां' का चयन किया गया है, तो रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान प्राक्कलित पूर्तियां और प्राक्कलित शुद्ध कर दायित्व					
क्रम सं.	कर का प्रकार	आवर्त (रु.)	शुद्ध कर दायित्व (रु.)			
(i)	एकीकृत कर					
(ii)	केंद्रीय कर					
(iii)	राज्य कर					
(iv)	संघ राज्यक्षेत्र कर					
(v)	उपकर					
	योग					
	संदाय के व्यौरे					
	चालान पहचान संख्यांक		तारीख		रकम	
12.	क्या आप विशेष आर्थिक जोन इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं?		हां		नहीं	
	(i) विशेष आर्थिक जोन के नाम का चयन करें					
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख					
	विधिमान्यता की अवधि		से	तक		
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम					
	(iv) विशेष आर्थिक जोन अस्तित्व आईडी					
13.	क्या आप विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं?		हां		नहीं	

	(i) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता के नाम का चयन करें																														
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख																														
	विधिमान्यता की अवधि	से	तक																												
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम																														
	(iv) विशेष आर्थिक जोन अस्तित्व आईडी																														
14.	क्या आप धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं?	हां	नहीं																												
	(क) क्या उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में, जहां रजिस्ट्रीकरण चाहा जा रहा है, आपकी भौतिक उपस्थिति है?	हां	नहीं																												
	(ख) यदि हां, तो कृपया क्रम सं. 17 में कारबार के मुख्य स्थान के ब्यौरे भरें।																														
	(ग) यदि नहीं, तो कृपया धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए प्रतिनिधि के ब्यौरों का उल्लेख करें :																														
<table border="1"> <tr> <td>व्यक्ति का नाम</td><td>प्रथम नाम</td><td>मध्य नाम</td><td>अंतिम नाम</td></tr> <tr> <td>मोबाइल संख्या</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ई-मेल पता</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>स्थायी खाता संख्यांक</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>एसटीडी सहित टेलीफोन सं.</td><td></td><td>एसटीडी सहित फैक्स सं.</td><td></td></tr> <tr> <td>पता</td><td colspan="3">कृपया क्रम सं. 17 (कारबार का मुख्य स्थान टैब) में पते के ब्यौरे भरें।</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				व्यक्ति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	मोबाइल संख्या				ई-मेल पता				स्थायी खाता संख्यांक				एसटीडी सहित टेलीफोन सं.		एसटीडी सहित फैक्स सं.		पता	कृपया क्रम सं. 17 (कारबार का मुख्य स्थान टैब) में पते के ब्यौरे भरें।						
व्यक्ति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम																												
मोबाइल संख्या																															
ई-मेल पता																															
स्थायी खाता संख्यांक																															
एसटीडी सहित टेलीफोन सं.		एसटीडी सहित फैक्स सं.																													
पता	कृपया क्रम सं. 17 (कारबार का मुख्य स्थान टैब) में पते के ब्यौरे भरें।																														

15.	रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का कारण :	
	(i) प्रारंभिक सीमा को पार करना	(viii) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का विलयन/समामेलन
	(ii) अंतरराज्यिक पूर्ति	(ix) इनपुट सेवा वितरक
	(iii) धारा 9(3) या धारा 9(4) के अधीन माल या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में कर का संदाय करने का दायित्व	(x) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक - धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति
	(iv) कारबार का अंतरण, जिसके अंतर्गत कारबार के स्वामित्व में परिवर्तन भी है (यदि अंतरिती कोई रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xi) ई-वाणिज्य पोर्टल के माध्यम से पूर्ति करने वाला कराधेय व्यक्ति
	(v) स्वत्वधारी की मृत्यु (यदि उत्तराधिकारी कोई रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xii) स्वैच्छिक आधार
	(vi) अविलयन	(xiii) अन्य कराधेय व्यक्ति या व्यक्तियों के निमित्त माल और/या सेवाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति
	(vii) कारबार के गठन में परिवर्तन	(xiv) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन नियुक्त दिवाला समाधान वृत्तिक/समाधान वृत्तिक
	(xv) अन्य (जो ऊपर सम्मिलित नहीं हैं) – विनिर्दिष्ट करें	
16.	जहां कहीं लागू हो, विद्यमान रजिस्ट्रीकरणों को उपदर्शित करें	
	मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	जीएसटीआईएन	
	वृत्तिक कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	कारपोरेट पहचान संख्यांक/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक	

आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड संख्यांक	
वृत्तिक कर नामांकन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
दुकान और स्थापन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
अस्थायी आईडी, यदि कोई हो	
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
17.	(क) कारबार के मुख्य स्थान का पता
इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक का जीएसटीआईएन (नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की दशा में)	
इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक का विधिक नाम (नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की दशा में)	
भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.

परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव	जिला	
तालुक/ब्लॉक		
राज्य	पिन कोड	
अक्षांश	देशांतर	
(ख) संपर्क सूचना		
कार्यालय ई-मेल पता	कार्यालय टेलीफोन संख्या	एसटीडी

मोबाइल संख्या	कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी
<p>(ग) परिसर के कब्जे की प्रकृति (कृपया समुचित प्रवर्ग का चयन करें और जहां कहीं अपेक्षित हो, अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करें)</p> <p>7. स्वामित्वाधीन</p> <p>8. मृत पूर्वज के नाम में</p> <p>9. पट्टे पर या किराए पर</p> <p>10. सहमति आधारित, जहां परिसर न तो आवेदक के स्वामित्व में है और न ही उसके द्वारा किराए पर या पट्टे पर लिया गया है</p> <p>11. सह-कार्य स्थान</p> <p>12. विशेष आर्थिक जोन</p> <p>13. नियम 14ख के अधीन इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का भांडागार</p>		
स्वामित्वाधीन	<p>यदि परिसर आवेदक के नाम में है, तो कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक अपलोड करें :</p> <p>7. नवीनतम संपत्ति कर रसीद</p> <p>या</p> <p>7. नगरपालिका खाता की प्रति</p> <p>या</p> <p>7. संपत्ति पहचान की प्रति</p> <p>या</p> <p>7. नवीनतम विद्युत बिल की प्रति</p> <p>या</p> <p>7. नवीनतम जल बिल की प्रति</p>	
जहां परिसर मृत पूर्वज के नाम में है (केवल स्वत्वधारी के विधिक नाम वाले अस्तित्व और हिंदू अविभक्त कुटुंब को लागू)	<p>कृपया निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें :</p> <p>i. अपेक्षित रूपविधान के अनुसार शपथपत्र और</p>	

	<p>ii. मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति और</p> <p>iii. मृत पूर्वज के नाम में निम्नलिखित में से कोई एक :</p> <p>नवीनतम संपत्ति कर रसीद</p> <p>या</p> <p>नगरपालिका खाता की प्रति</p> <p>या</p> <p>संपत्ति पहचान की प्रति</p> <p>या</p> <p>नवीनतम विद्युत बिल की प्रति</p> <p>या</p> <p>नवीनतम जल बिल की प्रति</p>	
--	---	--

	जहां किराया/पट्टा करार रजिस्ट्रीकृत है	कृपया रजिस्ट्रीकृत किराया या पट्टा करार अपलोड करें	
किराए पर/पट्टे पर	जहां किराया/पट्टा करार रजिस्ट्रीकृत नहीं है	<p>कृपया निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें :</p> <p>i. किराया/पट्टा करार, न्यूनतम मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर सम्यक् रूप से नोटरीकृत करार होगा</p> <p>और</p> <p>ii. पट्टाकर्ता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :</p> <p>नवीनतम संपत्ति कर रसीद</p> <p>या</p> <p>नगरपालिका खाता की प्रति</p> <p>या</p> <p>संपत्ति पहचान की प्रति</p> <p>या</p>	

	नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति	
जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है	कृपया निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें : i. इस संबंध में निष्पादित वचनबंध ii. आवेदक के नाम में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक : नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति	

सहमति आधारित	<p>जहां परिसर न तो आवेदक के स्वामित्व में है और न ही उसके द्वारा किराए पर या पट्टे पर लिया गया है</p>	<p>कृपया ब्यौरे दें और निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. परिसर के स्वामी द्वारा सहमति पत्र ii. सहमतिकर्ता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक : <ul style="list-style-type: none"> नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति 	
विशेष आर्थिक जोन	यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है	विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त द्वारा जारी अनुमोदन पत्र / अनुज्ञा पत्र	

<p>सह-कार्य स्थान (जहां आवेदक किसी सह-कार्य परिसर में, सह-कार्य स्थान प्रदाता द्वारा उस परिसर में स्पष्ट रूप से अभिहित स्थान आबंटित किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता है)</p>	<p>यदि परिसर सह-कार्य स्थान प्रदाता के स्वामित्व में है</p> <p>क्या सह-कार्य स्थान प्रदाता माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है?</p>	<p>हां</p> <p>नहीं</p>	<p>(✓) यदि हां, तो कृपया जीएसटीआईएन दें और जांच करें कि क्या सह-कार्य स्थान प्रदाता से सदस्यता करार अभिप्राप्त किया गया है</p> <p>कृपया अपलोड करें</p> <p>i. आवेदक और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे स्पष्ट रूप से अभिहित भौतिक स्थान के ब्यौरे हों।</p> <p>और</p> <p>ii. सह-कार्य स्थान प्रदाता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :</p> <p>नवीनतम संपत्ति कर रसीद</p> <p>या</p> <p>नगरपालिका खाता की प्रति</p> <p>या</p> <p>संपत्ति पहचान की प्रति</p>	<p>सह-कार्य स्थान प्रदाता का जीएसटीआईएन</p>	
---	--	------------------------	--	---	--

				या	
				नवीनतम विद्युत बिल की प्रति	
				नवीनतम जल बिल की प्रति	
				कृपया अपलोड करें	
				i.	
				i.	आवेदक और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे स्पष्ट रूप से अभिहित भौतिक स्थान के ब्यौरे हों।
				और	
				ii.	सह-कार्य स्थान प्रदाता के निम्नलिखित

दस्तावेजों में से
कोई एक :

नवीनतम संपत्ति कर रसीद

या

नगरपालिका खाता की प्रति

या

संपत्ति पहचान की प्रति

या

नवीनतम विद्युत बिल की प्रति

या

नवीनतम जल बिल की प्रति

<p>यदि परिसर सह-कार्य सेवा प्रदाता द्वारा किराए पर या पट्टे पर लिया गया है</p> <p>क्या सह-कार्य स्थान प्रदाता माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है?</p>		<p>(✓) यदि हां, तो कृपया जीएसटीआईएन दें और जांच करें कि क्या सह-कार्य स्थान प्रदाता से सदस्यता करार अभिप्राप्त किया गया है</p>	<p>जीएसटीआईएन</p> <p>कृपया अपलोड करें</p> <p>i. सह-कार्य स्थान प्रदाता और भू-स्वामी के बीच किया गया रजिस्ट्रीकृत किराया या पट्टा करार।</p> <p>ii. आवेदक और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे स्पष्ट रूप से अभिहित भौतिक स्थान के ब्यौरे हों।</p>	
---	--	--	---	--

नहीं		कृपया अपलोड करें : i. स्वामी और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच रजिस्ट्रीकृत किराया/पट्टा करार। ii. सह-कार्य स्थान प्रचालक/प्रदाता और आवेदक के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे भौतिक स्थान के ब्यौरे हों।			
(घ) ऊपर वर्णित परिसर में किए जा रहे कारबार के क्रियाकलाप की प्रकृति (कृपया जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)					
फैक्टरी / विनिर्माण क्या फैक्टरी, फैक्टरी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है?	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक-	थोक कारबार		खुदरा कारबार	
भांडागार/डिपो		बंधित भांडागार		सेवाओं का प्रदायकर्ता	
कार्यालय/विक्रय कार्यालय		-		-	
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी		संकर्म संविदा		स्थावर संपत्ति को	

18. बैंक खाते (खातों) के ब्यौरे

बैंक खाता 1 के ब्यौरे

[illegible]

खाते का प्रकार		आईएफएससी
बैंक का नाम		
शाखा का पता	स्वतः भरा जाएगा (संपादन मोड)	

टिप्पण – और खाते जोड़ें -----

19. कारबार द्वारा पूर्ति किए गए माल के ब्यौरे

कृपया माल विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं.	माल का विवरण	एचएसएन कोड (दो अंक)/ एचएसएन कोड (चार अंक)/ एचएसएन कोड (छह अंक)/ एचएसएन कोड (आठ अंक)
(i)		
(ii)		
..XX....	...	

20. कारबार द्वारा पूर्ति की गई सेवाओं के ब्यौरे।

(क) कृपया सेवाएं विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं.	सेवाओं का विवरण	एसएसी कोड (चार अंक)/ एसएसी कोड (छह अंक)
(i)		
(ii)		
...XX..		
.....		

21. कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) के ब्यौरे (ब्यौरे उसी प्रकार दिए जाएंगे जैसे सारणी संख्यांक 17 में)

अतिरिक्त स्थानों की संख्या

22. स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की प्रबंध समिति के सदस्यों/न्यासी बोर्ड, आदि के ब्यौरे

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल संख्या		ई-मेल पता	
एसटीडी सहित टेलीफोन सं.			
पदनाम /प्रास्थिति सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, अभिहित भागीदारों का डीआईएन उपलब्ध कराया जाए।		निदेशक पहचान संख्यांक (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्यांक		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां / नहीं	पासपोर्ट सं. (विदेशियों की दशा में)	
निवास का पता			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	

शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुक			
राज्य		पिन कोड	
देश (केवल विदेशी की दशा में)		ज़िप कोड	

23. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए चेक बॉक्स

हस्ताक्षरकर्ता सं. 1 के ब्यौरे

विशिष्टियाँ	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
भारत में निवास का पता			
भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.		
परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली		

ब्लॉक/तालुक		
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव	जिला	
राज्य	पिन कोड	

पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल संख्या		ई-मेल पता	
एसटीडी सहित टेलीफोन सं. एसटीडी			
पदनाम /प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्यांक (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्यांक		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां / नहीं	पासपोर्ट सं. (विदेशियों की दशा में)	

24. प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे

नामांकन आईडी, यदि उपलब्ध हो			
यदि नामांकन आईडी उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें			
स्थायी लेखा संख्यांक			
आधार, यदि स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है			
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
व्यक्ति का नाम			
पदनाम / प्रास्थिति (ड्राप डाउन)			
मोबाइल संख्या			
ई-मेल पता			
एसटीडी सहित टेलीफोन सं.		एसटीडी सहित फैक्स सं.	

25. राज्य विनिर्दिष्ट सूचना

. राज्य उत्पाद-शुल्क अनुज्ञप्ति सं. और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम में उत्पाद-शुल्क अनुज्ञप्ति धारित है

(क) क्षेत्र 1

(ख) क्षेत्र 2

(ग)

(घ)

(ङ) क्षेत्र एन

26. अपलोड दस्तावेज

प्ररूप में क्षेत्र मूल्यों के अनुसार अपलोड किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की अनुकूलित सूची (नियम 8 देखें)।

27. सहमति

मैं, नीचे उल्लिखित की जाने वाली आधार संख्या का धारक, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को मेरी आधार संख्या अभिप्राप्त करने, यूआईडीएआई के साथ आधार अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी करने के लिए अपनी सहमति देता हूं। जीएसटीएन ने मुझे सूचित किया है कि मेरी पहचान संबंधी सूचना का उपयोग केवल केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/नियम, 2017 और सुसंगत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम/नियम, 2017 द्वारा यथा अपेक्षित वेबसाइट, सेवाएं उपलब्ध कराने और उनमें सुधार करने के लिए किया जाएगा ; और यह भी सूचित किया है कि इन व्यौरों को डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में यथा परिभाषित डाटा प्रसंस्करणकर्ता, सरकारी अभिकरणों और कर प्राधिकारियों के सिवाय, लागू विधियों द्वारा यथा अपेक्षित कर प्रशासन के प्रयोजन के लिए, किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया जाएगा और उन्हें जीएसटीएन आधार डाटा वॉल्ट में सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाएगा। मैं यह समझता हूं कि जीएसटीएन, अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सत्यापन के प्रयोजन के लिए मेरा अधिप्रमाणन डाटा केंद्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार (सीआईडीआर) के साथ साझा करेगा। यूआईडीएआई के साथ अधिप्रमाणन होने पर, जीएसटीएन यूआईडीएआई से मेरा वैयक्तिक डाटा, जैसे नाम, लिंग, द्वारा, जन्म की तारीख, मोबाइल संख्या, आधार संख्या, फोटो, पता और ई-मेल आईडी, आदि प्राप्त करेगा और उसे जीएसटीएन आधार डाटा वॉल्ट में भंडारित किया जाएगा। मैंने उपर्युक्त निबंधनों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उनसे सहमत हूं, और मैं अपनी स्पष्ट सहमति देता हूं।

28. सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

पदनाम/प्रास्थिति.....

स्थान :

तारीख :

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

1.	<p>फोटो (जहां कहीं आवेदन प्ररूप में विनिर्दिष्ट हो)</p> <p>क. स्वत्वधारी समुत्थान – स्वत्वधारी</p> <p>ख. भागीदारी फर्म / सीमित दायित्व भागीदारी – प्रबंध/ प्राधिकृत/ अभिहित भागीदार (सभी भागीदारों के वैयक्तिक ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं किंतु प्रबंध भागीदार सहित केवल दस भागीदारों के फोटो प्रस्तुत किए जाने हैं)</p> <p>ग. हिंदू अविभक्त कुटुंब – कर्ता</p> <p>घ. कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति</p> <p>ङ. न्यास – प्रबंध न्यासी</p> <p>च. व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के वैयक्तिक ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं किंतु अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों के फोटो प्रस्तुत किए जाने हैं)</p> <p>छ. स्थानीय प्राधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य</p> <p>ज. कानूनी निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य</p> <p>झ. अन्य – भारसाधक व्यक्ति</p>
2.	<p>कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, सोसाइटी, न्यास, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/गठन का सबूत।</p>

3. कारबार के मुख्य स्थान का सबूत :

क. स्वयं के परिसर के लिए –

यदि परिसर आवेदक के नाम में है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति।

ख. जहां परिसर मृत पूर्वज के नाम में है (केवल स्वत्वधारी के विधिक नाम वाले अस्तित्व और हिंदू अविभक्त कुटुंब को लागू)-

निम्नलिखित दस्तावेज :

i. इस संबंध में प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 से संलग्न अपेक्षित प्ररूपमान के अनुसार शपथपत्र।

और

ii. मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति

और

iii. मृत पूर्वज के नाम में निम्नलिखित में से कोई एक :

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति।

ग. किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए –

i. जहां किराया/पट्टा करार रजिस्ट्रीकृत है-

रजिस्ट्रीकृत किराया या पट्टा करार

ii. जहां किराया/पट्टा करार रजिस्ट्रीकृत नहीं है-

निम्नलिखित दस्तावेज :

किराया/पट्टा करार, न्यूनतम मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर सम्यक् रूप से नोटरीकृत करार होना चाहिए और

पट्टाकर्ता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति।

iii. जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है –

निम्नलिखित दस्तावेज :

1. इस संबंध में निष्पादित वचनबंध
2. आवेदक के नाम में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :

नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति

(घ) सहमति आधारित-

जहां परिसर न तो आवेदक के स्वामित्व में है और न ही उसके द्वारा किराए पर या पट्टे पर लिया गया है

निम्नलिखित दस्तावेज :

- i. परिसर के स्वामी द्वारा सहमति पत्र
- ii. सहमतिकर्ता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति।

(ङ) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड)

यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है

निम्नलिखित दस्तावेज :

विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त द्वारा जारी अनुमोदन पत्र / अनुज्ञा पत्र

(च) सह-कार्य स्थान (जहां आवेदक किसी सह-कार्य परिसर में, सह-कार्य स्थान प्रदाता द्वारा उस परिसर में स्पष्ट रूप से अभिहित स्थान आबंटित किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण लेना चाहता है)

जहां परिसर सह-कार्य स्थान प्रदाता के स्वामित्व में है :

निम्नलिखित दस्तावेज :

- i. आवेदक और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे स्पष्ट रूप से अभिहित भौतिक स्थान के ब्यौरे हों ;

और

ii. सह-कार्य स्थान प्रदाता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति।

और सह-कार्य स्थान प्रदाता का जीएसटीआईएन, यदि लागू हो।

जहां परिसर सह-कार्य सेवा प्रदाता द्वारा किराए पर या पट्टे पर लिया गया है :

निम्नलिखित दस्तावेज :

i. सह-कार्य स्थान प्रदाता और भू-स्वामी के बीच किया गया रजिस्ट्रीकृत किराया या पट्टा करार ;

ii. आवेदक और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे स्पष्ट रूप से अभिहित भौतिक स्थान के ब्यौरे हों।

और सह-कार्य स्थान प्रदाता का जीएसटीआईएन, यदि लागू हो।

4 बैंक खाते से संबंधित सबूत, जहां ऐसे खाते के ब्यौरे दिए गए हैं :

बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या ऐसे रद्द किए गए चेक की स्कैन की गई प्रति, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता सं., एमआईसीआर, आईएफएससी और कोड सहित शाखा के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों।

5 प्राधिकार प्ररूप : -

आवेदन प्ररूप में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्राधिकार या प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रति निम्नलिखित प्ररूपमान में फाइल की जाएगी :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक्) (स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की प्रबंध समिति के सदस्यों/न्यासी बोर्ड, आदि के ब्यौरे)

मैं/हम --- (नाम), (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) के (भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड, आदि) होने के नाते

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि <<प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (प्रास्थिति/पदनाम)>> को, संकल्प सं. ... तारीख.... (प्रति इसके साथ प्रस्तुत) द्वारा, उस कारबार <<माल और सेवा कर पहचान संख्यांक - कारबार का नाम>> के लिए, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इस कारबार के संबंध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे।

हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम :

पदनाम/प्रास्थिति :

(स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं << (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)>> एतद्वारा सत्यनिष्ठा से उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर स्थान : (नाम)

स्थान :

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति :

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- कारबार के स्थायी लेखा संख्यांक में यथा अभिलिखित व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करें। स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, विधिक नाम के सामने स्वत्वधारी का नाम प्रविष्ट करें और स्वत्वधारी के स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें। स्थायी लेखा संख्यांक का आय-कर डाटाबेस से सत्यापन किया जाएगा।
- ****
- यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करता है, तो आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की प्रबंध समिति के सदस्यों/न्यासी बोर्ड, आदि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।
- निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं : -

कारबार का गठन	वह व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंध / प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक

पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक
सोसाइटी/ क्लब/ न्यास/ व्यक्ति संगम	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
पब्लिक सेक्टर उपक्रम	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध/ पूर्णकालिक निदेशक
सीमित दायित्व भागीदारी	अभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	भारसाधक व्यक्ति

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की बाबत सूचना वैकल्पिक है। यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है, तो कृपया सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध सूची में से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करें, अन्यथा ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे दें।
6. राज्य विनिर्दिष्ट सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए सुसंगत है।
7. नीचे वर्णित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा :-

क्रम सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम असीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी)- वर्ग-2 और उससे ऊपर।

2.	उपर्युक्त से भिन्न डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उससे ऊपर ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित किया जाए
----	---

8. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्यांक (डीआईएन), कारपोरेट पहचान संख्यांक (सीआईएन)/ विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (एफसीआरएन)/ सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक (एलएलपीआईएन)/ विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक (एफएलएलपीआईएन) से संबंधित सभी सूचना का प्रणाली द्वारा ऑनलाइन विधिमान्यकरण किया जाएगा और भरी गई सभी सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्यांक सृजित किया जाएगा।

9. नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाला कोई व्यक्ति, आधार संख्या का ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन कराएगा।

10. नियम 14ख के अधीन आवेदन के लिए :

केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का नियम 14ख, अनन्य रूप से अन्य बातों के साथ-साथ, नीचे यथा उल्लिखित कतिपय शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन, इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के प्लेटफार्म के माध्यम से माल की पूर्ति करने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए, सरलीकृत माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण तंत्र का उपबंध करता है :

- (i) नियम 14ख के अधीन किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एकल स्थायी लेखा संख्यांक पर नियमित करदाता प्रवर्ग (संविरोचना, इनपुट सेवा वितरक, विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता, विशेष आर्थिक जोन इकाई और आकस्मिक करदाता के सिवाय प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत) के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जाएगा।
- (ii) आवेदन वहां प्रस्तुत किया जाएगा जहां उसकी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में न तो कोई भौतिक उपस्थिति है और न ही कोई सक्रिय नियमित रजिस्ट्रीकरण है।
- (iii) आवेदन, अन्य बातों के साथ-साथ, वहां अनुज्ञात किया जाएगा जहां गृह राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण की बाबत धारा 29 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की गई हैं या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया गया है।
- (iv) आवेदन, अन्य राज्यक्षेत्र प्रवर्ग से भिन्न अधिकारिताओं की बाबत लागू होगा।
- (v) आवेदन में प्रविष्ट इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का जीएसटीआईएन सक्रिय होगा और नियमित करदाता प्रवर्ग के अधीन होगा। उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर सहबद्ध स्रोत पर कर संग्रहण रजिस्ट्रीकरण भी उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सक्रिय होगा, जहां रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है।
- (vi) चयनित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कारबार के मुख्य स्थान (पीपीओबी) और, जहां लागू हो, कारबार के अतिरिक्त स्थान (एपीओबी) के लिए सात कार्य दिवस के भीतर सहमति दे सकेगा। जहां विहित अवधि के भीतर कारबार के मुख्य स्थान के लिए सहमति प्राप्त नहीं होती है, वहां एआरएन सृजित नहीं किया जाएगा और आवेदक पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। कारबार के अतिरिक्त स्थान की दशा में, जहां विहित अवधि के भीतर सहमति प्राप्त नहीं होती है, वहां ऐसा कारबार का अतिरिक्त स्थान हटा दिया जाएगा और, यथालागू, कारबार के मुख्य स्थान के लिए सहमति की प्राप्ति और बायोमीट्रिक आधार अधिप्रमाणन और दस्तावेज सत्यापन के सफलतापूर्वक पूरा होने के अध्यधीन, एआरएन सृजित किया जाएगा।
- (vii) आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, चयनित गृह राज्य रजिस्ट्रीकरण का प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (पीएस) आधार अधिप्रमाणन के लिए प्रवर्तक/भागीदार का चयन करेगा। तत्पश्चात्, प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और चयनित प्रवर्तक/भागीदार, जहां पहले सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया गया है, बायोमीट्रिक आधार अधिप्रमाणन और दस्तावेज सत्यापन कराएंगे।
- (viii) यह सलाह दी जाती है कि इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कारबार के मुख्य स्थान और/या कारबार के अतिरिक्त स्थान के लिए सहमति देने के पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण के अनुमोदन तक, संशोधन के लिए कोई आवेदन फाइल न करे। प्रदायकर्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात्, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा संशोधन के लिए आवेदन फाइल किया जा सकेगा। तथापि, संशोधन के लिए ऐसा आवेदन फाइल करने से पूर्व, ई-वाणिज्य प्रचालक सभी संबंधित पतों से जुड़ी सहमति प्रत्याहृत करेगा।
- (ix) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित पते के परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का आवेदन अनुमोदित कर दिया गया है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे तदनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण का संशोधन करना अपेक्षित है, ऐसे अनुमोदन के तीस दिन के भीतर अपेक्षित संशोधन आवेदन फाइल करने में असफल रहा है, वहां इस नियम के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द किया गया समझा जाएगा और इसकी सूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-38 में दी जाएगी। यदि उक्त पते को उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित किया गया था और उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति तीस दिन की विहित अवधि के भीतर अपेक्षित संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहा है, तो कारबार के ऐसे अतिरिक्त स्थान के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से हटा दिए जाएंगे।
- (x) रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात्, जहां ऐसा रजिस्ट्रीकरण रद्द या निलंबित कर दिया जाता है, वहां नियम 14ख के अधीन कोई नया रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (xi) जहां नियम 14ख के अधीन आवेदनों पर बहु राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है और किसी ऐसे आवेदन के संबंध में चयनित गृह राज्य के जीएसटीआईएन से सहबद्ध क्षेत्र दौरे के परिणामस्वरूप नकारात्मक टिप्पणियां प्राप्त होती हैं, वहां नियम 14ख के अधीन लंबित ऐसे सभी आवेदन प्ररूप जीएसटी आरईजी-05क में स्वतः अस्वीकृत हो जाएंगे।
11. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति का पता, अभिस्वीकृति में उपदर्शित आवेदन निर्देश संख्यांक (एआरएन) को सामान्य पोर्टल पर प्रविष्ट करके लगाया जा सकता है।
12. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है।

13. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा।
14. किसी राज्य के भीतर कारबार के बहु स्थान रखने वाले किसी व्यक्ति को, जिससे अपने कारबार के स्थानों में से किसी के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है, कारबार के प्रत्येक स्थान की बाबत पृथक् रूप से आवेदन करना होगा।
15. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
16. आवेदन के भाग-क में प्रारंभिक व्यौरे सफलतापूर्वक दिए जाने के पश्चात्, अस्थायी निर्देश संख्यांक (टीआरएन) आवंटित किया जाएगा, जिसका उपयोग आवेदन के भाग-ख में व्यौरे भरने के लिए किया जा सकता है। टीआरएन, सामान्य पोर्टल पर 15 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा।
17. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, जिसे उक्त धारा के अधीन कर का संदाय करने की सूचना समझा जाएगा।
18. प्रदायकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सरकारी विभाग, बैंक खाते के व्यौरे नहीं दे सकेंगे।
19. ऐसे करदाता, जो यथासंशोधित अधिसूचना सं. 2/2019 – केंद्रीय कर (दर), तारीख 07.03.2019 के फायदे का लाभ उठाकर कर का संदाय करना चाहते हैं, इस प्ररूप के क्रम सं. 5 और 6.1 (iii) पर ऐसा विकल्प उपदर्शित करेंगे।”।

29. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में, -

- (i) “प्ररूप जीएसटी आरईजी-03” शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, “[नियम 9(2), 19(2) और 14क देखें]” कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “[नियम 9(2), 14क, 14ख, 19 और 20 देखें]” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ii) “आपको निदेश दिया जाता है” शब्दों के स्थान पर, “आपसे अनुरोध किया जाता है” शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) “आपको (दिन/मास/वर्ष) को (घंटा:मिनट) पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है” शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;
- (iv) “यदि कोई उत्तर नहीं” शब्दों से आरंभ होने वाले पैरा से पूर्व, निम्नलिखित शब्दों और कोष्ठकों वाला एक पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 “यदि आप व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने की वांछा करते हैं, तो आपको (दिन/मास/वर्ष) को (घंटा:मिनट) पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है।”।

30. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में, -

- (i) “प्ररूप जीएसटी आरईजी-04” शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, “[नियम 9(2), 19(3) और 14क देखें]” कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “[नियम 9(2), 14क, 14ख, 19 और 20 देखें]” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ii) सारणी में, क्रम संख्यांक 4 पर, “(विधिक)” शब्द और कोष्ठकों के पश्चात्, “/ माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम/विशिष्ट पहचान संख्यांक की दशा में अस्तित्व का नाम” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (iii) “टिप्पण” शीर्ष के अधीन, -

(अ) पैरा 2 में, “रजिस्ट्रीकरण” शब्द के पश्चात्, “/ माल और सेवा कर व्यवसायी नामांकन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(आ) पैरा 3 में, “नियम 14क” शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, “नियम 14क / 14ख” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

31. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में, “प्ररूप जीएसटी आरईजी-05” अक्षरों और अंक के पश्चात्, “[नियम 9(4), 19(4), 23(2)(ख) और 14क देखें]” कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “[नियम 9(4), 14क, 14ख, 19, 20 और 23(2)(ख) देखें]” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

32. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-05क
[नियम 14ख, 19(2)(च) और 20(11) देखें]

निर्देश संख्यांक : तारीख—

तक

आवेदक का नाम

पता

जीएसटीआईएन/ यूआईएन/ जीएसटीपी आईडी

संशोधन/ नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ रद्दकरण के लिए आवेदन की नामजूरी की सूचना

यह, एआरएन --- तारीख---- द्वारा फाइल किए गए संशोधन/ नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ रद्दकरण के लिए आपके आवेदन के संदर्भ में है।

आपने निर्देश सं. तारीख.... द्वारा जारी सूचना का उत्तर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 19 के उपनियम (2) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है या

कारबार के मुख्य स्थान से संबंधित व्यौरों के संशोधन के लिए आपका आवेदन नामजूर किए जाने का दायी है, क्योंकि-

क. आपका रजिस्ट्रीकरण, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19/38 निर्देश सं. <निर्देश सं.> तारीख <दिन/मास/वर्ष> द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है; या

ख. उस इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसके भांडागार का पता/विशिष्टियां आपके द्वारा अपने कारबार के मुख्य स्थान के रूप में दी गई हैं और जिसके आधार पर आपके द्वारा नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है; या

ग. उस राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्राहक के रूप में उस इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसके भांडागार का पता/विशिष्टियां आपके द्वारा अपने कारबार के मुख्य स्थान के रूप में दी गई हैं और जिसके आधार पर आपके द्वारा नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्रास किया गया है ; या

घ. नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण में आपके द्वारा चयनित गृह राज्य में रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है ; या

ड. संशोधन के लिए आपके आवेदन में उल्लिखित कारबार के मुख्य स्थान का पता, उस पते से मेल नहीं खाता है जिसके लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक ने अपनी सहमति दी है।

या

जहां भौतिक सत्यापन किया गया है, वहां कारबार के मुख्य स्थान के भौतिक सत्यापन की बाबत नियम 14ख के उपनियम (5) के अनुसार प्रक्रिया, नियम 9 के अनुसार सफलतापूर्वक पूरी नहीं हुई है।

या

नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आपका आवेदन नामंजूर किए जाने का दायी है, क्योंकि-

क. उस इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसके भांडागार का पता/विशिष्टियां आपके द्वारा अपने कारबार के मुख्य स्थान के रूप में दी गई हैं और जिसके आधार पर आपके द्वारा नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है ; या

ख. उस राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्राहक के रूप में उस इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसके भांडागार का पता/विशिष्टियां आपके द्वारा अपने कारबार के मुख्य स्थान के रूप में दी गई हैं और जिसके आधार पर आपके द्वारा नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है ; या

ग. नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आपके आवेदन में आपके द्वारा चयनित गृह राज्य में रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है ; या

घ. रजिस्ट्रीकरण के लिए आपके आवेदन में उल्लिखित कारबार के मुख्य स्थान का पता, उस पते से मेल नहीं खाता है जिसके लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक ने अपनी सहमति दी है।

या

आपने निर्देश सं. तारीख.... द्वारा जारी सूचना का उत्तर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 20 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है।

या

आपके द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आपका आवेदन नामंजूर किए जाने का दायी है, क्योंकि नियम 14ख के अधीन आपका रजिस्ट्रीकरण, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19/38 निर्देश सं. <निर्देश सं.> तारीख <दिन/मास/वर्ष> द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है

अतः, आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा नामंजूर किया जाता है।

यह प्रणाली द्वारा सृजित दस्तावेज है। इस पर किसी भौतिक हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं है।”।

33. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 के स्थान पर,-

(i) निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-14

[नियम 19(1) देखें]

रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों/ माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन

(सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/यूआईएन/जीएसटीपी आईडी			
2. कारबार का नाम/ जीएसटी व्यवसायी का नाम			
3. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार			
4. मोबाइल और ई-मेल पते का सत्यापन (कृपया अनुदेश सं. 3, 4, 5 और 6 देखें)			
(i) प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (स्वतः)			
(ii) प्रवर्तक/भागीदार (स्वतः)			
5. संशोधन सारांश			
क्रम सं.	क्षेत्र का नाम		कारण
6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची		
	(क)		
	(ख)		
	(ग)		
	...		

7. घोषणा

मैं, एतद्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि रजिस्ट्रीकरण प्ररूप में दिए गए व्यौरों में ऐसा परिवर्तन अपेक्षित है, जो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण को आवश्यक नहीं बनाता है और ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेज सामान्य पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं और मैं ऐसे परिवर्तन के कार्यों से आबद्ध होऊंगा। मैं, एतद्वारा, यह भी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख : पदनाम / प्रास्थिति :

संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
2. स्थायी लेखा संख्यांक का आय-कर डाटाबेस से सत्यापन किया जाएगा।
3. संशोधन आवेदन के लिए प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और किसी एक चयनित प्रवर्तक या भागीदार या निदेशक या कर्ता या सदस्य या न्यासी, आदि के मोबाइल संख्या और ई-मेल पते का ऑनलाइन सत्यापन आज्ञापक होगा।
4. प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दी गई किन्हीं विशिष्टियों में किसी परिवर्तन के लिए, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या और ई-मेल पते का ऑनलाइन सत्यापन आज्ञापक है।
5. प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दी गई किन्हीं विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में, जीएसटी व्यवसायी के मोबाइल संख्या और ई-मेल पते का ऑनलाइन सत्यापन आज्ञापक है।
6. मोबाइल संख्या और ई-मेल पते के ऑनलाइन सत्यापन/ ओटीपी अधिप्रमाणन (क्रम सं. 3, 4 और 5 के अनुसार) के लिए, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 दिन दिए जाएंगे। यदि अधिप्रमाणन पूरा नहीं होता है/सफलतापूर्वक नहीं किया जाता है, तो एआरएन सृजित नहीं किया जाएगा।
7. कारबार के मुख्य स्थान या वृत्तिक पते के व्यौरों से संबंधित परिवर्तनों के लिए समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
8. जहां किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी लेखा संख्यांक में परिवर्तन होता है, वहां उक्त व्यक्ति से नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।
9. समय-समय पर यथासंशोधित, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।

10. स्थायी लेखा संख्यांक, निदेशक पहचान संख्यांक, कारपोरेट पहचान संख्यांक से संबंधित सभी सूचना का प्रणाली द्वारा ऑनलाइन विधिमान्यकरण किया जाएगा और आवश्यक क्षेत्र के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् आवेदन निर्देश संख्यांक (एआरएन) सृजित किया जाएगा।

11. आवेदन की प्रास्थिति का पता सामान्य पोर्टल पर लगाया जा सकता है।

12. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है।

13. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा।

14. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप में दी गई किन्हीं विशिष्टियों की बाबत संशोधन आवेदन में अपलोड किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज वही होंगे, जो उक्त विशिष्टियों की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप फाइल करते समय अपेक्षित हैं।

15. रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के दौरान कारबार के मुख्य स्थान के व्यौरों से संबंधित परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।"

(ii) उक्त प्ररूप के अनुदेशों में, क्रम सं. 7 में, 1 दिसंबर, 2026 से, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

"7. कारबार के मुख्य स्थान के व्यौरों से संबंधित परिवर्तनों के लिए, ऐसे करदाता की बाबत के सिवाय, जिसने नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किए हैं और जिसने नियम 14क के उपनियम (5) के अधीन प्रत्याहरण का विकल्प नहीं चुना है, या वृत्तिक पते से संबंधित परिवर्तनों के लिए, समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।"

34. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-15 में, -

(i) "प्ररूप जीएसटी आरईजी-15" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 19(1) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 19(2)(ख) और 19(2)(घ) देखें]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "जीएसटीआईएन / यूआईएन" शब्दों के पश्चात्, "/" जीएसटीपी आईडी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) "संशोधन आदेश" शीर्षक के अधीन, "रजिस्ट्रीकरण" शब्द के पश्चात्, जहां कहीं वह आता है, "/जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

35. मूल नियमों में, 1 दिसंबर, 2026 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-16 में, -

(क) क्रम सं. 6 से संबंधित प्रविष्टियों में, (i) "समापन" शब्द का लोप किया जाएगा, (ii) "कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं रहा" शब्दों के स्थान पर, "धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी नहीं रहा, या धारा 25(3) के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण से बाहर होने का विकल्प" शब्द रखे जाएंगे, (iii) "समामेलन, विलयन/अविलयन, विक्रय, पट्टे के कारण कारबार का अंतरण या अन्यथा व्ययन, आदि" शब्दों का लोप किया जाएगा, (iv) "के कारण ... में" शब्दों के स्थान पर, "के परिणामस्वरूप ... का" शब्द रखे जाएंगे, (v) "एकल स्वत्वधारी की मृत्यु" शब्दों के स्थान पर, "स्वत्वधारी की मृत्यु के कारण कारबार का अंतरण" शब्द रखे जाएंगे, (vi) "किसी अन्य कारण से कारबार का अंतरण, जिसके अंतर्गत अन्य विधिक अस्तित्व के साथ समामेलन, अविलयन या अन्य व्ययन भी है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, (vii) "अन्य (विनिर्दिष्ट करें)" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं. 8 से संबंधित प्रविष्टियों में, "रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना है" शब्दों के स्थान पर, "रद्दकरण चाहा गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम सं. 9 में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(iv)	क्या आप उस अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए विवरणी फाइल की गई है, पश्चात् आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए शून्य विवरणी फाइल करना चाहते हैं?	7. हां 8. नहीं”;
------	---	---------------------

(घ) क्रम सं. 10 और क्रम सं. 11 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“10.	स्टाक में धारित इनपुट, स्टोक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल/संयंत्र और मशीनरी के ब्यौरे, जिन पर इनपुट कर प्रत्यय उलटा जाना और सरकार को वापस संदत्त किया जाना अपेक्षित है											
क्रम सं.	जीएसटीआईएन	बीजक/प्रवेश पत्र	सं.	तारीख	स्टाक में धारित इनपुट, स्टोक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल/संयंत्र और मशीनरी का विवरण	मात्रा की इकाई कोड (यूक्यूसी)	मात्रा	मूल्य (नामे/जमा पत्र द्वारा यथासमायोजित)	इनपुट कर प्रत्यय/संदेय कर (जो भी अधिक हो) (रु.)			
									केंद्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10 (क) स्टोक में धारित इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध है)												

	10 (ख) स्टोक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध है)										
	10 (ग) स्टोक में धारित पूंजी माल/संयंत्र और मशीनरी										
	10 (घ) स्टोक में धारित इनपुट या स्टोक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में यथा अंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध नहीं है)										
	योग										
11.	संदेय और संदत्त कर की रकम (सारणी 10 के आधार पर)										
	क्रम सं.	विवरण	उलटा जाने योग्य आईटीसी/संदेय कर	इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में नामे डालकर संदत्त रकम	इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में नामे डालकर संदत्त रकम						
					केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर			

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केंद्रीय कर						
2.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर						
3.	एकीकृत कर						
4.	उपकर						
5	संदत्त कर की कुल रकम						”.

(ङ) “रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुदेश” शीर्षक के अधीन, अंतिम पैरा के पश्चात्, “रद्दकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व, कृपया उस कर अवधि के लिए, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख आती है, शोध अपनी कर विवरणी फाइल करें [या इस आशय का आवेदन दें कि मध्यवर्ती अवधि (अर्थात् रजिस्ट्रीकरण की तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन की तारीख तक) के दौरान कोई कराधेय पूर्ति नहीं की गई है]।” शब्दों का लोप किया जाएगा, “रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि इस आवेदन के समय संदाय नहीं किया गया है, संदाय करेगा और अधिनियम में यथा उपबंधित अंतिम विवरणी देगा।” शब्दों का लोप किया जाएगा, और निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“

- आवेदक, इनपुट के स्टॉक, अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल/संयंत्र और मशीनरी के ऐसे स्टॉक के ब्यौरे देंगे, जिन पर इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है।
- क्रम सं. 10 पर स्टॉक के ब्यौरे देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है :
- जहां स्टॉक में धारित इनपुट या स्टॉक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं हैं, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल की प्रचलित बाजार कीमत के आधार पर नियम 44 के उपनियम (3) के अधीन रकम का प्राक्कलन करेगा ;

- पूंजी माल/ संयंत्र और मशीनरी की दशा में, उपयोगी जीवन पांच वर्ष मानते हुए, मूल्य, बीजक/क्रय की तारीख से प्रति मास या उसके भाग के लिए 1/60 भाग से घटाया गया बीजक मूल्य होना चाहिए।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से वह तारीख भरना अपेक्षित है, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को यह घोषित करने का विकल्प दिया जाएगा कि क्या वह अंतिम कर अवधि के फाइल किए जाने की तारीख से उस तारीख तक की अवधि के लिए, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, शून्य विवरणी फाइल करना चाहता है।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वह तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, अंतिम कर अवधि के लिए विवरणियां फाइल किए जाने की तारीख से पूर्वतर नहीं हो सकती।
- सारणी 10 और 11, ऐसे करदाताओं या व्यक्तियों द्वारा भरी जानी अपेक्षित नहीं हैं, जो निम्नलिखित के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं -
 1. इनपुट सेवा वितरक ;
 2. धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ;
 3. अनिवासी कराधेय व्यक्ति ;
 4. धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ;
 5. धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ;
 6. भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति ; और
 7. विशिष्ट पहचान संख्यांक रखने वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास।

36. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-17

[नियम 22 देखें]

निर्देश सं. – << तारीख >>

तक

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (जीएसटीआईएन/यूआईएन)

(नाम)

(पता)

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कारण बताओ सूचना

मेरी जानकारी में आई सूचना के आधार पर, यह प्रतीत होता है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने का दायी है :-

(विनिर्दिष्ट कारणों के लिए ड्राप डाउन)

क. कपट, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाकर रजिस्ट्रीकरण अभिप्रास किया है; या

ख. कारबार के घोषित स्थान से कोई कारबार नहीं करता है; या

ग. माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है; या

घ. धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण लिया है और रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार आरंभ नहीं किया है; या

ङ. नियम 23 के उपनियम (1) के तीसरे या चौथे परंतुक के उपबंधों का अतिक्रमण करता है।

1

2

3

....

आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप इस सूचना की तामील की तारीख से सात दिन के भीतर इस सूचना का उत्तर दें।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने की वांछा करते हैं, तो आपको (दिन/मास/वर्ष) को (घंटा:मिनट) पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

-
यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो मामले का विनिश्चय उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर और गुणागुण पर एकपक्षीय रूप से किया जाएगा।

कृपया मामला विनिर्दिष्ट ब्यौरों के लिए संलग्न समर्थक दस्तावेज (दस्तावेजों) को देखें।

हस्ताक्षर
<अधिकारी का नाम>
पदनाम
अधिकारिता

तारीख :

स्थान :

टिप्पण : - आपका रजिस्ट्रीकरण ----- (तारीख) से निलंबित रहेगा।।

37. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-18 में, 1 अप्रैल, 2027 से, “प्ररूप जीएसटी आरईजी-18” शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, “[नियम 22(2) देखें]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “[नियम 22 देखें]” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

38. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 में,-

- (i) “प्ररूप जीएसटी आरईजी-19” शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, “[नियम 22(3) देखें]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “[नियम 20 और 22 देखें]” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ii) “आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख <<दिन/मास/वर्ष>> है।” शब्दों से पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा।

“यह, प्ररूप जीएसटी आरईजी-16 <निर्देश संख्यांक> तारीख <दिन/मास/वर्ष> में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आपके आवेदन के संदर्भ में है

- उक्त आवेदन की परीक्षा करने पर, वह ठीक क्रम में पाया गया है ; या
- आपके द्वारा दिए गए उक्त उत्तर की परीक्षा करने पर, वह समाधानप्रद पाया गया है ; या
- रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आपका आवेदन, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 20 के उपनियम (12) के निबंधनानुसार अनुमोदित किया गया समझा गया है।

○

- (iii) “आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख <<दिन/मास/वर्ष>> है।” शब्दों से पूर्व, “आपका रजिस्ट्रीकरण एतद्वारा रद्द किया जाता है।” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, “यह ध्यान दिया जाए कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से इस आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी देना अपेक्षित है” पैरा के पश्चात्, “, जहां लागू हो।” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और “आपसे अपनी सभी लंबित विवरणियां देना अपेक्षित है” शब्दों के पश्चात्, “, जहां लागू हो।” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

39. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 में, -

(i) “[नियम 22(4) देखें]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “[नियम 22 देखें]” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) “उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग)” शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंक के स्थान पर, “उपधारा (3) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ)” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

40. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-22 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा : -

“

प्ररूप जीएसटी आरईजी-22

[नियम 23(2) और नियम 23क(2) देखें]

निर्देश सं. तारीख

तक

जीएसटीआईएन/यूआईएन

(करदाता का नाम)

(पता)

आवेदन निर्देश सं. (एआरएन) तारीख

नियम 23(2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आदेश

यह, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आपके आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष के संदर्भ में है। आपके आवेदन की परीक्षा की गई है और वह ठीक क्रम में पाया गया है। तदनुसार, आपका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है।

या

नियम 23क(2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आदेश

यह, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आपके आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष के संदर्भ में है। आपने, यथास्थिति, सभी लंबित विवरणियां दे दी हैं या केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 10क के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है और वह ठीक क्रम में पाया गया है। तदनुसार, आपका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है।

हस्ताक्षर
समुचित अधिकारी का नाम
(पदनाम)
अधिकारिता –
तारीख
स्थान

यह प्रणाली द्वारा सृजित आदेश है और नियम 23क के अधीन जारी किए जाने पर इस पर हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं है।”।

41. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी आरईजी – 31
[नियम 21क देखें]

निर्देश सं. तारीख : <दिन><मास><वर्ष>

सेवा में,
जीएसटीआईएन
नाम :
पता :

विषय : नियम 21क के उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन की सूचना और रद्दकरण के लिए सूचना

रजिस्ट्रीकरण निलंबित किए जाने का दायी है, क्योंकि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति :

क. धारा 10 के अधीन कर का संदाय करते हुए, किसी वित्तीय वर्ष की विवरणी उक्त विवरणी देने की नियत तारीख से तीन मास से परे तक नहीं देता है ; या

ख. धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, छह मास की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ; या

ग. धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, दो कर अवधियों की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ; या

घ. नियम 10क के उपबंध का अतिक्रमण करता है।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, नियम 21क के निबंधनानुसार, आपका रजिस्ट्रीकरण इस संसूचना की तारीख से निलंबित रहेगा।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप, यथास्थिति, सभी शोध्य विवरणियां या बैंक खाते के विधिमान्य ब्यौरे, इस सूचना की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर सामान्य पोर्टल पर दें।

4. आपके द्वारा नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर सभी शोध्य विवरणियां या बैंक खाते के विधिमान्य ब्यौरे दिए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण का निलंबन हटा लिया जाएगा।

5. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियम 21क के उपनियम (2) के अधीन निलंबन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर सभी शोध्य विवरणियां या बैंक खाते के विधिमान्य ब्यौरे देने में असफल रहते हैं, तो आपका रजिस्ट्रीकरण नियम 22 के उपनियम (5) के अधीन सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द किया जा सकेगा।

टिप्पण : यह प्रणाली द्वारा सृजित सूचना है और इस पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।”।

42. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-32

[नियम 14क(5) और नियम 14ख देखें]

प्रत्याहरण के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के मुख्य स्थान का पता	

5. नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प	
(i) हां	
(ii) नहीं	
6. नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प	
(i) हां	
(ii) नहीं	
7. नियम 14ख से प्रत्याहरण के पश्चात् कारबार का मुख्य स्थान : इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के भांडागार का पता अनुज्ञात नहीं है। कृपया राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति वाला पता दें।	
8. आधार अधिप्रमाणन	
(i) प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (स्वतः)	
(ii) प्रवर्तक/भागीदार (स्वतः)	
9. नियम 14क से प्रत्याहरण का कारण	<p>i. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्तियों की बाबत आउटपुट कर दायित्व प्रतिमास ₹2.5 लाख से अधिक है।</p> <p>ii. अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें</p>
10. नियम 14ख से प्रत्याहरण का कारण	<p>i. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्तियों की बाबत आउटपुट कर दायित्व प्रतिमास ₹2.5 लाख से अधिक है।</p> <p>ii. इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से भिन्न पूर्तियां करने का आशय रखता है।</p> <p>iii. उसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कारबार का भौतिक स्थान स्थापित करने का आशय रखता है।</p> <p>iv. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।</p>

<p>11. सत्यापन</p> <p>7. मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि मैं नियम 14क के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण करना चाहता हूँ और मैं यह समझता हूँ कि आवेदन के सत्यापन और कारबार के स्थानों के भौतिक सत्यापन तथा तत्स्थानी प्रक्रियाओं और समयावधि से संबंधित नियम 8 के उपनियम (4क), उपनियम (5) और उपनियम (6) के उपबंध और नियम 9 के उपबंध मेरे प्रत्याहरण आवेदन को लागू होंगे।</p> <p>8. मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि मैं नियम 14ख के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण करना चाहता हूँ और मैं यह समझता हूँ कि आवेदन के सत्यापन और कारबार के स्थानों के भौतिक सत्यापन तथा तत्स्थानी प्रक्रियाओं और समयावधि से संबंधित नियम 8 के उपनियम (4क) और उपनियम (5) के उपबंध और नियम 9 के उपबंध मेरे प्रत्याहरण आवेदन को लागू होंगे।</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम पदनाम / प्रास्थिति स्थान तारीख</p>	

प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. 'नियम 14क/ नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प' फ़िल्ड में, सामान्य पोर्टल पर 'हां' विकल्प निष्क्रिय रहेगा।
2. स्थायी लेखा संख्या का आय-कर डाटाबेस से सत्यापन किया जाएगा।
3. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और किसी एक चयनित प्रवर्तक या भागीदार का आधार अधिप्रमाणन आज्ञापक है।
4. नियम 14क के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण के लिए आवेदन करने से पूर्व, आवेदन की तारीख तक सभी लंबित विवरणियां दी जाएंगी। जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 से पूर्व फाइल किया गया है, वहां न्यूनतम तीन मास की अवधि के लिए, और जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् फाइल किया जाता है, वहां न्यूनतम एक कर अवधि के लिए, विवरणियां देना आज्ञापक है। नियम 14ख के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण के लिए आवेदन करने से पूर्व, न्यूनतम एक कर अवधि के लिए विवरणियां देना आज्ञापक है।

5. कृपया सुनिश्चित करें कि प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 फाइल करते समय कोई संशोधन आवेदन लंबित नहीं है।
6. एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 फाइल कर दिए जाने पर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 के अधीन आवेदन के निपटान तक कोई संशोधन आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
7. एआरएन, आधार संख्या के ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन के सफलतापूर्वक पूरा होने या प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन सहित बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् ही सृजित किया जाएगा।
8. कृपया ध्यान दें कि एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 फाइल कर दिए जाने पर, आवेदन के निपटान तक रद्दकरण आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
9. यदि धारा 29 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, तो प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 में प्रत्याहरण के लिए आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।”।

43. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-33 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

10. “प्ररूप जीएसटी आरईजी-33

11. [नियम 14क(10) और नियम 14ख देखें]

निर्देश संख्या - <<>>

तारीख – दिन/मास/वर्ष

सेवा में,

(नाम)

(पता)

रजिस्ट्रीकरण संख्या (जीएसटीआईएन)

आवेदन निर्देश सं. (एआरएन) तारीख – दिन/मास/वर्ष

नियम 14क के उपनियम (1) या नियम 14ख के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण का आदेश

यह, नियम 14क के उपनियम (1) या नियम 14ख के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण के संबंध में नियम 14क के उपनियम (5) या नियम 14ख के उपनियम (20) के अधीन प्रस्तुत आपके आवेदन संख्या----- तारीख के संदर्भ में है। आपके आवेदन की परीक्षा की गई है और उसे नियम 14क के उपनियम (10) या नियम 14ख के उपनियम (26) के उपबंधों के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड के लिए आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
अधिकारिता

तारीख :
स्थान :”।

44. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-33 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-34
[नियम 20(14) देखें]

निर्देश सं. –

<< तारीख >>

सेवा में,
रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (जीएसटीआईएन/यूआईएन)
(नाम)
(पता)

रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए कारण बताओ सूचना

मेरी जानकारी में आई सूचना के आधार पर, यह प्रतीत होता है कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारणों से परिवर्तित किए जाने योग्य है : -

(विनिर्दिष्ट कारणों के लिए ड्राप डाउन)

- क. कपट, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाकर रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है ; या
- ख. कारबार के घोषित स्थान से कोई कारबार नहीं करता है ;
- ग. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है ; या
- घ. धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण लिया है और रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार आरंभ नहीं किया है ; या

आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर इस सूचना का उत्तर दें।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने की वांछा करते हैं, तो आपको (दिन/मास/वर्ष) को (घंटा:मिनट) पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो मामले का विनिश्चय उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर और गुणागुण पर एकपक्षीय रूप से किया जाएगा।

कृपया मामला विनिर्दिष्ट व्यौरों के लिए संलग्न समर्थक दस्तावेज (दस्तावेजों) को देखें।

हस्ताक्षर
<अधिकारी का नाम>
पदनाम
अधिकारिता

स्थान :
तारीख : "।

45. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-34 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-35

[नियम 20(15) देखें]

रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए जारी कारण बताओ सूचना का उत्तर

1. सूचना की निर्देश सं.	जारी करने की तारीख
2. जीएसटीआईएन / यूआईएन	
3. कारबार का नाम (विधिक)	
4. व्यापार नाम, यदि कोई हो	
5. सूचना का उत्तर	
6. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची	

7. सत्यापन
मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम/प्रास्थिति :
स्थान :
तारीख : ”।

46. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-35 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-36

[नियम 20(16)/ नियम 20(19) देखें]

निर्देश सं.-

तारीख : दिन/मास/वर्ष

सेवा में,

<करदाता का नाम>

<करदाता का पता>

जीएसटीआईएन/ यूआईएन : <जीएसटीआईएन संख्या>

कारण बताओ सूचना सं. : <कारण बताओ सूचना संख्या> तारीख : दिन/मास/वर्ष

विषय : रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए कार्यवाहियां समाप्त करने का आदेश

यह, ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में एआरएन.... तारीख..... द्वारा फाइल किए गए आपके उत्तर के संदर्भ में है। आपके उत्तर और/या सुनवाई के दौरान किए गए निवेदनों पर विचार करने पर, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती हैं :

.....

हस्ताक्षर :

< अधिकारी का नाम >

पदनाम :

अधिकारिता :

स्थान :

तारीख : "।

या

यह, ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए आपके उत्तर के संदर्भ में है। रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां एतद्वारा समाप्त की गई समझी जाती हैं।

टिप्पण : यह प्रणाली द्वारा सृजित सूचना है और इस पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं है।

तारीख : "।

47. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-36 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-37

[नियम 20(17)/ नियम 20(18) देखें]

निर्देश संख्या

तारीख

सेवा में,

नाम

पता

जीएसटीआईएन / यूआईएन

आवेदन निर्देश संख्या (एआरएन)

तारीख

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए आदेश

यह, तारीख को जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है।

1. जबकि कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और जबकि, अधोहस्ताक्षरी की, इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है : या
2. जबकि कारण बताओ सूचना का उत्तर <एआरएन संख्या> तारीख द्वारा प्रस्तुत किया गया है ; और जबकि, अधोहस्ताक्षरी की, कारण बताओ सूचना के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है : या
3. जबकि कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नियत दिन को, और जबकि, अधोहस्ताक्षरी की, इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है : या
4. जबकि कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, किंतु आप/ आपका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए और लिखित या मौखिक निवेदन किया ; और जबकि, अधोहस्ताक्षरी की, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए आपके लिखित या मौखिक निवेदन की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है : या
5. जबकि कारण बताओ सूचना का उत्तर <एआरएन संख्यांक> तारीख द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किंतु, आप या आपका प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुसूचित या विस्तारित तारीख को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए ; और जबकि, अधोहस्ताक्षरी की, कारण बताओ सूचना के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है : या
6. जबकि कारण बताओ सूचना का उत्तर <एआरएन संख्यांक> तारीख द्वारा प्रस्तुत किया गया है और आप/ आपका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिखित/मौखिक निवेदन किया ; और जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ सूचना के आपके उत्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय किए गए निवेदनों की परीक्षा की है और उसकी यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है :

आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख <<दिन/मास/वर्ष>> है।

कृपया मामला विनिर्दिष्ट व्यौरों के लिए संलग्न समर्थक दस्तावेज (दस्तावेजों) को देखें।

यह ध्यान दिया जाए कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से इस आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी देना अपेक्षित है।

म. आपसे अपनी सभी लंबित विवरणियां देना अपेक्षित है।

य. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण, रद्दकरण की तारीख से पूर्व की किसी अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का संदाय करने या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी बाध्यता का निर्वहन करने के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्यों का अवधारण रद्दकरण की तारीख से पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात्।

हस्ताक्षर :

< अधिकारी का नाम>

पदनाम :

अधिकारिता :

स्थान :

तारीख : ”।

48. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-37 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप जीएसटी आरईजी-38

[नियम 14ख, 20 और 22 देखें]

संदर्भ सं.- ...

तारीख : दिन/मास/वर्ष

सेवा में जीएसटीआईएन/ यूआईएन :

कारण बताओ सूचना सं. :

तारीख : दिन/मास/वर्ष

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण

7. यह, आपके द्वारा संदर्भ संख्यांक तारीख दिन/मास/वर्ष द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन के संदर्भ में है। रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण को आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख/उस तारीख से, जिससे रद्दकरण चाहा गया है, रद्द किया गया समझा जाता है।

अथवा

7. यह, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 21क के उपनियम (2) के उपबंध के उल्लंघन के लिए आरईजी-31 में संदर्भ संख्या तारीख दिन/मास/वर्ष द्वारा जारी सूचना के संदर्भ में है। जबकि उक्त सूचना के प्रत्युत्तर में लंबित विवरणियां फाइल नहीं की गई हैं या बैंक खाते के विधिमान्य ब्यौरे नहीं दिए गए हैं, अतः रजिस्ट्रीकरण को केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 22 के उपनियम (5) के अधीन तारीख से रद्द किया गया समझा जाता है।

या

7. नियम 14ख के अधीन अभिप्रास रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया समझा जाता है, क्योंकि-

(क) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अपने उस भांडागार से, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपने कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित किया गया है, उसके माध्यम से माल की पूर्ति करने के लिए दी गई अनुमति प्रत्याहृत कर लेता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण, जिसके अंतर्गत धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए सहबद्ध रजिस्ट्रीकरण भी है, रद्द कर दिया गया है और उक्त

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, अनुमति के प्रत्याहरण या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर उपनियम (15) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के व्यौरों के संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया है ; या

(ख) गृह राज्य में अभिप्राप्त वह रजिस्ट्रीकरण, जिसे घोषित करके इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, रद्द कर दिया गया है ; या

(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित पते के परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का आवेदन अनुमोदित कर दिया गया है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे तदनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण का संशोधन करना अपेक्षित है, ऐसे अनुमोदन के तीस दिन के भीतर अपेक्षित संशोधन आवेदन फाइल करने में असफल रहा है।

2. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण, रद्दकरण की तारीख से पूर्व की किसी अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का संदाय करने या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी बाध्यता का निर्वहन करने के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्यों का अवधारण रद्दकरण की तारीख से पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात्।

स्थान :

तारीख :

*यह प्रणाली द्वारा सृजित आदेश है और इस पर किसी हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं है।"

49. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में, "प्ररूप जीएसटीआर-3ख" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 61(5) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 61(1) देखें]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

50. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-4 में, -

(i) सारणी संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	विवरण	मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	माल की जावक पूर्तियां (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित)					
1(क)	सेवाओं की जावक पूर्तियां (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित) किंतु (किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई सेवाओं की उन पूर्तियों को छोड़कर, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है)					
1(ख)	किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई सेवाओं की जावक पूर्तियां, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है।					
2	प्रतिलोम प्रभार आकर्षित करने वाली आवक पूर्तियां, जिनके अंतर्गत सेवाओं का आयात भी है					

3	संदेय कर (1+1(क)+2)					
4	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5	संदस्त कर और ब्याज					”,”

(ii) “अनुदेश” शीर्ष के अधीन, क्रम संख्यांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“5क करदाता, माल की पूर्ति के लिए जावक पूर्तियों (और उनके समायोजनों) (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित) की रिपोर्ट अभिहित स्तंभ में करेगा।

5ख सेवाओं की जावक पूर्तियों (और उनके समायोजनों) की, जिनके अंतर्गत छूट प्राप्त पूर्तियां भी हैं किंतु जिनमें सेवाओं की वह पूर्ति सम्मिलित नहीं है जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, रिपोर्ट सारणी 1(क) में की जानी है

5ग करदाता, सेवाओं की उन जावक पूर्तियों (और उनके समायोजनों) की, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, रिपोर्ट सारणी 1(ख) में पृथक् रूप से करेगा। संविरचना करदाताओं से ऐसी पूर्तियों पर कर दायित्व का निर्वहन करना अपेक्षित नहीं है ; तथापि, अनुपालन और रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए इन पूर्तियों को उनके वार्षिक सकल आवर्त की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।”

51. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-4क में, “प्ररूप जीएसटीआर-4क” शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, “[नियम 59(3) और 66(2) देखें]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “[नियम 60(1) देखें]” कोष्ठको, शब्दों और अंकों रखे जाएंगे।

52. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-5 में, “अनुदेश” शीर्ष के अधीन, क्रम संख्यांक 3 में, “20” अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “13” अंकों और अक्षरों रखे जाएंगे।

53. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-6 में, -

(i) सारणी 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों तथा सारणी 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) सारणी 8 में, “सारणी सं. 6” शब्दों और अंक के पश्चात्, “और 7” शब्द और अंक का लोप किया जाएगा ;

(iii) “अनुदेश :-” शीर्ष के अधीन, -

(अ) क्रम संख्यांक 6 में, “अपनी इकाइयों” शब्दों के पश्चात्, “उसी कर अवधि में जिसमें आवक पूर्तियां प्राप्त की गई हैं” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(आ) क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों तथा क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

54. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-6क में, -

(i) “प्ररूप जीएसटीआर-6क” शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, “[नियम 59(3) और 65 देखें]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “[नियम 60(1) और नियम 65 देखें]” कोष्ठको, शब्दों और अंकों रखे जाएंगे ;

(ii) “स्वतः प्रारूपित प्ररूप पूर्तियों के ब्यौरे” शब्दों के पश्चात्, “(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1क, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 से स्वतः प्रारूपित)” कोष्ठकों, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1क और जीएसटीआर-5 से स्वतः प्रारूपित)” कोष्ठको, शब्दों, अक्षरों और अंकों रखे जाएंगे।

55. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-7क में, 1 जनवरी, 2027 से, सारणी संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

“7. पूर्तियों और काटे गए कर की रकम के ब्यौरे -

बीजक/ दस्तावेज के ब्यौरे			रकम (स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी कटौतीकर्ता को संदत्त) (₹)	स्रोत पर काटे गए कर की रकम (₹)		
सं.	तारीख	मूल्य		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7
						”;

56. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, “अनुदेश” शीर्ष के अधीन, -

(i) पैरा 4 में, -

(अ) “या वित्तीय वर्ष 2024-25” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, “या वित्तीय वर्ष 2025-26 से आगे” शब्दों, अक्षरों और अंकों अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) सारणी में, -

(I) दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक “5घ, 5ड और 5च” के सामने, “वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25” अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, “वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 से आगे” अक्षरों, अंकों और शब्दों रखे जाएंगे ;

(II) दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक 5ज, 5झ और “5ज और 5ट” के सामने, “2023-24 और 2024-25” अंकों और शब्द के स्थान पर, “2023-24, 2024-25 और 2025-26 से आगे,” अंको और शब्दों रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 5 में, दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक 6ख, 6ग और 6घ के सामने, “2023-24 और 2024-25” अंकों और शब्द के स्थान पर, “2023-24, 2024-25 और 2025-26 से आगे,” अंको और शब्दों रखे जाएंगे ;

(iii) पैरा 8 में, दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक “15क, 15ख, 15ग और 15घ”, “15ड, 15च और 15छ”, 16क, 16ख, 16ग और “17 और 18” के सामने, “2023-24 और 2024-25” अंकों और शब्द के स्थान पर, “2023-24, 2024-25 और 2025-26 से आगे,” अंको और शब्दों रखे जाएंगे।

57. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, “अनुदेश” शीर्ष के अधीन, -

(i) पैरा 4 में, दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक 5ख, 5ग, 5घ, 5ड, 5च, 5ज, 5झ, 5ज, 5ट, 5ठ, 5ड और 5ड के सामने, “2023-24 और 2024-25” अंकों और शब्द के स्थान पर, “2023-24, 2024-25 और 2025-26 से आगे,” अंको और शब्दों रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 6 में, दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक 14 के सामने, “2023-24 और 2024-25” अंकों और शब्द के स्थान पर, “2023-24, 2024-25 और 2025-26 से आगे,” अंको और शब्दों रखे जाएंगे।

58. मूल नियमों में, 1 दिसंबर, 2026 से, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01

[नियम 89(1), 89(1क) और 89(1ख) देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

(आकस्मिक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर कटौतीकर्ता, कर संग्राहक, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति के लिए लागू)

1.	जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी							
2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो							
4.	फाइल करने की तारीख को रजिस्ट्रीकरण की वर्तमान प्रास्थिति							
5.	पता							
6.	कर अवधि (यदि लागू हो)	<वर्ष><मास> से <वर्ष><मास> तक						
7.		अधिनियम	कर	व्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
		केंद्रीय कर						
	दावा की गई प्रतिदाय की रकम (रु.)	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		योग						
8.	प्रतिदाय दावे का आधार (ड्राप डाउन में से चयन करें)	(क)	इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अधिक अतिशेष					
		(ख)	सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय सहित					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय के बिना (संचित आईटीसी) क्या पूंजी माल पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है? हां/नहीं					
		(घ)	आदेश के मद्दे					

क्रम सं.	आदेश का प्रकार	आदेश सं.	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय संदर्भ सं., यदि कोई हो
i.	निर्धारण				
ii.	अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाना				
iii.	अपील				
iv.	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)				
(ङ)	प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी, (च) में उल्लिखित प्रवर्ग के अधीन फाइल किए गए प्रतिदाय के सिवाय। [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)] क्या पूंजी माल पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है? हां/नहीं ☐				
(च)	प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी, जहां संचित आईटीसी में अधिसूचना सं. 40/2017-के.क.(द), तारीख 23.10.2017 या अधिसूचना सं. 41/2017-ए.क.(द), तारीख 23.10.2017 के मद्दे की गई पूर्ति अंतर्वर्तित है। [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)] क्या पूंजी माल पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है? हां/नहीं ☐				
(छ)	विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के मद्दे (कर के संदाय सहित)				
(ज)	विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के मद्दे (कर के संदाय के बिना) क्या पूंजी माल पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है? हां/नहीं ☐				
(झ)	समझे गए निर्यात की पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता/ समझे गए निर्यात की पूर्तियों का प्रदायकर्ता				
(ञ)	किसी राज्यांतरिक पूर्ति पर संदत्त कर, जिसे पश्चात्पूर्ति रूप से अंतरराज्यिक पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है और विलोमतः (पूर्ति के स्थान में परिवर्तन)				
(ट)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो				
(ठ)	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रतिदाय				
(ड)	कर के संदाय के बिना विद्युत का निर्यात (संचित आईटीसी) क्या पूंजी माल पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है? हां/नहीं ☐				

9	बैंक खाते के ब्यौरे	(ढ)	निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में ऊर्ध्वमुखी संशोधन पर संदत्त अतिरिक्त एकीकृत कर			
		(ण)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
		बैंक का नाम	शाखा का पता	आईएफएससी	खाते का प्रकार	खाता सं.
10.	<p>नियम 89(2)(ड) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र, यदि लागू हो</p> <p>यूडीआईएन सं. : तारीख : फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. : आईसीएआई नामांकन सं. : चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम : (यह प्रमाणपत्र उन आवेदकों द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है, जो धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं।) चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र का संलग्नक (उपाबंध 2)</p>					

कारबार के क्रियाकलाप की प्रकृति/कारबार के क्रियाकलाप की संक्षिप्त रूपरेखा [वैकल्पिक] :

(1000 से अनधिक शब्दों में) :

<p>घोषणा- क [धारा 54(3) का पहला परंतुक, नियम 89(4) और 89(5)]</p> <p>धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय में धारा 17(5) के अधीन अनुपलब्ध आईटीसी सम्मिलित नहीं है।</p> <p>धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय में (1) धारा 17(5) के अधीन अनुपलब्ध आईटीसी और (2) 'शून्य' दर वाली या पूर्णतः छूट प्राप्त पूर्तियां करने के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी सम्मिलित नहीं है।</p>

घोषणा - ख [नियम 89(2)(च)]

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आने वाली माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की बाबत विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर संगृहीत नहीं किया गया है।

घोषणा - ग [नियम 89(1) का दूसरा परंतुक]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/प्रदायकर्ता के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किए जाने की दशा में

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है जिनका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, विवरण 5ख में दिया गया है और रकम, उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि प्रदायकर्ता ने उक्त पूर्तियों की बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किए जाने की दशा में

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है जिनका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, विवरण 5ख में दिया गया है। मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों की बाबत किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर कोई इनपुट कर प्रत्यय भी प्राप्त नहीं किया है।

घोषणा - घ [धारा 54(4) और नियम 89(2)(ठ)]

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि प्रतिदाय आवेदन में दावा किए गए कर, ब्याज या किसी अन्य रकम की बाबत रु.--/ के प्रतिदाय की बाबत, ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित नहीं किया गया है।

(यह घोषणा उन आवेदकों द्वारा दी जानी अपेक्षित नहीं है, जो धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं)

घोषणा - ङ [नियम 91(1)]

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें, उस कर अवधि के, जिससे प्रतिदाय का दावा संबंधित है, ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान, अधिनियम के अधीन या किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए, जहां अपवंचित कर की रकम पांच सौ लाख रुपए से अधिक है, अभियोजित नहीं किया गया है।

वचनबंध - क

मैं/हम एतद्वारा वचन देता हूँ/देते हैं कि केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96ख के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्त न होने की दशा में, मंजूर की गई प्रतिदाय की रकम, ब्याज सहित, सरकार के पास जमा करूंगा/करेंगे।

वचनबंध - ख

मैं/हम एतद्वारा वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि पश्चात्पूर्ति रूप से यह पाया जाता है कि प्रतिदत्त रकम की बाबत केंद्रीय माल और सेवा कर/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है, तो मंजूर की गई प्रतिदाय की रकम, ब्याज सहित, सरकार को वापस संदत्त करूंगा/करेंगे।

11. सत्यापन

मैं/हम <करदाता का नाम> सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस मद्दे कोई प्रतिदाय मेरे/हमारे द्वारा पहले प्राप्त नहीं किया गया है।

-
स्थान
तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

प्रतिदाय का प्रकार : प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(रकम रु. में)

[illegible]

विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(रकम रु. में)

कर/उपकर	माल और सेवाओं की प्रत्यावर्तित दर पूर्ति का आवर्त	माल और सेवाओं की ऐसी प्रत्यावर्तित दर पूर्ति पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त (3=3क+3ख+3ग)			शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	इनपुट और इनपुट सेवाओं पर आईटीसी	दावा की जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय रकम [[$(1 \times 4 + 3) - 2$]
			माल और सेवाओं की गैर शून्य दर पूर्ति	माल की शून्य दर पूर्ति	सेवाओं की शून्य दर पूर्ति			
1क	1	2	3क	3ख	3ग	4	4क	5
एकीकृत कर					-			
केंद्रीय कर								
राज्य / संघ								
राज्यक्षेत्र कर								
उपकर								
योग								

प्रतिदाय का प्रकार : उन मामलों में प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी, जहां माल की पूर्ति अधिसूचना सं. 40/2017-के.क.(द), तारीख 23.10.2017 और अधिसूचना सं. 41/2017-ए.क.(द), तारीख 23.10.2017 के अधीन की गई है (धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii))

[illegible]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

[illegible]

विवरण 3 [नियम 89(2)(ख) और नियम 89(2)(ग)]
प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु. में)

क्रम सं.	दस्तावेज के ब्यौरे				माल/ सेवाएं (मा/से)	एचएसएन/ एसएसी	पोत परिवहन बिल/निर्यात बिल				ईजीएम के ब्यौरे		बीआरसी / एफआईआरसी		
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य			पत्तन कोड	सं.	तारीख	पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य	निर्देश सं.	तारीख	सं.	तारीख	मूल्य
1	2	3	4	5	6	6क	7	8	9	10	11	12	13	14	15

विवरण-3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु. में)

कर/उपकर	माल और सेवाओं की शून्य दर पूर्ति का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त (3=3क+3ख+3ग)			प्रतिदाय रकम (1x2÷3)
			माल और सेवाओं की गैर शून्य दर पूर्ति	माल की शून्य दर पूर्ति	सेवाओं की शून्य दर पूर्ति	
1क	1	2	3क	3ख	3ग	4
एकीकृत कर					-	
केंद्रीय कर						
राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर						
उपकर						
योग						

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना विद्युत का निर्यात (संचित आईटीसी)

[illegible]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के संबंध में (कर के संदाय पर)

[illegible]

विवरण 5 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ङ)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के संबंध में (कर के संदाय के बिना)

(रकम रु. में)

क्रम सं.	दस्तावेज के ब्यौरे					माल/ सेवा (मा/से)	पोत परिवहन बिल/ निर्यात बिल (माल की पूर्ति की दशा में)/ विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक (सेवाओं की पूर्ति की दशा में)			प्रदायकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को किए गए संदायों के ब्यौरे				
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	एचएसएन/एसएसी		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संव्यवहार आईडी सं.	तारीख	रकम	बैंक खाता सं.	आईएफएससी कोड
1	2	3	4	5	5क	6	6क	7	8	9	10	11	12	13

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के संबंध में (संचित आईटीसी)

(रकम रु. में)

कर/उपकर	माल और सेवाओं की शून्य दर पूर्ति का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त (3=3क+3ख+3ग)			प्रतिदाय रकम (1x2÷3)
			माल और सेवाओं की गैर शून्य दर पूर्ति	माल की शून्य दर पूर्ति	सेवाओं की शून्य दर पूर्ति	
1क	1	2	3क	3ख	3ग	4
एकीकृत कर						
केंद्रीय कर						
राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर						
उपकर						
योग						

प्रतिदाय का प्रकार : प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए समझे गए निर्यात के संबंध में

[illegible]

प्रतिदाय का प्रकार : प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए समझे गए निर्यात के संबंध में

[illegible]

प्रतिदाय का प्रकार : पूर्ति के स्थान में परिवर्तन के संबंध में (अंतरराज्यिक से राज्यांतरिक और विलोमतः)

[illegible]

संव्यवहार, जिन्हें पश्चात्पूर्ति रूप से अंतरराज्यिक / राज्यांतरिक पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया					
अंतर/अंतरा	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पूर्ति का स्थान
15	16	17	18	19	20

विवरण-7

[नियम 89(2)(ट)]

प्रतिदाय का प्रकार : फाइल की गई अंतिम विवरणी की दशा में, कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो।

(रकम रु. में)

[illegible]

विवरण-8

[नियम 89(2)(टक)]

प्रतिदाय का प्रकार : अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए प्रतिदाय

(रकम रु. में)

[illegible]

(रकम रु. में)

[illegible]

विवरण 10 [नियम 89(4) और 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना शून्य दर पूर्तियां (संचित आईटीसी) या प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी

पूंजी माल पर प्राप्त पात्र इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय

क्रम सं.	प्रदायकर्ता जीएसटीआईएन का	पूंजी माल के बीजक के ब्यौरे					जीएसटीआर-2ख अवधि	पूंजी माल की आवक पूर्ति पर कर			सुसंगत अवधि के लिए उलटा गया आईटीसी			सुसंगत अवधि के लिए पूंजी माल का शुद्ध आईटीसी
		दस्तावेज का प्रकार	नहीं तारीख	मूल्य	एचएसएन			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		बीजक/जमा पत्र/नामे पत्र/प्रवेश पत्र												

उपाबंध-2**प्रमाणपत्र [नियम 89(2)(ड)]**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स----- (आवेदक का नाम) जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी----- द्वारा कर अवधि < ----> के लिए दावा किए गए रु.<<>> ----- (शब्दों में) के प्रतिदाय की बाबत, कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित नहीं किया गया है। यह प्रमाणपत्र, आवेदक द्वारा अनुरक्षित/दी गई लेखा बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों और विवरणियों की विशिष्टियों की परीक्षा पर आधारित है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट/ लागत लेखाकार के हस्ताक्षर :

नाम :

यूडीआईएन सं. :

फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. :

आईसीएआई नामांकन सं.

स्थान :

तारीख :

टिप्पण - यह प्रमाणपत्र उस आवेदक द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है, जो अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा कर रहा है।

उपाबंध-3

उपाबंध - 3 (नियम 89(2)(ढ))

अनुपयोजित आईटीसी के प्रतिदाय के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवक पूर्तियों का विवरण

क्रम सं.	विशिष्टियां	कुल केंद्रीय कर	कुल राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	कुल एकीकृत कर	कुल उपकर
(1)	यूटिलिटी में उल्लिखित बीजकों के अनुसार कुल आईटीसी				
(2)	केंद्रीय माल और सेवा कर नियमों के नियम 38, 42 और 43 तथा धारा 17(5) के अनुसार उलटाव				
(3)	उलटाव - अन्य				
	उलटावों के पश्चात् शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय (1)-(2)-(3)				

क्रम सं.	आवक पूर्ति का प्रकार*	दस्तावेज का प्रकार*	प्रदायकर्ता का नाम	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज के ब्यौरे				आवक पूर्तियों का प्रवर्ग	एचएसएन/एसएसी	संदत्त कुल कर				संदत्त कुल कर (12+13+14+15)*	क्या धारा 17(5) के अधीन आईटीसी उपलब्ध नहीं है*	आईटीसी के लिए पात्र	आईटीसी की रकम	जीएसटीआर-2ख विवरणी अवधि * (मास-वर्ष)
					दस्तावेज सं./ प्रवेश पत्र सं.	पत्तन कोड*	तारीख	कराधेय मूल्य			केंद्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																हां/नहीं	हां/नहीं/आंशिक		

उपाबंध-4

इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के लिए उत्पादन संयंत्रों (परमाणु, गैस, घरेलू लिंकेज कोयला, मिश्रित ईंधन के सिवाय ईंधन का उपयोग करने वाले) द्वारा निर्यात की गई विद्युत के लिए अनुसूचित ऊर्जा का विवरण

-
1. वह मास जिसमें विद्युत का निर्यात किया गया : (मास/वर्ष)
 2. उत्पादन केंद्र का नाम और अवस्थिति : (उत्पादन केंद्र, जिला, राज्य का नाम प्रविष्ट करें)
 3. कंपनी का नाम : (कंपनी का नाम प्रविष्ट करें)
 4. कंपनी का जीएसटीआईएन : (कंपनी का जीएसटीआईएन प्रविष्ट करें)
 5. उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता : (मेगावाट में संस्थापित क्षमता प्रविष्ट करें)
 6. संयोजन बिंदु, राज्य और क्षेत्र : ("एसटीयू/आईएसटीएस" विनिर्दिष्ट करें – उप-केंद्र का नाम प्रविष्ट करें), राज्य, क्षेत्र
 7. मास के दौरान अनुसूचित ऊर्जा के ब्यौरे :

घरेलू	
घरेलू अस्तित्व का नाम	अनुसूचित ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)
-	-
घरेलू विक्रय का उप-योग (क)	
सीमापार	
-	-
निर्यात का उप-योग (ख)	
उत्पादन केंद्र की कुल अनुसूचित ऊर्जा (ग=क+ख)	(उप-योग-क और उप-योग-ख का योग प्रविष्ट करें)

टिप्पण : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 की धारा 6.1 (घ) के अधीन पूरक वाणिज्यिक तंत्र के अनुसार, हिताधिकारी, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की सुसंगत संविदाओं/ आदेशों के अनुसार, अनुसूचित प्रेषण के लिए ऊर्जा प्रभारों का संदाय करेंगे।

अनुदेश

1. प्रतिदाय आवेदन के साथ उपलब्ध कराए जाने वाले सभी विवरणों/घोषणाओं/वचनबंधों/प्रमाणपत्रों और अन्य समर्थक दस्तावेजों की सूची, इन अनुदेशों से संलग्न उपाबंध में देखी जा सकती है।
2. उन मामलों में, जहां प्रत्यय, आउटपुट पूर्तियों पर कर की दर की तुलना में इनपुट पर कर की दर के अधिक होने के कारण और आउटपुट पूर्तियों के किसी ऐसी रियायती अधिसूचना के अधीन किए जाने के कारण, जिसके कारण आउटपुट पूर्तियों पर कर की दर इनपुट पर कर की दर से कम है, दोनों के संबंध में संचित हुआ है, वहां प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन संचयन की सुभिन्न रूप से पहचान करते हुए पृथक् प्रतिदाय आवेदन फाइल किए जाएंगे। ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सुसंगत प्रवर्ग से संबंधित जावक पूर्तियों के ब्यौरे अनन्य रूप से संबंधित विवरण, अर्थात् विवरण 1क या विवरण 1ख में दिए जाएं। इसके अतिरिक्त, जावक पूर्ति के ब्यौरों का उसी पंक्ति में आवक पूर्ति के ब्यौरों के ठीक तत्स्थानी होना आवश्यक नहीं है।
3. अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, पूर्तियों के मदवार ब्यौरे उपाबंध-3 में भरे जाने अपेक्षित हैं।
4. आवेदन फाइल करते समय इलेक्ट्रानिक प्रत्यय या नकद खाते में नामे प्रविष्टि की जाएगी।
5. यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, तो प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।
6. आईजीएसटी के संदाय सहित माल के निर्यात पर प्रतिदाय के दावे पर इस आवेदन के माध्यम से कार्रवाई नहीं की जाएगी।
7. बैंक खाते के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण डाटा के अनुसार होने चाहिए। बैंक ब्यौरों में किसी परिवर्तन को आवेदन में उद्धृत करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधित किया जाएगा।
- 8क. प्रत्यावर्तित शुल्क संरचना के मद्दे संचित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय दावे की दशा में, शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय से इनपुट, इनपुट सेवाओं (जिनकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय 1 नवंबर, 2026 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है) और पूंजी माल (जिसकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है) पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है।
- 8ख. शून्य दर पूर्तियों के मद्दे संचित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय दावे की दशा में, शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय से इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजी माल (जिसकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है) पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है।
9. समायोजित कुल आवर्त का वही अर्थ होगा, जो नियम 89(4)(उ) में परिभाषित है।
10. विवरण-1क के प्रयोजन के लिए, प्रतिदाय दावा, जीएसटीआर-1 में, यदि कोई हो, जीएसटीआर-1क द्वारा यथासंशोधित, रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा।
11. जहां सेवाओं के निर्यात के विरुद्ध प्रतिदाय का दावा किया गया है, वहां बीआरसी या एफआईआरसी के ब्यौरे आज्ञापक होंगे, जबकि माल के निर्यात की दशा में पोत परिवहन बिल और ईजीएम के ब्यौरे उपलब्ध कराना आज्ञापक होगा।
12. जहां बीजक के ब्यौरे (निर्यात सहित) संशोधित किए जाते हैं, वहां प्रतिदाय संशोधित मूल्य पर आधारित गणना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।
13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे विवरण-3 में रिपोर्ट किए जाएंगे।
14. कर के संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों की दशा में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलब्धता की गणना नियम 89(4) में विहित सूत्र के अनुसार की जाएगी।
15. माल और सेवाओं की शून्य दर पूर्ति के आवर्त का वही अर्थ होगा, जो नियम 89(4) में परिभाषित है।

क्रम सं.	प्रतिदाय का प्रकार	विवरण/घोषणा/वचनबंध/ प्रमाणपत्र/ समर्थक दस्तावेज
1.	सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय सहित	<p>a. विवरण 2 (जावक पूर्तियों का विवरण) : प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा।</p> <p>ख. घोषणा ड (अभियोजन न किए जाने की घोषणा) और वचनबंध ख।</p>
2.	माल/ सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय के बिना (संचित आईटीसी)	<p>a. विवरण 3 (जावक पूर्तियों का विवरण) : प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा।</p> <p>b. विवरण 3क (प्रतिदाय रकम की गणना) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्तंभ 1, प्ररूप जीएसटीआर 1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। • स्तंभ 2, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ग में यथा रिपोर्ट किए गए उपलब्ध शुद्ध आईटीसी के मूल्य से अधिक नहीं होगा। • स्तंभ 3, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। <p>c. उपाबंध 3 (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है।</p> <p>d. घोषणा क (इनपुट कर प्रत्यय की पात्रता के संबंध में घोषणा) और वचनबंध क और ख।</p> <p>अन्य समर्थक दस्तावेज : गैर-ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए माल के निर्यात की दशा में, पोत परिवहन बिल की प्रति।</p>
3.	प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचयन के मद्दे अनुपयोजित आईटीसी का प्रतिदाय	<p>क. विवरण 1क (आवक और जावक पूर्तियों का विवरण) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है। • प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। <p>ख. विवरण 1 (प्रतिदाय रकम की गणना) : स्तंभ 3, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा।</p> <p>ग. उपाबंध 3 (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है।</p> <p>घ. घोषणा क (इनपुट कर प्रत्यय की पात्रता के संबंध में घोषणा) और वचनबंध ख।</p>
4.	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई	<p>क. विवरण 5 (जावक पूर्तियों का विवरण) : प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा।</p> <p>ख. विवरण 5क (प्रतिदाय रकम की गणना) :</p>

	पूर्तियों के संबंध में (कर के संदाय के बिना)	<ul style="list-style-type: none"> • स्तंभ 1, प्ररूप जीएसटीआर 1 की सारणी 6ख में यथा रिपोर्ट किए गए अनुसार भरा जाएगा। • स्तंभ 2, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ग में यथा रिपोर्ट किए गए उपलब्ध शुद्ध आईटीसी के मूल्य से अधिक नहीं होगा। • स्तंभ 3, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 में यथा रिपोर्ट किए गए अनुसार भरा जाएगा। <p>ग. उपाबंध 3 (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के व्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है।</p> <p>घ. घोषणा क (इनपुट कर प्रत्यय की पात्रता के संबंध में घोषणा), घोषणा ख (विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता से कर के संग्रहण के संबंध में घोषणा) और वचनबंध का।</p> <p>ड. संदाय का सबूत (सेवाओं की पूर्ति की दशा में)</p>
5.	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के संबंध में (कर के संदाय सहित)	<p>क. विवरण 4 (जावक पूर्तियों का विवरण) : प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा।</p> <p>ख. घोषणा ख (विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता से कर के संग्रहण के संबंध में घोषणा), घोषणा ड (अभियोजन न किए जाने की घोषणा) और वचनबंध ख।</p> <p>ग. संदाय का सबूत (सेवाओं की पूर्ति की दशा में)</p>
6.	प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी, जहां संचित आईटीसी में रियायती दर अधिसूचनाओं के संबंध में की गई पूर्ति अंतर्वर्तित है [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]	<p>क. विवरण 1ख (जावक पूर्तियों का विवरण) :</p> <p>क. प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4 में रिपोर्ट की गई रियायती दर पर पूर्तियों पर आधारित होगा।</p> <p>ख. उक्त जावक पूर्तियों की बाबत प्राप्तिकर्ता द्वारा फाइल किए गए पोत परिवहन बिल/निर्यात बिल और ईजीएम के व्यौरे भरे जाएंगे।</p> <p>ख. विवरण 1 (प्रतिदाय की गणना) : स्तंभ 3, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा।</p> <p>ग. उपाबंध 3 (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के व्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है।</p> <p>घ. घोषणा क (इनपुट कर प्रत्यय की पात्रता के संबंध में घोषणा) और वचनबंध ख।</p>
7.	कर के संदाय के बिना विद्युत का निर्यात (संचित आईटीसी)	<p>क. विवरण 3 (जावक पूर्तियों का विवरण) : प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा।</p> <p>ख. विवरण 3क (प्रतिदाय रकम की गणना) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्तंभ 1, प्ररूप जीएसटीआर 1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। • स्तंभ 2, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ग में यथा रिपोर्ट किए गए उपलब्ध शुद्ध आईटीसी के मूल्य से अधिक नहीं होगा। • स्तंभ 3, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा।

		<p>ग. विवरण 3ख (विद्युत के निर्यात के लिए बीजकों का विवरण)</p> <p>घ. उपाबंध 3 (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है।</p> <p>ड. वचनबंध क और वचनबंध ख</p> <p>च. उत्पादन संयंत्रों द्वारा निर्यात की गई विद्युत के लिए अनुसूचित ऊर्जा का विवरण (उपाबंध 4 के रूप में संलग्न रूपविधान में)।</p>
8.	समझे गए निर्यात की पूर्तियों पर संदत्त कर का प्रदायकर्ता को प्रतिदाय	<p>क. विवरण 5ख (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है।</p> <p>ख. घोषणा ग (प्रदायकर्ता द्वारा समझे गए निर्यात की बाबत घोषणा) और वचनबंध ख।</p> <p>ग. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2)।</p> <p>घ. अधिसूचना सं. 49/2017-केंद्रीय कर, तारीख 18.10.2017 के अधीन अपेक्षित दस्तावेज।</p>
9.	समझे गए निर्यात की पूर्तियों पर संदत्त कर का प्राप्तिकर्ता को प्रतिदाय	<p>क. विवरण 5ख (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है।</p> <p>ख. घोषणा ग (प्राप्तिकर्ता द्वारा समझे गए निर्यात की बाबत घोषणा) और वचनबंध ख।</p> <p>ग. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2)।</p> <p>घ. परिपत्र सं. 14/14/2017-जीएसटी, तारीख 06.11.2017 के अधीन अपेक्षित दस्तावेज।</p>
10.	किसी राज्यांतरिक पूर्ति पर, जिसे पश्चात्पूर्ति रूप से अंतरराज्यिक पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है और विलोमतः, संदत्त कर का प्रतिदाय	<p>क. विवरण 6 (पहले और पश्चात्पूर्ति रूप से राज्यांतरिक/अंतरराज्यिक माने गए संव्यवहारों के ब्यौरों का विवरण)</p> <p>ख. वचनबंध ख</p>
11.	कर के अधिक संदाय का प्रतिदाय	<p>क. विवरण 7 (उन बीजकों का विवरण, जहां कर का अधिक संदाय किया गया है)</p> <p>ख. वचनबंध ख</p> <p>ग. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2)</p> <p>घ. परिपत्र सं. 14/14/2017-जीएसटी, तारीख 06.11.2017 के अधीन अपेक्षित दस्तावेज</p>

12.	निर्धारण/निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के संबंध में प्रतिदाय	<p>क. वचनबंध ख</p> <p>ख. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2)</p> <p>ग. आदेश की निर्देश संख्या</p> <p>ग i. निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश की प्रति</p> <p>ग ii. पूर्व में किए गए पूर्व-निक्षेप के, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, संदाय की निर्देश संख्या/सबूत</p>
13.	किसी अन्य आधार या कारण के संबंध में प्रतिदाय	<p>क. वचनबंध ख</p> <p>ख. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2)</p> <p>ग. दावे के समर्थन में दस्तावेज</p>
14.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रतिदाय	<p>क. विवरण 8 (उन बीजकों का विवरण, जिनकी बाबत प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है)</p> <p>ख. वचनबंध ख</p> <p>ग. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2)</p> <p>घ. नियम 89(2)(टख) के अनुसार प्रदायकर्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र।</p>
15.	निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में ऊर्ध्वमुखी संशोधन के संबंध में संदत्त अतिरिक्त एकीकृत कर (आईजीएसटी) का प्रतिदाय	<p>क. विवरण 9क (निर्यात बीजकों का विवरण)</p> <p>ख. विवरण 9ख (माल के निर्यात के लिए जारी नामे/जमा पत्रों/अनुपूरक बीजक के ब्यौरे)</p> <p>ग. पोत परिवहन बिल या निर्यात बिल की प्रति ;</p> <p>घ. मूल बीजकों की प्रति ;</p> <p>ङ. संविदा/ अन्य दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्रति, यथालागू, जो निर्यात के पश्चात् ऐसे माल की कीमत में संशोधन की अपेक्षा उपदर्शित करते हों ;</p> <p>च. मूल बीजकों के साथ-साथ सुसंगत नामे पत्र (पत्रों)/ अनुपूरक बीजकों की प्रति ;</p>

		<p>छ. अतिरिक्त आईजीएसटी और लागू ब्याज के संदाय का सबूत और आवेदक द्वारा दिए गए सुसंगत प्ररूप जीएसटीआर-1/ प्ररूप जीएसटीआर-3ख के ब्यौरे, जिनमें उक्त नामे पत्र (पत्रों)/ अनुपूरक बीजक (बीजकों) को घोषित किया गया था और उन पर कर और ब्याज का संदाय आवेदक द्वारा किया गया था ;</p> <p>ज. प्राधिकृत ब्यौहारी-1 बैंकों द्वारा जारी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के प्रेषण की प्राप्ति का सबूत (एफआईआरसी) ;</p> <p>झ. किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार का प्रमाणपत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उक्त अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रेषण, निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में ऐसे ऊर्ध्वमुखी संशोधन के संबंध में है।</p>
--	--	--

59. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 में, “प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07” शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, “[नियम 92(2) और 96(6) देखें]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “[नियम 92(2) देखें]” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

60. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 01
[नियम 100(2) और 142(1)(क) देखें]

निर्देश सं.

सेवा में,

.....जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी

.....नाम

.....पता

तारीख :

कार्यवाही, जिसके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है <उपाबंध क के अनुसार ड्राप डाउन में से चयन करें> _____ निर्देश सं.

कर अवधि (अवधियां) _____ वित्तीय वर्ष अधिनियम

क्या डीआरसी-01क जारी किया गया_(हां/नहीं)_

(यदि हां, तो डीआरसी-01क निर्देश सं.) _____

धारा / उपधारा, जिसके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की जा रही है _____

कारण बताओ सूचना निर्देश सं. _____ तारीख :

कारण बताओ सूचना का सारांश

क. मामले के संक्षिप्त तथ्य :

ख. आधार <उपाबंध ख के अनुसार ड्राप डाउन में से चयन करें> __ <<पाठ>> _____:

ग. कर और अन्य शोध :

(रकम रु. में)

क्रम सं.	कर की दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	पूर्ति का स्थान	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
			से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												

.....

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

अधिकारिता.....

पता.....

टिप्पण –

1. केवल लागू क्षेत्र भरे जाएं।
2. उपर्युक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5, अर्थात् कर की दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं हैं।
3. पूर्ति के स्थान के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे जब मांग एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन सृजित की गई हो।

उपाबंध क [कार्यवाही, जिसके अधीन डीआरसी-01 जारी किया गया है]

क्रम सं.	उन कार्यवाहियों की सूची, जिनके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है	निर्देश सं. (यदि इस कारण बताओ सूचना के संबंध में पूर्व कार्यवाही में कोई सूचना/नोटिस/रिपोर्ट/आदेश जारी किया गया है)
1.	नियम 88घ के अधीन विवरणियों का असुमेल	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग
2.	निर्धारण	प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-18
3.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण	प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14

4.	संवीक्षा	प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-10
5.	संपरीक्षा	प्ररूप जीएसटी एडीटी-02/ प्ररूप जीएसटी एडीटी-04
6.	गलत प्रतिदाय	प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06
7.	अन्वेषण	प्ररूप जीएसटी आईएनएस-02/ प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03
8.	अभिवहन में माल और वाहन का निरोध, अभिग्रहण और निर्मोचन	प्ररूप जीएसटी एमओवी-07

उपाबंध ख [मुख्य प्ररूप की कारण बताओ सूचना के सारांश का आधार]

क्रम सं.	आधार
1.	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण
2.	रियायती अधिसूचना के फायदे का गलत लाभ उठाना
3.	प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर दायित्व
4.	संविचरणा उद्ग्रहण से संबंधित
5.	माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य
6.	पूर्ति की प्रकृति (राज्यांतरिक/अंतरराज्यिक)
7.	पूर्ति का समय
8.	स्वतंत्र व्याज का असंदाय/ कम संदाय
9.	विलंब फीस का असंदाय/ कम संदाय

10.	अघोषित पूर्ति (गुप्त रूप से हटाया जाना)
11.	इनपुट कर प्रत्यय से संबंधित
12.	गलत रूप से दावा किए गए प्रतिदाय का प्रवर्ग
13.	स्रोत पर कर कटौती, जो काटी या जमा नहीं की गई
14.	स्रोत पर कर संग्रहण, जो काटा या जमा नहीं किया गया
15.	कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण
16.	संगृहीत किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर
17.	विवरणी का असुमेल
18.	शास्ति
19.	ई-वे बिल से संबंधित विवादक
20.	संक्रमणकालीन उपबंध
21.	इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में रकम के उपयोग पर निर्बंधन
22.	शून्य दर फायदे का गलत दावा”।

61. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क में, -

(i) भाग-क में, “पता.....” शब्दों के पश्चात् और “विषय : मामला कार्यवाही निर्देश सं.....धारा 73(5)/धारा 74(5)/74क(8)/74क(9) के अधीन दायित्व की सूचना” शब्दों, अंकों और अक्षरों से पूर्व, निम्नलिखित शब्दों और अक्षरों वाला एक पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“कार्यवाही, जिसके अधीन दायित्व जारी किया गया है <उपाबंध क के अनुसार ड्राप डाउन में से चयन करें> _____ निर्देश सं.

आधार <उपाबंध ख के अनुसार ड्राप डाउन में से चयन करें>: _____”;

(ii) भाग ग में “अटैचमेंट अपलोड करें” शब्दों वाले बॉक्स के पश्चात्, नए पैरा में, निम्नलिखित शब्द, अंक, अक्षर, सारणियाँ और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“उपाबंध क [कार्यवाही, जिसके अधीन डीआरसी-01क जारी किया गया है]

क्रम सं.	उन कार्यवाहियों की सूची, जिनके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है	निर्देश सं. (यदि इस कारण बताओ सूचना के संबंध में पूर्व कार्यवाही में कोई सूचना/नोटिस/रिपोर्ट/आदेश जारी किया गया है)
1.	नियम 88घ के अधीन विवरणियों का असुमेल	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग
2.	संवीक्षा	प्ररूप जीएसटी एसएमटी-10
3.	संपरीक्षा	प्ररूप जीएसटी एडीटी-02/ प्ररूप जीएसटी एडीटी-04
4.	गलत प्रतिदाय	प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06
5.	अन्वेषण	प्ररूप जीएसटी आईएनएस-02/ प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03

उपाबंध ख [मुख्य प्ररूप के डीआरसी-01क जारी किए जाने का आधार]

क्रम सं.	आधार
1.	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण
2.	रियायती अधिसूचना के फायदे का गलत लाभ उठाना
3.	प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर दायित्व
4.	संविचरणा उद्ग्रहण से संबंधित
5.	माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य
6.	पूर्ति की प्रकृति (राज्यांतरिक/अंतरराज्यिक)
7.	पूर्ति का समय
8.	स्वतंत्र ब्याज का असंदाय/ कम संदाय
9.	विलंब फीस का असंदाय/ कम संदाय
10.	अघोषित पूर्ति (गुप्त रूप से हटाया जाना)
11.	इनपुट कर प्रत्यय से संबंधित
12.	गलत रूप से दावा किए गए प्रतिदाय का प्रवर्ग
13.	स्रोत पर कर कटौती, जो काटी या जमा नहीं की गई
14.	स्रोत पर कर संग्रहण, जो काटा या जमा नहीं किया गया
15.	कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण
16.	संगृहीत किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर
17.	विवरणी का असुमेल
18.	शास्ति

19.	ई-वे बिल से संबंधित विवादक
20.	संक्रमणकालीन उपबंध
21.	इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में रकम के उपयोग पर निर्बंधन
22.	शून्य दर फायदे का गलत दावा”;

62. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में, क्रम संख्यांक 1 से 5 को क्रम संख्यांक 2 से 6 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम संख्यांक 2 से पूर्व, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

“1. कारण बताओ सूचना के ब्यौरे :

क. कारण बताओ सूचना सं.....

ख. कारण बताओ सूचना की तारीख....”।

63. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में, -

(i) “[नियम 159(1) देखें]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “[नियम 159(1), 159(5) देखें]” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) “निर्देश सं.” शब्दों से पूर्व, “भाग क” शब्द और अक्षर वाला एक नया पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iv) “प्रति (व्यक्ति को)” शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्दों, अक्षरों, अंकों और कोष्ठकों वाला एक नया पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“भाग ख

तारीख :.....

निर्देश सं. :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आक्षेप फाइल करने के लिए आवेदन का एआरएन सं. :

सेवा में,

जीएसटीआईएन (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में) :

स्थायी लेखा संख्यांक और/ या आधार सं./अस्थायी आईडी (अन्य की दशा में) :

पता

अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति/बैंक खाते के प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्तुत आवेदन की नामंजूरी के लिए आदेश

यह, धारा 83 के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की के विरुद्ध आपके आक्षेप अनुरोध के समर्थन में ब्यौरे/सूचना और दस्तावेज देते हुए, निर्देश सं.....तारीख.....सहित प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 के अधीन आपके आवेदन के संदर्भ में है।

<< पाठ बॉक्स>>*

<...अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज...>>

2. ऊपर निर्दिष्ट आवेदन द्वारा आपके द्वारा दिया गया आक्षेप निम्नलिखित कारणों से ठीक क्रम में नहीं पाया गया है :

<<पाठ बॉक्स.....>>*

<<...अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज...>>

अतः, अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति/बैंक खाते के प्रत्यावर्तन के लिए आपके द्वारा फाइल किया गया आवेदन एतद्वारा नामंजूर किया जाता है।

[कर अधिकारी का नाम]
 [पदनाम].....
 [कार्यालय का नाम]
 [संपर्क सूचना]”।

64. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-25 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 26

[नियम 86क(1) और 86क(2) देखें]

तारीख –

निर्देश सं. –

सेवा में,

जीएसटीआईएन –

नाम –

पता –

नियम 86क के उपनियम (1) के अधीन इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से नामे डालने को निर्बंधित करने के लिए आदेश
 जबकि अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध सूचना/कार्यवाहियों से यह प्रतीत होता है कि आपके इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में रुपए की रकम का इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित कारणों से कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है या अपात्र है : –

<<पाठ बॉक्स.....>>*

अतः, अब, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 86क के उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से ऐसे प्रत्यय के समतुल्य रुपए की रकम के इनपुट कर प्रत्यय को नामे डालना एतद्वारा निर्बंधित किया जाता है।

यह आदेश निम्नलिखित में से पूर्वतर तक प्रवृत्त रहेगा : –

क. इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि का अवसान ; या

ख. वह तारीख, जिसको अधोहस्ताक्षरी, इस बात से समाधान हो जाने पर कि इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डालने की अनुज्ञा न देने की शर्तें अब विद्यमान नहीं हैं, किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा ऐसे नामे डालने की अनुज्ञा देता है।

आप, नियम 86क के अधीन यथाविहित, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 में इस आदेश के विरुद्ध अपना आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल कर सकेंगे।

हस्ताक्षर

[समुचित अधिकारी का नाम]

[पदनाम]

[अधिकारिता]

स्थान :

तारीख :

65. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 27*[नियम 86क(3) देखें]*

निर्देश सं.....

तारीख.....

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26 में आदेश का एआरएन

सेवा में,

समुचित अधिकारी,

.....(अधिकारिता)

इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से नामे डालने को निर्बंधित करने वाले आदेश के विरुद्ध आक्षेप फाइल करने के लिए आवेदन

जबकि, एआरएन सं..... द्वारा, नियम 86क के उपनियम (1) के अधीन मेरे/हमारे इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से रुपए की राशि को नामे डालने को निर्बंधित करने के लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी 26 में आदेश जारी किया गया है।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 86क के उपबंधों के अनुसार, मैं/हम एतद्वारा निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मेरे/हमारे आक्षेप प्रस्तुत करता हूं/करते हैं :

<<पाठ बॉक्स.....>>*

<<...अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, यदि कोई हों...>>

सत्यापन

मैं/हम एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

नाम –

जीएसटीआईएन –

पता –

स्थान –

तारीख –

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

66. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 28*[नियम 86क(4) देखें]*

निर्देश सं. –

तारीख.....

सेवा में,

जीएसटीआईएन –

नाम –

पता –

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 में फाइल किए गए आक्षेप का एआरएन –

प्ररूप जीएसटी डीआरसी 26 का एआरएन -

इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से नामे डालने के निर्बंधन के विरुद्ध फाइल किए गए आवेदन की बाबत आदेश

यह, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26, निर्देश सं..... तारीख के अधीन इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से नामे डालने के निर्बंधन के आदेश के विरुद्ध फाइल किए गए आपके आवेदन के समर्थन में ब्यौरे/सूचना और दस्तावेज देते हुए, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27, निर्देश सं..... तारीख के अधीन आपके आवेदन के संदर्भ में है।

2. आपके द्वारा फाइल किए गए आक्षेप पर विचार करने और आपको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निम्नानुसार आदेश दिया जाता है : -

भाग क

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 के अधीन आपके द्वारा दिया गया आक्षेप आवेदन एतद्वारा अनुज्ञात किया जाता है और इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डालना से एतद्वारा प्रत्यावर्तित किया जाता है

अथवा ;

भाग ख

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 के अधीन आपके द्वारा दिया गया आक्षेप आवेदन निम्नलिखित कारणों से ठीक क्रम में नहीं पाया गया है :

<<पाठ बॉक्स.....>>*

अतः, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 के अधीन आपके द्वारा फाइल किया गया आवेदन एतद्वारा नामंजूर किया जाता है और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26, निर्देश सं..... तारीख में आदेश द्वारा अधिरोपित निर्बंधन जारी रहेगा :

-

हस्ताक्षर

[नाम]

[पदनाम]

प्रति-।”

67. मूल नियमों में, 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी आईएनवी-01 में, -

(i) शीर्ष में, “स्कीमा (संस्करण 1.1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “स्कीमा (संस्करण 1.2)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्यांक 1.0 वाली पंक्ति में, “क्षेत्र का नमूना मूल्य” विवरण वाले स्तंभ के अधीन प्रविष्टि में, “1.1” अंक के स्थान पर, “1.2” अंक रखा जाएगा ;

(iii) क्रम संख्यांक 1.2 वाली पंक्ति में, -

(अ) “क्षेत्र का नमूना मूल्य” विवरण वाले स्तंभ के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“B2B / B2C / SEZWP / SEZWOP / EXPWP / EXPWOP / DEXP / SEZWPA / SEZWPNA / RCMDOM / RCMIMP;

(आ) “व्याख्यात्मक टिप्पण” विवरण वाले स्तंभ के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“यह पूर्ति के प्रकार की पहचान करने के लिए कोड होगा।

B2B : कारबार से कारबार

B2C : कारबार से उपभोक्ता

SEZWP : संदाय सहित विशेष आर्थिक जोन को

SEZWOP : संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन को

EXPWP : संदाय सहित निर्यात

EXPWOP : संदाय के बिना निर्यात

DEXP : समझा गया निर्यात

SEZWPA : प्राधिकृत संचालन के लिए संदाय सहित विशेष आर्थिक जोन को

SEZWPN : अप्राधिकृत संचालन के लिए संदाय सहित विशेष आर्थिक जोन को

RCMDOM : प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अधीन अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से घरेलू पूर्ति

RCMIMP : सेवाओं का आयात”।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/1/2026-जीएसटी]

कृति पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 18/2025-केंद्रीय कर, तारीख 31 अक्तूबर, 2025, सा.का.नि. 805(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2025 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2026

No. 05/2026–Central Tax

G.S.R. 919(E).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. **Short title and Commencement.** — (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st day of November, 2026.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 14A, the following rule shall be inserted, namely: -

“14B. Option for suppliers supplying goods through electronic commerce operator who are required to collect tax at source under section 52— (1) A person registered in a State or Union territory under rule (9) may obtain registration against the same Permanent Account Number in any other State or Union territory where the person has no physical presence, by declaring a warehouse, of an electronic commerce operator, who is required to collect tax at source under section 52 of the Act, in that State or Union territory as principal place of business, subject to the following conditions, namely: —

- (d) the person intends to make supply of goods through electronic commerce operator who are required to collect tax at source under section 52 of the Act;
- (e) the person determines that the total output tax liability on such supplies to registered persons comprising Central tax and State tax or Union territory tax and integrated tax other than a person registered on the same Permanent Account Number, does not exceed two lakh fifty thousand rupees per month;
- (f) the electronic commerce operator consents to the registered person for declaring the warehouse as the principal place of business.

(2) A person who intends to obtain registration under sub-rule (1) in a State or Union territory shall apply in **FORM GST REG-01** and declare the Goods and Services Tax Identification Number obtained on his Permanent Account Number in any State or Union territory (hereinafter referred to as the ‘home State’) where the person has a physical presence.

(3) The applicant shall furnish the address and particulars of the warehouse of the electronic commerce operator in the State or Union territory where the person intends to obtain registration under sub-rule (1) as a principal place of business and the address and particulars of any other warehouse, in that State or Union territory, of the same or any other electronic commerce operator as an additional place of business.

(4) The application under sub-rule (2) shall be forwarded to the concerned electronic commerce operator for communicating their consent to the declaration of the warehouse as principal place of business or additional place of business, as the case may be.

(5) The electronic commerce operator may consent within seven working days and where consent is not given within that period, the application shall not be processed further.

(6) On receipt of consent from the electronic commerce operator, the application shall be forwarded to the jurisdictional officer of the home State for biometric-based Aadhaar authentication and verification of documents, if not done successfully earlier.

(7) On successful completion of the authentication and verification, the officer shall proceed to the physical verification of the principal place of business in the home State, if not done successfully earlier.

(8) On successful completion of physical verification, registration shall be granted electronically.

(9) Where the applicant fails to complete the biometric-based Aadhaar authentication and verification of documents, the application shall not be processed further.

(10) Where on physical verification, it is found that the applicant does not conduct any business in the home State:

(a) the application shall be deemed to be rejected;

(b) the rejection shall be intimated electronically in **FORM GST REG-05A**.

(11) Where the proper officer fails to carry out the physical verification within thirty days from the date of generation of the application reference number after successful completion of biometric-based Aadhaar authentication and document verification, the application shall be deemed to be approved

(12) Where registration has been granted for the principal place of business in the home State after successful completion of biometric based Aadhaar Authentication, document verification and physical verification of the premises, the registration shall be granted electronically upon receipt of consent from the electronic commerce operator.

(13) The provision of grant of registration under rule 10 shall, *mutatis mutandis*, apply to the application submitted under this rule.

- (14) The certificate of registration shall contain the details of the warehouse of electronic commerce operator declared as principal place of business and additional place of business if any, the address of principal place of business in the home State where the registered person has a physical presence.
- (15) A person who has obtained registration in the home State under rule 14A and intends to obtain registration under sub-rule (1), shall before submitting an application under this rule, submit an application in **FORM GST REG-32** to withdraw from the option availed under rule 14A.
- (16) Where there is an amendment in the address of the warehouse of the electronic commerce operator declared as principal place or additional place of business, the registered person shall apply for amendment in **FORM GST REG-14** and the provisions of sub-rule (4) relating to consent of the electronic commerce operator shall be applicable and on receipt of such consent, the address of the principal place of business or additional place of business of the registered person, as the case may be, shall stand amended accordingly.
- (17) Where the electronic commerce operator withdraws the consent given to the registered person, the electronic commerce operator shall intimate the withdrawal on the common portal.
- (18) Where consent has been withdrawn under sub-rule (17), the registered person may, within thirty days from the date of such intimation for withdrawal of consent submit an application in **FORM GST REG-14**, to change the details of principal place of business or additional place of business, as the case may be and the provisions of sub-rule (4) relating to consent of the electronic commerce operator shall be applicable.
- (19) Where the change is related to any particulars of the certificate of registration other than the address of the principal place of business or additional place of business, the certificate of registration shall stand amended to the extent applied for, on submission of application in **FORM GST REG-14** under sub-rule (1) of rule 19.
- (20) A person registered under this rule shall, on demand by the proper officer, furnish the books of accounts, records or other information or documents required to be maintained under rule 56.
- (21) Notwithstanding anything contained in sub-rule (7) of rule 56, a person who has obtained registration under this rule, shall keep and maintain at his principal place of business in the home State for each registration obtained under this rule.
- (22) The electronic commerce operator shall appoint an authorised representative in each State or Union territory for arranging and providing the information required to be furnished by a person registered under this rule.
- (23) Where the electronic commerce operator withdraws the permission given to the registered person to supply goods through it from a warehouse declared as his additional place of business and where the registered person has not applied for amendment of details of registration under sub-rule (16) within thirty days from the date of withdrawal of permission, the details of such place of business shall be deleted from certificate of registration.
- (24) (a) A registration granted under this rule shall be deemed to be cancelled electronically by common portal and the same shall be intimated to the said person in **FORM GST REG-38** where:
- (i) the electronic commerce operator withdraws the permission given to the registered person to supply of goods from a warehouse declared as principal place of business by the registered person or whose registration including associated registration for collection of tax at source under section 52 has been cancelled and the registered person has not applied for amendment of details of registration under sub-rule (18) within thirty days from the date of withdrawal of such permission or cancellation of such registration, as the case may be;
 - (ii) the registration obtained in the home State has been cancelled which was declared to obtain the registration under this rule;
 - (iii) the application of electronic commerce operator for change of the address declared as the principal place of business of the registered person has been approved, and the registered person, being required to amend its registration, consequently, has failed to file the requisite amendment application within thirty days of such approval.
- (b) Notwithstanding anything contained in this sub-rule and rule 22, the provision of sub-rules (14), (15), (16), (17), (18), (19) and (20) of rule 20, shall *mutatis mutandis* apply to this sub-rule.
- (25) A person who has obtained registration under this rule and intends to withdraw from the option availed under sub-rule (1), shall file an application, in **FORM GST REG-32** along with the details of principal place of business as a proof his physical presence, duly signed or verified through electronic verification code on the common portal.
- (26) The procedure specified under sub-rules (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) and (13) of rule 14A shall, *mutatis mutandis*, apply to an application made under sub-rule (25).
- (27) Notwithstanding anything contained in rule 18, a person registered under this rule shall not be required to display the registration certificate and Goods and Services Tax Identification Number on the name board at the warehouse of the electronic commerce operator.
- (28) A person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25 of the Act, who has not opted for authentication of Aadhaar number, shall not be eligible for grant of registration in terms of this rule.
- (29) Notwithstanding anything contained in rule 11, a person in a State or Union territory shall not be eligible to obtain another registration in the same State or Union territory registered under this rule against the same Permanent Account Number.”

3. In the principal rules, -

(i) for rule 19, the following rule shall be substituted, namely: -

“Rule 19. Amendment of registration. - (1) Where there is any change in any of the particulars furnished in the application form for registration in **FORM GST REG-01** or **FORM GST REG-07** or **FORM GST REG-09** or **FORM GST REG-10** or in the intimation furnished by the composition taxpayer in **FORM GST CMP-02** or in the Unique Identity Number in **FORM GST REG-13** or in the Enrolment Number in **FORM GST PCT-01**, whether at the time of obtaining registration, enrolment or Unique Identity Number the registered person or the person having a Unique Identity Number or a person having an Enrolment number, as the case may be, shall within a period of fifteen days from the date of occurrence of such change, submit an application in **FORM GST REG-14**, along with the documents relating to such change.

(2) (a) Where the change relates to the details of the principal place of business as furnished in **FORM GST REG-01** or **FORM GST REG-07** or **FORM GST REG-09** or in the intimation furnished by the composition taxpayer in **FORM GST CMP-02** or the place of business of representative in India as furnished in **FORM GST REG-10** or the entity in respect of which the Unique Identification Number is sought in **FORM GST REG-13** or the professional address as furnished in **FORM GST PCT-01**, the application submitted by the registered person or the person having a Unique Identity Number or a person having an Enrolment number, as the case may be, under sub-rule (1) and accompanying documents, shall be forwarded to the proper officer for examination.

(b) Where on examination, the application and accompanying documents are found to be in order, the proper officer shall, within a period of fifteen days from the date of the submission of the application, approve the application and issue an order in **FORM GST REG-15** electronically and such amendment shall take effect from the date of the approval of the application.

(c) Where the application submitted under sub-rule (1) is found to be deficient, either in terms of any information or any document required to be furnished or where the proper officer requires clarification, may issue a notice to the applicant in **FORM GST REG-03** within a period of fifteen days from the date of submission of the application and the applicant shall furnish such clarification, information or documents electronically, in **FORM GST REG-04**, within a period of seven working days from the date of the receipt of such notice.

(d) Where the proper officer is satisfied with the clarification, information or documents furnished by the applicant, the proper officer shall approve the application within a period of seven working days from the date of the receipt of such clarification or information or documents and issue an order in **FORM GST REG-15** electronically and such amendment shall take effect from the date of the approval of the application.

(e) Where the proper officer is not satisfied with the clarification, information or documents furnished, the proper officer may, for reasons to be recorded in writing, reject such application and inform the applicant electronically in **FORM GST REG-05**.

(f) Where the applicant does not furnish a reply to the notice issued under clause (c), within the specified time the application submitted under sub-rule (1) shall be deemed to be rejected and the rejection shall be intimated electronically on the common portal in **FORM GST REG-05A**.

(g) Where the proper officer fails to take any action, -

(iii) within a period of fifteen days from the date of submission of the application under sub-rule (1); or

(iv) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under clause (c),

the certificate of registration shall be deemed to have been amended and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal, wherever applicable.

(3) Where the change relates to the details of the principal place of business of person who has obtained registration under rule 14A and who has not opted to withdraw under sub-rule (5) of rule 14A, the certificate of registration shall stand amended to the extent applied for, on submission of the application under sub-rule (1) and completion of the required online validation on the common portal and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal, wherever applicable.

(4) Where the change relates to any particulars other than details of the principal place of business, the certificate of registration shall stand amended to the extent applied for, on submission of the application under sub-rule (1) and completion of the required online validation on the common portal and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal, wherever applicable.

(5) Any change relating to legal name of business and addition, deletion or retirement of partners or directors, Karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for the day today affairs of the business, in any State or Union territory, shall be applicable for all registrations of the registered person obtained under the provisions of this Chapter on the same Permanent Account Number.

(6) Any change in the mobile number or e-mail address of the authorised signatory and submitted under this rule, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided under sub-rule (2) of rule 8.

(7) Where a change in the constitution of any business results in the change of the Permanent Account Number of a registered person, that person shall apply for fresh registration.”.

(ii) in rule 19, sub-rule (3) shall come into effect from the 1st day of December 2026.

4. In the principal rules, for rule 20, the following rule shall be substituted with effect from the 1st day of November 2026, namely: -

“**Rule 20. Cancellation of registration on request of taxpayer.** – (1) A registered person seeking cancellation of registration under sub-section (1) of section 29 shall within a period of thirty days from the occurrence of the event warranting the cancellation submit an application in **FORM GST REG-16**, including therein the details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and capital goods held in stock on the day immediately preceding the date of application for cancellation or on the day immediately preceding the date from which the cancellation of registration is sought, as the case may be, liability thereon, the details of the payment, if any, made against such liability and may furnish, along with the application, relevant documents in support thereof, on the common portal.

Provided that the requirement to submit the application within thirty days of occurrence of event warranting cancellation shall not be applicable in the event of death of a sole proprietor.

(2) No application under sub-rule (1) shall be submitted unless, -

- (c) as on the date of submission of such application, all returns including statements in **FORM GST CMP-08**, where applicable, required to be furnished on or before that date in respect of any period ending on or before the date from which the cancellation is sought, have been furnished; and
- (d) the details of outward supply in **FORM GSTR-1** or Invoice Furnishing Facility of a tax period has been furnished, the return in **FORM GSTR-3B** for the that tax period, has also been furnished.

Illustration 1: A registered person comes to file an application for cancellation of registration on 13.07.2026, he is required to file return in **FORM GSTR-3B** for the month of May, 2026.

Illustration 2: Where a registered person has furnished the details of outward supplies for the tax period in **FORM GSTR-1** on 11.07.2026 for the month of June, 2026, he shall be required to file the return in **FORM GSTR-3B** for the month of June, 2026, before submitting the application for cancellation of registration.

(3) On submission of the application for cancellation under sub-rule (1), the registered person shall furnish the return, including statements in **FORM GST CMP-08**, where applicable, for the remaining period upto the date of submission of the application or the date from which cancellation is sought, as the case may be, not later than the due date of furnishing such returns.

(4) On submission of application for cancellation under sub-rule (1), the registration of the person shall stand suspended till the completion of the cancellation proceedings.

(5) Where an application for cancellation of registration is filed under sub-rule (1) and the returns referred to in sub-rule (2) and sub-rule (3) have been furnished within the time specified therein and tax, interest, fee or penalty or any other amount which is liable to be paid has been paid and in cases where –

- (c) the output tax liability on account of central tax and State tax or Union territory tax integrated tax and compensation cess, declared by the registered person in the details of outward supplies in **FORM GSTR-1**, as amended in **FORM GSTR-1A**, if any, or using the Invoice Furnishing Facility in respect of supply made to registered persons, does not exceed two lakh fifty thousand rupees in any of the months from the date of registration till the date of submission of application for cancellation under sub-rule (1); or
- (d) (b) the registered person has filed return in **FORM GSTR-10** within 3 days from the due date of furnishing the returns referred to sub-rule (3), wherever applicable,

the registration shall be cancelled electronically by the common portal with effect from the date from which the cancellation of registration is sought and the same shall be communicated electronically to the said person in **FORM GST REG-38**.

(6) Where any of the returns or statements in **FORM GST CMP-08**, where applicable, referred to in sub-rule (3) or clause (b) of sub-rule (5) have not been furnished or tax, interest, fee or penalty or any other amount which is liable to be paid, has not been paid, the application shall be forwarded to the proper officer for examination.

(7) On examination of the application under sub-rule (6), where the proper officer is satisfied that the application, -

- (c) is in order, the proper officer shall cancel the registration within a period of fifteen days from the date of receipt of the application under sub-rule (6) and shall cancel the registration and issue an order, which shall be communicated electronically to said person in **FORM GST REG-19**.
- (d) is deficient, the proper officer may communicate such deficiencies by issuing a notice to the applicant electronically in **FORM GST REG-03** within a period of fifteen days from the date of receipt of the application under sub-rule (6).

(8) On receipt of notice under clause (b) of sub-rule (7), the applicant shall furnish the returns, clarification, information or documents electronically, as applicable, in **FORM GST REG-04**, within a period of fifteen days from the date of the receipt of said notice.

(9) Where the proper officer is satisfied with the reply furnished by the applicant under sub-rule (8), the proper officer may within a period of fifteen days from the date of the receipt of the reply, approve the application and issue an order for cancellation of registration in **FORM GST REG-19**.

(10) Where the proper officer is not satisfied with the reply furnished under sub-rule (8), the proper officer may within a period of fifteen days from the date of receipt of the reply, reject such application and the rejection the same shall be communicated electronically to said person in **FORM GST REG-05**.

(11) Where reply has not been furnished by the applicant under sub-rule (8) within the time specified therein, the application shall be deemed to be rejected and the rejection shall be communicated electronically to said person in **FORM GST REG-05A**.

(12) Where the proper officer fails to take any action, -

- (c) within a period of fifteen days from the date of receipt of the application under sub-rule (6); or
- (d) within a period of fifteen days from the date of the receipt of reply furnished by the applicant under sub-rule (8),

the application for cancellation of registration shall be deemed to be approved and the same shall be communicated electronically in **FORM GST REG-19**.

(13) The provisions of this rule shall, *mutatis mutandis*, apply to the legal heirs of a deceased proprietor, as if the application had been submitted by the proprietor himself.

(14) Where, after cancellation of the registration under this rule, the proper officer has reasons to believe that the effective date of cancellation of registration is liable to be changed to an earlier date in terms of the provisions of sub-section (3) of section 29, the proper officer may, issue a notice in **FORM GST REG-34** requiring to show cause, why the effective date of cancellation of the registration shall not be changed to an earlier date.

(15) The person shall furnish reply in **FORM GST REG-35** to the show cause notice issued under sub-rule (14) within a period of thirty days from the date of receipt of the said notice.

(16) Where the proper officer is satisfied with the reply furnished under sub-rule (15), the proper officer shall within a period of thirty days from the date of receipt of the reply, drop the proceedings and pass an order in **FORM GST REG-36**.

(17) Where the proper officer is not satisfied with the reply furnished under sub-rule (15), the proper officer may change the effective date of cancellation of registration and shall issue an order in **FORM GST REG-37** within a period of thirty days from the date of receipt of the reply.

(18) Where reply to notice issued under sub-rule (14) has not been furnished within a period of thirty days from the date of issuance of such notice in accordance with sub-rule (15), the proper officer may change the effective date of cancellation of registration and shall issue an order in **FORM GST REG-37** within a period of sixty days from the date of issuance of notice under sub-rule (14).

(19) Where the proper officer fails to issue an order within a period of sixty days from the date of issuance of notice under sub-rule (14), the proceedings for change in effective date of cancellation shall be deemed to be dropped and the same shall be communicated electronically on the common portal in **FORM GST REG-36**.

(20) The effective date of cancellation once changed under this rule shall not be subject to further change.”.

5. In the principal rules, for rule 21, the following rule shall be substituted, namely: -

“Rule 21. Registration to be cancelled in certain cases. –The registration granted to a person is liable to be cancelled, if the said person being a registered person, -

- (a) paying tax under section 10 has not furnished the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return; or
- (b) violates provisions of third proviso to sub-rule (1) of rule 23 or fourth proviso to sub-rule (1) of rule 23; or
- (c) required to file return under sub-section (1) of section 39 for each month or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of six months; or
- (d) required to file return under proviso to sub-section (1) of section 39 for each quarter or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of two tax periods; or
- (e) violates the provisions of rule 10A”.

6. In the principal rules, for rule 21A, the following rule shall be substituted, with effect from the 01st day of April, 2027, namely: -

“21A. Suspension of registration in cases other than cancellation of registration on request of taxpayer.

(1) Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under sub-section (3) of section 29, the proper officer may on initiation of proceedings for cancellation of registration, suspend the registration with effect from a date to be determined by the proper officer, till the completion of the proceedings for cancellation under rule 22.

(2) The registration of a person may be suspended electronically by the common portal where the registered person-

- (e) paying tax under section 10 has not furnished the return for a financial year beyond a period of three months from the due date of furnishing the said return;
- (f) required to file return under sub-section (1) of section 39 for each month or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of six months;
- (g) required to file return under the proviso to sub-section (1) of section 39 for each quarter or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of two tax periods; or
- (h) violates the provision of rule 10A,

the person shall be intimated electronically in **FORM GST REG-31** requiring the person to furnish the said returns or to comply with provisions of rule 10A, as the case may be, within a period of thirty days from the date of such intimation.

(3) A registered person, whose registration has been suspended under sub-rules (1) or (2) shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39.

Explanation. - For the purposes of this sub-rule, the expression "shall not make any taxable supply" means that the registered person shall not issue a tax invoice and accordingly shall not charge tax on supplies made by the person during the period of suspension.

(4) Where the registration has been suspended under sub-rule (2), the suspension shall be deemed to be revoked upon furnishing of all the pending returns or on compliance of the provisions of rule 10A, as the case may be, within a period of thirty days from the date of intimation in **FORM GST REG-31**.

(5) The suspension of the registration under sub-rule (1) shall be deemed to be revoked upon completion of the proceedings by the proper officer under rule 22.

(6) The revocation under sub-rules (4) and (5) shall be effective from the date on which the suspension came into effect.

(7) Where an order having the effect of revoking the of suspension of registration has been passed, the provisions of clause (a) of sub-section (3) of section 31 and section 40 and the procedure specified therein, shall apply in respect of the supplies made during the period of suspension.”

7. In the principal rules, with effect from the 01st day of April, 2027, for rule 22, the following rule shall be substituted namely: -

“22. Cancellation of registration. – (1) Where the proper officer has reason to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under sub-section (3) of section 29, the proper officer shall issue a notice to such person in **FORM GST REG-17**, requiring the person to show cause, within a period of seven working days from the date of the service of such notice, as to why the registration shall not be cancelled.

(2) The registered person shall file a reply to the show cause notice issued under sub-rule (1) in **FORM GST REG-18** within the period specified therein.

(3) Where the proper officer is satisfied with the reply furnished under sub-rule (2), the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in **FORM GST REG-20**.

(4) Where the proper officer is not satisfied with the reply under sub-rule (2), the proper officer shall issue an order in **FORM GST REG-19**, within a period of thirty days from the date of receipt of reply to the show cause notice issued under sub-rule (1) or within thirty days from the due date of furnishing reply under sub-rule (2), as the case may be, shall cancel the registration, with effect from a date to be determined and notify

the person, directing to pay arrears of any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under section 29.

(5) Where a person whose registration is suspended under sub-rule (2) of rule 21A does not furnish all the pending returns or does not comply with provisions of rule 10A, as the case may be, within a period of thirty days from the date of suspension, the registration of such person shall be deemed to be cancelled electronically by the common portal and the same shall be intimated to the said person in **FORM GST REG-38**.

(6) Where after cancellation of the registration under this rule, if the proper officer has reasons to believe that the effective date of cancellation of registration of the person is liable to be changed to an earlier date, the provisions of sub-rules (14), (15), (16), (17), (18), (19) and (20) of rule 20 shall, *mutatis mutandis* apply to change in effective date of the cancellation of registration.”

8. In the principal rules, after rule 23, the following rule shall be inserted with effect from the 01st day of April, 2027, namely: –

“23A. Revocation of cancellation of registration by the system — (1) A registered person, whose registration is deemed to be cancelled electronically by the common portal, under sub-rule (5) of rule 22, may within a period of one hundred and eighty days from the date of the cancellation of registration submit an application for revocation of cancellation of registration in **FORM GST REG-21**, on the common portal:

Provided that no application for revocation shall be filed, where the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish returns, unless such returns are furnished and any amount due as tax, in terms of such returns has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the said returns:

Provided further that no application for revocation shall be filed, where the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish bank account details under rule 10A, unless such bank account details are furnished.

(2) On furnishing of all the pending returns or on compliance with the provisions of rule 10A, as the case may be, the application for revocation of cancellation of registration shall be deemed to be approved and the cancellation of registration shall be revoked by the common portal electronically, and an order in **FORM GST REG-22** shall be communicated to the applicant on the common portal.

(3) All returns due for the period from the date of the order of cancellation of registration till the date of the order of revocation of cancellation of registration shall be furnished by the said person within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration.”

9. In the principal rules, in rule 36, -

(i) in sub-rule (1), for the word “including”, the words “or be distributed by” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), after the words “a registered person”, the words “or be distributed by the Input Service Distributor,” shall be inserted.

10. In the principal rules, in rule 39, -

(i) in sub-rule (1), in clause (i), after the words “input tax credit of integrated tax”, the words “or central tax” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (1A), the word “common” shall be omitted.

11. In the principal rules, in rule 44, with effect from the 1st day of December 2026; -

(i) in sub-rule (1), the words, brackets and figures “sub-section (5)” shall be omitted;

(ii) in sub-rule (4), after the words “section 18 and in”, the words, letters and figure “**FORM GST REG-16** or” shall be inserted

12. In the principal rules, in rule 54, in sub-rule (1A), -

(i) in clause (a), -

(a) for the words “credit of common input services to the Input Service Distributor”, the words “credit in respect of input services attributable to one or more distinct persons to the Input Service Distributor” shall be substituted;

(b) in sub-clause (iv), for the word “common”, the word “such” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words “common services”, the words “services whose credit is sought to be transferred to the Input Service Distributor” shall be substituted.

13. In the principal rules, in rule 60, in sub-rule (2), after the word, letters and figure “**FORM GSTR 2A**”, the words, letters and figure “and to the Input Service Distributor in **FORM GSTR-6A**” shall be inserted.

14. In the principal rules, in rule 62, in sub-rule (5), for the word “April”, the word “June” shall be substituted.

15. In the principal rules, in rule 63, for the word “twenty”, the word “thirteen” shall be substituted.

16. In the principal rules, after rule 83B, the following rule shall be inserted, with effect from 1st day of November 2026, namely: -

“83C. Amendment of enrolment. -

(1) Where an amendment is required in any of the particulars furnished in **FORM GST PCT-01** the Goods and Services Tax practitioner shall, submit an application in **FORM GST REG-14**, duly signed or verified through electronic verification code, along with the documents relating to such change at the common portal electronically.

(2) The provisions of rule 19 relating to an amendment in the particulars furnished in the application for registration shall *mutatis mutandis*, apply to an application for amendment in particulars furnished in **FORM GST PCT-01**.”.

17. In the principal rules, in rule 86, in sub-rule (3), after the words “shall be debited in the said ledger”, the words, brackets and figures “in the manner as prescribed in sub-rule (3) of rule 89” shall be inserted.

18. In the principal rules, in rule 86A, with effect from the 01st day of April, 2027, -

(i) in sub-rule (1), -

(a) for the words “Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of an Assistant Commissioner”, the words “proper officer” shall be substituted;

(b) for the long line, the following long line shall be substituted, namely, -

“shall not allow debit of an amount equivalent to such credit in the electronic credit ledger by issuing an order in **FORM GST DRC-26** and such order shall be made available electronically on the common portal to the registered person”;

(ii) for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall respectively be substituted, namely: -

“(2) The order issued in **FORM GST DRC-26** under sub-rule (1) shall remain in force till the date, -

(c) on which the period of one year from the date of issuance of the said order expires; or

(d) on which the proper officer, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger, no longer exist, allows by an order, debit of amount from the electronic credit ledger

whichever is earlier.

(3) The registered person may file an objection in **FORM GST DRC-27** to the effect that debit of the amount in the electronic credit ledger was or is not liable to be disallowed.

(4) Upon receipt of an objection under sub-rule (3), the proper officer shall after granting a reasonable opportunity of being heard to the registered person, issue an order in **FORM GST DRC-28** electronically on the common portal, wherein he may either, -

(c) allow debit of such amount to the effect from the electronic credit ledger in Part-A order in **FORM GST DRC-28**; or

(d) reject the objections raised by the registered person in Part B of **FORM GST DRC-28**.”.

19. In the principal rules, in rule 89, —

(i) in sub-rule (1), the words “, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner” shall be omitted;

(ii) in sub-rule (1A), the words “, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner” shall be omitted;

(iii) in sub-rule (2), with effect from the 01st day of December, 2026, —

(a) after the words, brackets and figure “under sub-rule (1)”, the words, brackets, figures and letters “or sub-rule (1A) or sub-rule (1B)” shall be inserted;

(b) in clause (b), —

(A) for the words “number and date”, the word “details” shall be substituted;

(B) for the words “number and the date”, the word “details” shall be substituted;

(c) in clause (ba), for the words “number and date”, the word “details” shall be substituted;

(d) in clause (bb), for the words “number and date”, the word “details” shall be substituted;

(e) in clause (c), for the words “number and date”, the word “details” shall be substituted;

(f) in clause (d), —

(A) for the words “number and date”, the word “details” shall be substituted;

(B) for the word “second”, the word “first” shall be substituted;

(g) in clause (e), —

(A) for the words “number and date”, the word “details” shall be substituted;

(B) for the word “second”, the word “first” shall be substituted;

(h) in clause (h), —

(A) for the words “number and the date of the invoices received and”, the words “details of the invoices received, along with the details of the input tax credit and details of the invoices” shall be substituted;

(B) after the words “unutilised input tax credit under”, the words, brackets and letters “clause (ii) of the first proviso to” shall be inserted;

(C) the words “where the credit has accumulated on account of the rate of tax on the inputs being higher than the rate of tax on output supplies, other than nil-rated or fully exempt supplies” shall be omitted;

(i) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely: —

“(ha) a statement containing the details of invoices issued during a tax period, along with the details of relevant shipping bills or bills of export filed by the registered recipient to whom the applicant has supplied goods under notification No. 40/2017-Central Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1320(E), dated the 23rd October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1321(E), dated the 23rd October, 2017, in a case where the claim pertains to refund of any unutilised input tax credit under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3) of section 54;”;

(j) after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely: —

“(n) a statement containing the details of the invoices received, along with details of the input tax credit, in a case where the claim pertains to refund of any unutilised input tax credit under the first proviso to sub-section (3) of section 54;

(o) a declaration to the effect that the applicant has not been prosecuted for any offence under the Act or under any other law for the time being in force where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees during any period of five years immediately preceding the tax period to which the claim for refund relates, in a case where the refund is on account of unutilised input tax credit under sub-section (3) of section 54 or on account of zero-rated supply made with payment of tax;”;

(k) after clause (o), the following shall be inserted, with effect from the 01st day of April, 2027, namely: —

“(p) a declaration to the effect that the capital goods have not been sold, disposed of or permanently removed from the business, and the capital goods included in the claim under sub-rule (4) or sub-rule (5) are eligible for input tax credit and are being used for making the relevant zero-rated supplies or inverted rated supplies, in a case where the claim pertains to refund of any unutilised input tax credit under sub-section (3) of section 54 and the claim includes credit availed on capital goods;”;

(iv) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(3) Where the application relates to refund of input tax credit, the electronic credit ledger shall be debited by the applicant by an amount equal to the refund so claimed in the following order, namely —

(a) integrated tax, to the extent of balance available;

(b) central tax and State tax or Union territory tax, equally to the extent of balance available;

(c) in the event of a shortfall in the balance available in a particular electronic credit ledger referred to in clause (b) above, the differential amount shall be debited from the other electronic credit ledger referred therein.

Illustration 1: — In case of shortfall in the balance available in electronic credit ledger of central tax, the differential amount shall be debited from the electronic credit ledger of State tax or Union territory tax;

Illustration 2: — In case of shortfall in the balance available in electronic credit ledger of State tax or Union territory tax, the differential amount shall be debited from the electronic credit ledger of central tax.”;

(v) in sub-rule (4), -

(a) in clause (B), after the words “during the relevant period” the following words shall be inserted at the end, with effect from the 01st day of April, 2027, namely: -

“and the input tax credit on capital goods attributable to the relevant period”

(b) in clause (C), the words and figures “or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or, similarly placed, supplier, as declared by the supplier, whichever is less” shall be omitted with effect from the 01st day of November, 2026.

(c) in clause (F), for the word and figure “filed.”, the words “filed; and” shall be substituted with effect from the 01st day of April, 2027;

(d) after clause (F) and before the Explanation, the following clause shall be inserted with effect from the 01st day of April, 2027, namely: -

“(G) ‘Capital goods attributable to the relevant period’, means such capital goods on which the input tax credit has been availed in any of the months not earlier than fifty-nine months from the last month of the relevant period subject to the condition that input tax credit in respect of the said capital goods has been availed on or after the 1st day of April, 2027, and the input tax credit on such capital goods shall be calculated as per the following formula-
Input tax credit on such capital goods = {Aggregate of (1/60 * eligible ITC availed on capital goods * number of months)} – {Aggregate of input tax credit reversals applicable as per the provisions of the Act or the Rules in respect of such capital goods attributable to the months in the relevant period}.”

(e) after clause (G), the following explanation shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 2027, namely: —

“Explanation. — For the purposes of this clause, number of months shall be taken as the period covered within the relevant period, out of the period of sixty months commencing from the month in which the input tax credit in respect of such capital goods was availed.”;

(vi) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula: —

Maximum Refund Amount = {(Turnover of inverted rated supply of goods and services) × Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover} – tax payable on such inverted rated supply of goods and services.

Explanation. — (i) “Net ITC” shall mean the sum of input tax credit availed on inputs and eligible input services during the relevant period and the input tax credit on capital goods attributable to the relevant period;

(ii) “Eligible input services” shall mean input services on which input tax credit has been availed on or after the 1st day of November, 2026;

(iii) “Adjusted Total Turnover”, “Capital goods attributable to the relevant period” and “relevant period” shall have the same meaning as assigned to them in sub-rule (4).”.

20. In the principal rules, in rule 90, —

(i) in sub-rule (2), for the word “fifteen”, the word “ten” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), after the words “the proper officer shall”, the words “within a period of ten days of filing of the said application,” shall be inserted;

(iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

“(3A) Where neither an acknowledgement has been made available in **FORM GST RFD-02** nor the deficiencies have been communicated in **FORM GST RFD-03** by the proper officer to the applicant within a period of ten days of filing of the refund application, such application shall be deemed to have been acknowledged and the said acknowledgement shall be made available to the applicant through the common portal electronically in **FORM GST RFD-02**, indicating the date of filing of the claim for refund and the time period specified in sub-section (7) of section 54 shall be counted from such date of filing.”.

21. In the principal rules, in rule 91, —

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(2) The common portal, on the basis of identification and evaluation of risk by the system, shall generate an order in **FORM GST RFD-04** within a period of three working days from the date of the acknowledgement under sub-rule (1A) or (2) or (3A), of rule 90:

Provided that the order issued in **FORM GST RFD-04** shall not be required to be revalidated by the proper officer.”;

(ii) in sub-rule (3), for the words, letters, figures and brackets “The proper officer shall issue a payment order in **FORM GST RFD-05** for the amount sanctioned under sub-rule (2) and”, the words, letters, figures and brackets “A payment order in **FORM GST RFD-05**, for the amount sanctioned under sub-rule (2), may be made available through the common portal and” shall be substituted.

22. In the principal rules, in rule 92, —

(i) after sub-rule (1A), the following sub-rules shall be inserted, namely: —

“(1B) Where refund under section 54 is due and payable to the applicant, under sub-section (6) of section 49, an order in **FORM GST RFD-06** shall be generated by the common portal, sanctioning the amount of refund to which the applicant is entitled, mentioning therein the amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any other law for the time being in force and the balance amount refundable.”;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, —

“(4) Where the proper officer is satisfied or where it is determined by the common portal, as the case may be, that the amount refundable under sub-rule (1) or (1A) or (1B) or (2) is payable to the applicant under sub-section (8) of section 54, an order shall be made in **FORM GST RFD-06** and a payment order in **FORM GST RFD-05** shall be issued for the amount of refund and the same shall be electronically credited to any of the bank accounts of the applicant mentioned in his registration particulars and as specified in the application for refund on the basis of a consolidated payment advice.”;

23. In the principal rules, in rule 138, —

(i) in sub-rule (2A), after the words “by railways”, the words “or metro railway” shall be inserted;

(ii) in proviso to sub-rule (2A), for the words “transported by railways, the railways shall”, the words “transported by railways or metro railway, the railways or metro railway shall” shall be substituted.

24. In the principal rules, in rule 159, —

(i) in sub-rule (1), after the words “an order in”, the words and letter “Part A of” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (5), after the words “person filing the objection,”, the words, letters and figures “reject the said application in Part B of **FORM GST DRC-22**, if not satisfied with the submission of the applicant or” shall be inserted.

25. In the principal rules, in **FORM GST CMP-02**, Table 5 and the entries relating thereto shall be substituted with the following table, namely: -

“5. Category of Registered Person < Select from drop down>.	
B. (i) <i>Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government</i>	
(ii) <i>Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II</i>	
(iii) <i>Any other supplier eligible for composition levy falling in section 10(1)</i>	
C. <i>Person eligible for Composition under section 10(2A)</i>	”.

26. In the principal rules, in **FORM GST CMP-04**, Table 5 and the entries relating thereto, the following table shall be substituted, namely: -

“5. Category of Registered Person	
B. (i) <i>Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government</i>	
(ii) <i>Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II</i>	
(iii) <i>Any other supplier eligible for composition levy falling in section 10(1)</i>	
C. <i>Person eligible for composition under section 10(2A)</i>	”.

27. In the principal rules, in **FORM GST CMP-08**, -

(i) for Table number 3 and entries relating thereto, the following table shall be substituted, namely: -

“(Amount in ₹ in all tables)

Sl. No.	Description	Value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	Outward supplies of Goods (including exempt supplies)					
(a)	Outward supplies of Services (including exempt supplies) but (excluding supplies of Services made through an ECO, where the ECO is liable to pay tax under section 9(5))					
(b)	Outward supplies of Services made through an ECO, where the ECO is liable to pay tax under section 9(5).					
2	Inward supplies attracting reverse charge including import of services					
3	Tax payable (1+1(a)+2)					
4	Interest payable, if any					
5	Tax and interest paid					”.

(ii) under the heading "Instructions", after serial number 3, the following serial numbers shall be inserted, namely: -

"3A. The taxpayer shall report outward supplies for the supply of goods (including exempt supplies) in the designated column (1).

3B. Outward supply of services, including exempt supply of services but excluding supplies of services made through an ECO, where ECO is liable to pay tax under section 9(5), shall be reported separately in Table 1(a).

3C. Outward supplies of services where the electronic commerce operator (ECO) is liable to pay tax under section 9(5), shall be reported separately in Table 1(b). Composition taxpayers are not required to discharge tax liability on such supplies; however, these supplies shall be included in the calculation of their annual aggregate turnover for compliance and reporting purposes."

28. In the principal rules, for the **FORM GST REG-01**, the following shall be substituted, namely: -

"FORM GST REG-01 [See rules 8(1), 9A, 14A and 14B]

Application for Registration

(Other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51 and a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017)

Part –A

State / UT -

District -

(i)	Legal Name of the Business: (As mentioned in Permanent Account Number)			
(ii)	Permanent Account Number: (Enter Permanent Account Number of the Business; Permanent Account Number of Individual in case of Proprietorship concern)			
(iii)	Email Address:			
(iv)	Mobile Number:			
<p>Note - Information submitted above is subject to online verification before proceeding to fill up Part-B. [Email Id and Mobile Number shall be auto populated from Income Tax database as linked with the Permanent Account Number of the applicant] .</p>				
Part –B				
1.	Trade Name, if any			
2.	Constitution of Business (Please select the appropriate category and upload document(s) as mentioned against the same.)			
(i) Proprietorship	☐	(ii) Partnership (Partnership Deed or Any Proof substantiating Constitution)	☐	
(iii) Hindu Undivided Family	☐	(iv) Private Limited Company (Certificate of incorporation)	☐	
(v) Public Limited Company (Certificate of incorporation)	☐	(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons (Registration certificate or Any Proof substantiating Constitution)	☐	
(vii) Government Department (Any Proof substantiating Constitution)	☐	(viii) Public Sector Undertaking (Certificate of incorporation or Any Proof substantiating Constitution)	☐	
(ix) Unlimited Company (Certificate of incorporation)	☐	(x) Limited Liability Partnership (Certificate of incorporation)	☐	
(xi) Local Authority	☐	(xii) Statutory Body	☐	

(Any Proof substantiating Constitution)			(Any Proof substantiating Constitution)			
(xiii) Foreign Limited Liability Partnership (Certificate of establishment)		☐	(xiv) Foreign Company Registered (in India) (Certificate of establishment)		☐	
(xiva) One Person Company (Certificate of incorporation)		☐	(xv) Others (Please specify) (Any Proof substantiating Constitution)		☐	
3.	Name of the State	▲		District	▲	
4.	Jurisdiction	State		Centre		
		Sector, Circle, Ward, Unit, etc. others (specify)				
4.1	Option for registration under rule 14A	Yes		No		
4.1.1	Declaration by person opting for registration under rule 14A - I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or the rules for opting to register under rule 14A.					
4.2	Option for registration under rule 14B	Yes		No		
4.2.1	Declaration by person opting for registration under rule 14B I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or the rules for opting to register under rule 14B.					
4.2.2	Enter GSTIN where you have physical presence in other state					
5.	Option for Composition	Yes No				
6. Composition Declaration I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or the rules for opting to pay tax under the composition scheme.						
6.1 Category of Registered Person < tick in check box>						
B. (i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government for which option is not available						

(ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II					
(iii) Any other supplier eligible for composition levy falling in section 10(1)					
C. Person eligible for composition levy under section 10(2A)					
7.	Date of commencement of business		DD/MM/YYYY		
8.	Date on which liability to register arises		DD/MM/YYYY		
9.	Are you applying for registration as a casual taxable person?		Yes	No	
10.	If selected "Yes" in Sr. No. 9, period for which registration is required		From DD/MM/YYYY	To DD/MM/YYYY	
11.	If selected "Yes" in Sr. No. 9, estimated supplies and estimated net tax liability during the period of Registration				
Sr. No.	Type of Tax	Turnover (Rs.)		Net Tax Liability (Rs.)	
(i)	Integrated Tax				
(ii)	Central Tax				
(iii)	State Tax				
(iv)	UT Tax				
(v)	Cess				
	Total				
Payment Details					
	Challan Identification Number		Date	Amount	
12.	Are you applying for registration as a SEZ Unit?		Yes	No	
	(i) Select name of SEZ				
	(ii) Approval order number and date of order				
	Period of validity		From	To	
	(iii) Designation of approving authority				
	(iv) SEZ entity ID				

13.	Are you applying for registration as a SEZ Developer?	Yes	No
	(i) Select name of SEZ Developer		
	(ii) Approval order number and date of order		
	Period of validity	From	To
	(iii) Designation of approving authority		
	(iv) SEZ entity ID		
14.	Are you applying for registration as an E-commerce operator liable to pay tax under section 9(5)?	Yes	No
	(a) Do you have physical presence in the State/Union territory where registration is being sought	Yes	No
	(b) If yes, please fill the details of the principal place of business in sr.No. 17.		
	(c) If no, please mention the details of representative for the purpose of paying tax under section 9(5):		
	Name of Person	First Name	Middle Name
			Last Name
	Mobile Number		
	Email address		
	Permanent Account Number		
	Telephone No. with STD	FAX No. with STD	
	Address	Please fill the details of address in sr. No. 17 (Principal Place of Business tab).	
15.	Reason to obtain registration:		
	(i) Crossing the threshold	(viii) Merger /amalgamation of two or more registered persons	
	(ii) Inter-State supply	(ix) Input Service Distributor	
	(iii) Liability to pay tax as recipient of goods or services u/s 9(3) or 9(4)	(x) E-commerce operator- Person liable to pay tax u/s 9(5)	
	(iv) Transfer of business which includes change in the ownership of business (if transferee is not a registered entity)	(xi) Taxable person supplying through e-Commerce portal	
	(v) Death of the proprietor (if the successor is not a registered entity)	(xii) Voluntary Basis	
	(vi) De-merger	(xiii) Persons supplying goods and/or services on behalf of other taxable person(s)	
	(vii) Change in constitution of business	(xiv) Insolvency Resolution Professional/Resolution Professional appointed under IBC for CIRP	
	(xv) Others (Not covered above) – Specify		

[illegible]

Name of the Premises/Building		Road/Street		
City/Town/Locality/Village		District		
Taluka/Block				
State		PIN Code		
Latitude		Longitude		
(b) Contact Information				
Office Address	Email	Office Telephone number	STD	
Mobile Number		Office Fax Number	STD	
(c) Nature of possession of premises (Please select appropriate category and upload the requisite document, wherever required)				
14. Owned 15. In the name of deceased ancestor 16. Leased or Rented 17. Consent based, where the premises is neither owned nor taken on rent or lease by the applicant 18. Co-working Space				

19. Special Economic Zone		
20. E-Commerce Operator's Warehouse under rule 14B		
Owned	Please upload ANY ONE of the following documents in case the premises is in the name of the applicant: 8. Latest Property Tax receipt or 8. Municipal Khata copy or 8. Property Identification copy or 8. Copy of latest Electricity Bill or 8. Copy of latest Water Bill	
Where the premises is in the name of deceased ancestor (applicable to the entity having legal name of proprietor and HUF only)	Please upload the following documents: i. Affidavit as per the requisite format and ii. Copy of Death certificate and iii. ANY ONE of the following in the name of the deceased ancestor : Latest Property Tax receipt or Municipal Khata copy or Property Identification copy or Copy of latest Electricity Bill or Copy of latest Water Bill	
Rented/Leased	Where Rent/Lease Agreement is registered	Please Upload Registered Rent or Lease agreement

	<p>Where Rent/Lease Agreement is not registered</p>	<p>Please upload the following documents:</p> <p>ii. Rent / Lease agreement should be a duly Notarized agreement on Non-Judicial Stamp Paper of minimum value</p> <p>and</p> <p>ii. ANY ONE of the following documents of the lessor:</p> <p>Latest Property Tax receipt</p> <p>or</p> <p>Municipal Khata copy</p> <p>or</p> <p>Property Identification copy</p> <p>or</p> <p>Copy of latest Electricity Bill</p> <p>or</p> <p>Copy of latest Water Bill</p>	
	<p>Where Rent/Lease Agreement is not available</p>	<p>Please upload the following documents:</p> <p>iii. An undertaking executed in this regard</p> <p>iv. Any one of the following document in the name of the applicant:</p> <p>Copy of latest Electricity Bill</p> <p>or</p> <p>Copy of latest Water Bill</p>	
<p>Consent based</p>	<p>Where the premise is neither owned nor taken on rent or lease by the applicant</p>	<p>Please provide details and upload the following documents:</p> <p>iii. Consent letter by the owner of the premises</p> <p>iv. ANY ONE of the following documents of the consentor:</p> <p>Latest Property Tax receipt</p>	

			<p>or</p> <p>Municipal Khata copy</p> <p>or</p> <p>Property Identification copy</p> <p>or</p> <p>Copy of latest Electricity Bill Copy</p> <p>or</p> <p>Copy of latest Water Bill Copy</p>	
Special Economic Zone	If the principal place of business is located in the Special Economic Zone or the applicant is a Special Economic Zone developer		Letter of Approval / Letter of Permission issued by the Development Commissioner of the SEZ	
Co-working Space (Where applicant wants to take registration on a co-working premises having been allocated a clearly designated space in that premises, by co-working space provider)	<p>If premises is owned by coworking space provider</p> <p>Whether Co-working Space Provider is registered person under GST?</p>	<p>Yes</p> <p>No</p>	<p>(✓) If yes, please provide GSTIN and check whether membership agreement is obtained from co-working space provider</p>	<p>GSTIN of Co-working Space provider</p> <p>Please upload</p> <p>ii. Membership agreement between the applicant and the co-working space provider having details of clearly designating physical space such as specific suite/ cabin/ desk number assigned to the applicant for conducting business.</p> <p>and</p> <p>iii. ANY ONE of the following documents of the co-working space provider:</p> <p>Latest Property Tax receipt</p> <p>or</p>

				<p>Municipal Khata copy</p> <p>or</p> <p>Property Identification copy</p> <p>or</p> <p>Copy of latest Electricity Bill</p> <p>Copy</p> <p>Copy of latest Water Bill</p> <p>Copy</p> <p>Please upload</p> <p>ii.</p> <p>i. Membership Agreement between the applicant and the co-working space provider having details of clearly designated physical space such as specific suite/ cabin/ desk number assigned to the applicant for conducting business.</p> <p>and</p> <p>ii. ANY ONE of the following documents of the co-working space provider:</p> <p>Latest Property Tax receipt</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>or</p> <p>Municipal Khata copy</p> <p>or</p> <p>Property Identification copy</p> <p>or</p> <p>Copy of latest Electricity Bill</p> <p>or</p> <p>Copy of latest Water Bill</p>	
	<p>If premises is taken on rent or lease by the co-working service provider</p> <p>Whether Co-working Space Provider is registered person under GST?</p>	Yes	<p>(✓) If yes, please provide GSTIN and check whether membership agreement is obtained from co-working space provider</p>	<p>GSTIN</p> <p>Please upload</p> <p>ii. Registered Rent or Lease Agreement entered into between the Co-working Space Provider and landlord.</p> <p>ii. Membership Agreement between the applicant and the co-working space provider having details of clearly designated physical space such as specific suite/ cabin/ desk number assigned to the applicant for conducting business.</p>	

		No		Please upload: iii. Registered Rent/Lease agreement between owner and the co-working space provider. iv. Membership Agreement between the co-working space operator/provider and applicant having details of physical space such as specific suite/ cabin/ desk number assigned to the applicant for conducting business.	
(d) Nature of business activity being carried out at above mentioned premises (Please tick applicable)					
Factory / Manufacturing Whether factory is registered under Factory Registration Act?	Registration Number-	Wholesale Business		Retail Business	
Warehouse/Depot		Bonded Warehouse		Supplier of services	
Office/Sale Office		-		-	
EOU/ STP/ EHTP		Works Contract		Renting/Leasing of immovable property	
Are you a AEO AEO Certificate Number If yes, please tick the category in which you fall Tier-III or Star rating? Tier-II Tier-I		Co-working space		Health and fitness Club	
Leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft		Recipient of Services as an ISD		Export	
Import		Supply of goods exclusively through		Others (Specify)	

[illegible]

18. Details of Bank Accounts (s)

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant for conducting business (If not available, *to be provided within 30 days from the date of issuance of certificate of registration in FORM GST REG-06*)
(Upto 10 Bank Accounts to be reported)

Details of Bank Account 1

[illegible]

Note – Add more accounts -----

19. Details of the Goods supplied by the Business

Please specify Goods

Sr. No.	Description of Goods	HSN Code (Two digit)/ HSN Code (Four digit)/ HSN Code (Six digit)/ HSN Code (Eight digit)
(i)		
(ii)		
...XX....		

20. Details of Services supplied by the Business.

a. Please specify Services

Sr. No.	Description of Services	SAC Code (Four digit)/ SAC Code (Six digit)
(i)		
(ii)		
...XX..		
.....		

21. Details of Additional Place(s) of Business (details to be furnished in the same way as in the table number 17)

Number of additional places	
-----------------------------	--

22. Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status In case of LLP, DIN of designated partners to be provided.		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
Residential Address			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
Block/Taluka			
State		PIN Code	
Country (in case of foreigner only)		ZIP code	

23. Details of Authorised Signatory

Checkbox for Primary Authorised Signatory

Details of Signatory No. 1

Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			

Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
Residential Address in India			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
Block/Taluka			
City/Town/Locality/Village		District	
State		PIN Code	

24. Details of Authorised Representative

Enrolment ID, if available			
Provide following details, if enrolment ID is not available			
Permanent Account Number			
Aadhaar, if Permanent Account Number is not Available			
	First Name	Middle Name	Last Name
Name of Person			
Designation / Status (drop down)			
Mobile Number			
Email address			
Telephone No. with STD		FAX No. with STD	

25. State Specific Information

State Excise License No. and the name of the person in whose name Excise License is held

(a) Field 1

- (b) Field 2
(c)
(d)
(e) Field n

26. Document Upload

A customised list of documents required to be uploaded (refer rule 8) as per the field values in the form.

27. Consent

I, the holder of Aadhaar Number to be mentioned below, hereby give my consent to Goods and Services Tax Network (GSTN) to obtain my Aadhaar Number, perform Aadhaar authentication and E-KYC with UIDAI. GSTN has informed me that my identity information would only be used for providing and improving the Website, Services as required by Central Goods and Services Tax Act/ Rules, 2017 and relevant State/U.T. Goods and Services Tax Act/Rules, 2017; and also informed that these details will not be shared with anyone else except the data processor as defined in the Digital Personal Data Protection Act, 2023, Government agencies and Tax Authorities for the purpose of Tax Administration as required by the applicable laws, and the same will be stored securely in the GSTN Aadhaar Data Vault. I understand that GSTN will share my authentication data with the Central Identities Data Repository (CIDR) for the purpose of authentication and E-KYC verification. Upon authentication with UIDAI, GSTN will receive my personal data such as Name, Gender, C/o., Date of Birth, Mobile Number, Aadhaar Number, Photo, Address and Email ID etc. from UIDAI and the same will be stored in GSTN Aadhaar Data Vault. I have read, understood, and agreed to the above terms, and I hereby provide my explicit consent.

28. Verification (by authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Name of Authorised Signatory.....

Designation/Status.....

Place:

Date:

List of documents to be uploaded: -

1.	<p>Photographs (wherever specified in the Application Form)</p> <ol style="list-style-type: none"> Proprietary Concern – Proprietor Partnership Firm / Limited Liability Partnership –Managing/ Authorised/ Designated Partners (personal details of all partners are to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner are to be submitted) Hindu Undivided Family – Karta Company – Managing Director or the Authorised Person Trust – Managing Trustee Association of Persons or Body of Individuals –Members of Managing Committee (personal details of all members are to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman are to be submitted) Local Authority – Chief Executive Officer or his equivalent Statutory Body – Chief Executive Officer or his equivalent Others – Person in Charge
2.	<p>Constitution of Business: Partnership Deed in case of Partnership Firm, Registration Certificate/Proof of Constitution in case of Society, Trust, Club, Government Department, Association of Persons or Body of Individuals, Local Authority, Statutory Body and Others etc.</p>

3. Proof of Principal Place of Business:

a. **For own premises –**

Any one of the following documents in case the premises is in the name of the applicant:

Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata Copy or Property Identification Copy or Copy of latest Electricity Bill or Copy of latest Water Bill.

b. **Where the premises is in the name of deceased ancestor (applicable to the entity having legal name of proprietor and HUF only)-**

Following documents:

i. Affidavit as per the requisite format appended to **FORM GST REG-01**, in this regard.

and

ii. Copy of Death certificate

and

iv. Any one of the following in the name of the deceased ancestor:

Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or Property Identification Copy or Copy of latest Electricity Bill or Copy of latest Water Bill.

c. **For Rented or Leased premises –**ii. **Where Rent/Lease Agreement is registered-**

Registered Rent or Lease agreement

iii. **Where Rent/Lease Agreement is not registered-**

The following documents:

Rent / Lease agreement should be a duly Notarized agreement on Non-Judicial Stamp Paper of minimum value **and**

ANY ONE of the following documents of the lessor:

Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata Copy or Property Identification Copy or Copy of latest Electricity Bill or Copy of latest Water Bill.

iv. **Where Rent/Lease Agreement is not available –**

The following documents:

3. An undertaking executed in this regard

4. Any one of the following document in the name of the applicant:

Copy of latest Electricity Bill **Or** Copy of latest Water Bill

(d) Consent based-

Where the premise is neither owned nor taken on rent or lease by the applicant

The following documents:

iii. Consent letter by the owner of the premises

iv. **ANY ONE** of the following documents of the consenter:

Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or Property Identification copy or Copy of latest Electricity Bill or Copy of latest Water Bill.

(e) Special Economic Zone (SEZ)

If the principal place of business is located in the Special Economic Zone or the applicant is Special Economic Zone developer

The following documents:

Letter of Approval / Letter of Permission issued by the Development Commissioner of the SEZ

(f) Co-Working Space (Where applicant wants to take registration on a co-working premises having been allocated a clearly designated space in that premises, by co-working space provider)

Where the premises is owned by co-working space provider:

The following documents:

ii. Membership agreement between the applicant and the co-working space provider having details of **clearly designating physical space such as** specific suite/ cabin/ desk number assigned to the applicant for conducting business;

5	<p>Authorisation Form: -</p> <p>For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:</p> <p>Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.)</p> <p>I/We --- (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of (name of registered person)</p> <p>hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory, (status/designation)>>is hereby authorised, vide resolution No. ... dated.... (copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business <<Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.</p> <p>Signature of the person competent to sign Name: Designation/Status: (Name of the proprietor/Business Entity)</p> <p>Acceptance as an Authorised Signatory</p>
---	--

Place:
Date:
Designation/Status

6. ****

7. Applicant needs to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.

8. The following persons can digitally sign the application for new registration: -

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Director
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others (specify)	Person In charge

8. Information in respect of authorised representative is optional. Please select your authorised representative from the list available on the common portal if the authorised representative is enrolled, otherwise provide details of such person.

9. State specific information are relevant for the concerned State only.

10. Application filed by undermentioned persons shall be signed digitally: -

Sr. No	Type of Applicant	Type of Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate (DSC)- Class-2 and above.
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature Signature or any other mode as may be notified

9. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number(DIN), Corporate Identification Number (CIN)/ Foreign Company Registration Number (FCRN)/ Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN)/ Foreign Limited Liability Partnership Identification Number (FLLPIN) shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled-up information.

9. Any person opting for registration under rule 14A shall undergo OTP based authentication of Aadhaar number.

10. For an application under rule 14B:

Rule 14B of CGST Rules, 2017 provides a simplified GST registration mechanism for small sellers who supplies goods exclusively through electronic commerce operator's platform subject to fulfilment of certain conditions, inter-alia, as mentioned below:

- (i) Single registration under the regular taxpayer category (registered through **FORM GST REG-01** except composition, ISD, SEZ Developer, SEZ Unit and casual Taxpayer) shall be permitted in a State or Union territory against a single PAN under rule 14B.
- (ii) Application shall be submitted where he has no physical presence and no active regular registration in the State or Union territory.
- (iii) An application shall, inter alia, be permitted where no proceedings under section 29 have been initiated or no application for cancellation of registration has been filed in respect of the registration in the home State or Union territory.
- (iv) An application shall be applicable in respect of jurisdictions other than the Other Territory category.
- (v) The GSTIN of the electronic commerce operator entered in the application shall be active and under the regular taxpayer category. The associated TCS registration on the same PAN shall also be active in the State or Union territory where the registration is sought.
- (vi) The selected electronic commerce operator may provide consent for the Principal Place of Business (PPoB) and, where applicable, the Additional Place of Business (APoB) within seven working days. Where consent for the PPoB is not received within the prescribed period, the ARN shall not be generated, and applicant may submit application again. In the case of an APoB, where consent is not received within the prescribed period, such APoB shall be deleted and the ARN shall be generated, subject to receipt of consent for the PPoB and successful completion of Biometric Aadhaar authentication and document verification, as applicable.
- (vii) After submission of the application, the Primary Authorised Signatory (PAS) of the selected home State registration shall select the Promoter/Partner for Aadhaar authentication. The PAS and the selected Promoter/Partner shall thereafter undergo Biometric Aadhaar authentication and document verification, where the same have not been successfully completed earlier.

(viii) It is advised that the electronic commerce operator should not file any application for amendment after providing consent for the PPoB and/or APoB and until approval of the registration. After grant of registration to the supplier, an application for amendment may be filed by e-commerce operator. However, before filing such application for amendment, the e-commerce operator shall withdraw the consent linked to all the concerned addresses.

(ix) Whereas the electronic commerce operator's application for change of the address declared as the registered person's principal place of business has been approved, and the registered person, being required to amend its registration accordingly, has failed to file the requisite amendment application within thirty days of such approval, the registration granted under this rule shall be deemed to be cancelled electronically by common portal and intimated to the said person in **FORM GST REG-38**. In case the said address had been declared as an Additional Place of Business by the said registered person and the said registered person failed to submit the requisite amendment application within the prescribed period of thirty days, the details of such Additional Place of Business shall be deleted from the certificate of registration.

(x) After grant of registration, where such registration is cancelled or suspended, no fresh registration under rule 14B shall be permitted.

(xi) Where applications under rule 14B are under process in multiple States or Union territories, and a field visit associated with the GSTIN of the selected home State, in connection with any such application, results in negative remarks, all such applications pending under rule 14B shall be auto-rejected in **FORM GST REG-05A**.

11. Status of the application filed online can be tracked on the common portal by entering Application Reference Number (ARN) indicated on the Acknowledgment.

12. No fee is payable for filing application for registration.

13. Authorised signatory shall not be a minor.

14. Any person having multiple places of business within a State, requiring a separate registration for any of its places of business shall need to apply separately in respect of each place of business.

15. After approval of application, registration certificate shall be made available on the common portal.

16. Temporary Reference Number (TRN) will be allotted after successfully furnishing preliminary details in PART –A of the application which can be used for filling up details in PART-B of the application. TRN will be available on the common portal for a period of 15 days.

17. Any person who applies for registration under rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of **FORM GST REG-01**, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.

18. Government departments applying for registration as suppliers may not furnish Bank Account details.

19. Taxpayers who want to pay tax by availing benefit of notification No. 2/2019 – Central Tax (Rate) dated 07.03.2019, as amended, shall indicate such option at serial no. 5 and 6.1 (iii) of this Form.”.

29. In the principal rules, in **FORM GST REG-03**, -

(i) after the word, letters and figure “**FORM GST REG-03**”, for the brackets, words, figures and letter “[See rules 9(2), 19(2) and 14A]”, the brackets, words, figures and letters “[See rules 9(2), 14A, 14B, 19 and 20]” shall be substituted;

(ii) for the words “You are directed”, the words “You are requested” shall be substituted;

(iii) the words and brackets “You are hereby directed to appear before the undersigned on (DD/MM/YYYY) at HH:MM)” shall be omitted;

(iv) before the paragraph starting with the words “If no response”, a paragraph with the following words and brackets shall be inserted, namely: -

“If you wish to be heard in person, or through an authorised representative, an opportunity of Personal Hearing is hereby granted to appear before the undersigned on (DD/MM/YYYY) at HH:MM.”.

30. In the principal rules, in **FORM GST REG-04**, -

(i) after the word, letters and figure “**FORM GST REG-04**”, for the brackets, words, figures and letter “[See rules 9(2), 19(3) and 14A]”, the brackets, words, figures and letters “[See rules 9(2), 14A, 14B, 19 and 20]” shall be substituted;

(ii) in the Table, at serial number 4, after the word and brackets “(Legal)”, the words “/ Name of the GST Practitioner/Name of the Entity in case of UIN” shall be inserted;

(iii) under the heading “Note”, -

(A) in paragraph 2, after the word “registration”, the words “/ GST Practitioner enrolment” shall be inserted.

(B) in paragraph 3, for the word, figure and letter “rule 14A”, the word, figures and letter “rule 14A / 14B” shall be substituted.

31. In the principal rules, in **FORM GST REG-05**, after the letters and figure “**FORM GST REG-05**”, for the brackets, words, figures and letter “[See rules 9(4), 19(4), 23(2)(b) and 14A]”, the brackets, words, figures and letters “[See rules 9(4), 14A, 14B, 19, 20 and 23(2)(b)]” shall be substituted.

32. In the principal rules, after the **FORM GST REG-05**, the following form shall be inserted, namely: -

“FORM GST REG-05A

[See rules 14B, 19(2)(f) and 20(11)]

Reference Number:

Date—

To

Name of the Applicant
Address
GSTIN/ UIN/ GSTP ID

Intimation of Rejection of Application for Amendment/ Registration under rule 14B /Cancellation

This has reference to your application for amendment/ registration under rule 14B/ cancellation filed vide ARN --- dated----

You have not replied to the notice issued vide reference no. dated.... within the time specified in the clause (c) of sub-rule (2) of rule 19 of CGST Rules, 2017

OR

Your application for amendment of the details relating to the principal place of business is liable to be rejected, whereas-

- a. Your registration has already been cancelled vide Form GST REG-19/38 reference no. <ref no.> dated <dd/mm/yyyy>; or
- b. the registration of the electronic commerce operator, whose warehouse address/particulars have been furnished by you as your principal place of business and on the basis of which the registration under rule 14B has been obtained by you, has been cancelled; or
- c. the registration of the Electronic Commerce Operator as a Tax Collector at Source under section 52, whose warehouse address/particulars have been furnished by you as your principal place of business, in that State/ UT and on the basis of which the registration under Rule 14B has been obtained by you, has been cancelled; or
- d. the registration in the home State selected by you in the registration under rule 14B, has been cancelled; or
- e. the address of the principal place of business mentioned in your application for amendment does not match the address for which the Electronic Commerce Operator has furnished its consent.

OR

The process as per sub rule (5) of rule 14B in respect of physical verification of the principal place of business is not successfully completed in accordance with rule 9, where physical verification has been conducted.

OR

Your application for registration under rule 14B is liable to be rejected whereas-

- a. the registration of the electronic commerce operator, whose warehouse address/particulars have been furnished by you as your principal place of business and on the basis of which the application for registration under rule 14B has been submitted by you, has been cancelled; or
- b. the registration of the Electronic Commerce Operator as a Tax Collector at Source under section 52, whose warehouse address/particulars have been furnished by you as your principal place of business, in that State/ UT and on the basis of which the application for registration under rule 14B has been obtained submitted by you, has been cancelled; or
- c. the registration in the home State selected by you in your application for registration under rule 14B, has been cancelled; or
- d. the address of the principal place of business mentioned in your application for registration does not match the address for which the Electronic Commerce Operator has furnished its consent.

OR

You have not replied to the notice issued vide reference no. dated.... within the time specified in the sub-rule (8) of rule 20 of CGST Rules, 2017.

OR

Your application for cancellation of registration submitted by you is liable to be rejected as your registration under rule 14B has already been cancelled vide Form GST REG-19/38 reference no. <ref no.> dated <dd/mm/yyyy>

Therefore, your application hereby stands rejected in accordance with the provisions of the Act.

This is a system generated document. It does not require any physical signature.”.

33. In the principal rules, for **FORM GST REG-14**, -

(i) the following form shall be substituted, namely: -

“FORM GST REG-14

[See rule 19(1)]

Application for Amendment in Registration Particulars/ Enrolment as GST Practitioner Particulars
(For all types of registered persons)

1. GSTIN/ UIN/ GSTP ID		
2. Name of Business/ Name of the GST Practitioner		
3. Type of registration		
4. Verification of Mobile and e-mail address (please refer instruction no. 3 ,4,5 and 6)		
(i) Primary Authorised Signatory (auto)		
(ii) Promoter/Partner (auto)		
5. Amendment summary		
Sr. No	Field Name	Reasons(s)
6.	List of documents uploaded	
	(a)	
	(b)	
	(c)	
	...	
7. Declaration		
I hereby solemnly affirm and declare that the detail furnished in registration form are required to be changed which does not warrant cancellation of registration and the documents relating to such change are uploaded on the common portal and that I shall be bound by the acts of such change. Further, I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.		
Signature		
Place:	Name of Authorised Signatory	
Date:	Designation / Status:	

Instructions for submission of application for amendment

1. Application for amendment shall be submitted online.
2. Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.
3. Online verification of mobile number and e-mail address of Primary Authorised Signatory and one selected Promoter or Partner or Director or Karta or Member or Trustee etc. will be mandatory for amendment application.
4. For any change, in any of the particulars furnished in the application for registration in, **FORM GST REG-07** or **FORM GST REG-09** or **FORM GST REG-10** or **FORM GST-REG-13**, online verification of mobile number and e-mail address of Authorised Signatory is mandatory.
5. In case of any change, in any of the particulars furnished in the application for registration in **FORM GST PCT-01**, online verification of mobile number and Email address of GST practitioner is mandatory.
6. For online verification of mobile number and e-mail address/ OTP authentication (as per Sr.No.3,4 and 5), 3 days will be provided from the date of submission of application. If authentication is not completed/not done successfully, ARN will not be generated.
7. Changes related to details of principal place of business or professional address shall require approval of the proper officer.
8. Where a change results in change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall be required to apply for fresh registration.
9. Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal.
10. All information related to Permanent Account Number, Director Identification Number, Corporate Identification Number shall be validated online by the system and Application Reference Number (ARN) will be generated after successful validation of necessary field.

11. Status of the application can be tracked on the common portal.
12. No fee is payable for submitting application for amendment.
13. Authorised signatory shall not be a minor.
14. The documents required to be uploaded in an amendment application in respect of any particulars furnished in the application form for registration shall be same as those required while filing application form for registration in respect of said particulars.
15. Change relating to principal place of business details shall not be allowed during suspension or cancellation of registration.”
- (ii) in the instructions to the said form, in Sr. no. 7, the following shall be substituted from 1st day of December, 2026, namely-
- “7. Changes related to details of Principal Place of Business, except for in respect of taxpayer who has obtained registrations under rule 14A and who has not opted to withdraw under sub-rule (5) of rule 14A, or professional address shall require approval of the proper officer.”
34. In the principal rules, in **FORM GST REG-15**, -
- (i) after the word, letters and figure “**FORM GST REG-15**”, for the brackets, words and figures “[See rule 19(1)]”, the brackets, words, figures and letters “[See rules 19(2)(b) and 19(2)(d)]” shall be substituted;
- (ii) after the words “GSTIN / UIN”, the words “/ GSTP ID” shall be inserted;
- (iii) under the heading “Order of Amendment”, after the word “registration”, wherever it occurs, the words “/enrolment as GST Practitioner” shall be inserted.
35. In the principal rules, with effect from the 01st day of December, 2026, in **FORM GST REG-16**, -
- (a) in the entries relating to Sr. No. 6, (i) the words “closure”, shall be omitted, (ii) for the words “Ceased to be liable to pay tax”, the words “No longer liable to be registered under section 22 or section 24, or opting out of voluntary registration under section 25(3)” shall be substituted, (iii) the words “Transfer of business on account of amalgamation, merger/demerger, sale, lease or otherwise disposed of etc.” shall be omitted, (iv) the words “leading to...in” the words “resulting in... of” shall be substituted (v) the words “Death of Sole Proprietor” the words “Transfer of the business on account of death of the proprietor” shall be substituted, (vi) the words “Transfer of the business for any other reason, including amalgamation with other legal entity, demerger or other disposal” shall be inserted, (vii) the words “Others (specify)” shall be omitted;
- (b) in the entries relating to Sr. No. 8, for the words “registration is to be cancelled”, the words “cancellation is sought” shall be substituted;
- (c) in Sr. No. 9, after clause (iii), the following clause and entries shall be inserted, namely: -

“(iv) Whether you wish to file a NIL return for the period commencing after the last tax period for which a return has been filed and ending on the date from which cancellation of registration is sought?”	YES NO”;
--	-------------

(d) for the entries relating to Sr. No. 10 and Sr. No. 11, the following entries shall be substituted, namely: -

“10.	Details of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, and capital goods/plant and machinery on which input tax credit is required to be reversed and paid back to Government											
Sr. No.	GST IN	Invoice/Bill of Entry		Description of inputs held in stock, inputs contained in semifinished or finished goods held in stock and capital goods /plant and machinery	Unit Quanti Code (UQC)	Qty	Value (As adjusted by debit / credit note)	Input tax credit/ Tax payable (whichever is higher) (Rs.)				Cess
		No.	D at e					Central tax	State / Union territory tax	Integrated tax		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12

10 (a) Inputs held in stock (where invoice is available)										
10 (b) Inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock (where invoice is available)										
10 (c) Capital goods/plant and machinery held in stock										
10 (d) Inputs held in stock or inputs as contained in semi-finished or finished goods held in stock (where invoice is not available)										
Total										
11. Amount of tax payable and paid (based on Table 10)										
Sr. No.	Description	ITC reversible/Tax payable	Amount paid through debit to electronic cash ledger	Amount paid through debit to electronic credit ledger						
				Central Tax	State/territory Tax	Union Integrated Tax	Cess			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Central Tax									
2.	State/ Union territory Tax									
3.	Integrated Tax									
4.	Cess									
5	Total amount of tax paid						”;			

(e) under the heading “Instructions for filing of Application for Cancellation”, after the last paragraph, the words “Before applying for cancellation, please file your tax return due for the tax period in which the effective date of surrender of registration falls [or furnish an application to the effect that no taxable supplies have been made during the intervening period (i.e. from the date of registration to the date of application for cancellation of registration).” shall be omitted, the words “After submission of application for cancellation of registration, the registered person shall make payment, if not made at the time of this application, and shall furnish final return as provided in the Act.” shall be omitted, the following paragraphs shall be inserted, namely: -

“

- Applicants shall furnish details of stock of inputs, inputs contained in semi-finished or finished goods and stock of capital goods/plant and machinery on which input tax credit has been availed.
- Following points need to be taken care of while providing details of stock at Sr. No. 10:
 - where the tax invoices related to the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (3) of rule 44 based on prevailing market price of the goods;
 - in case of capital goods/ plant and machinery, the value should be the invoice value reduced by 1/60th per month or part thereof from the date of invoice/purchase taking useful life as five years.
- The registered person is required to fill the date from which the cancellation of registration is sought.
- The registered person shall be given an option to declare whether he wishes to file a NIL return for the period from the date of filing of the last tax period till the date of from which the cancellation of registration is sought.
- The date from which cancellation of registration is sought by the registered person cannot be earlier than the date of filing of returns for the last tax period.
- Tables 10 and 11 are not required to be filled by the taxpayers or persons who are registered as -
 - 8. Input Service Distributors;
 - 9. Persons paying tax under section 10;
 - 10. Non-resident taxable person;
 - 11. Persons required to deduct tax at source under section 51;
 - 12. Persons required to collect tax at source under section 52;
 - 13. Persons supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person; and
 - 14. UN Bodies/Embassies having Unique Identity Numbers.

36. In the principal rules, for **FORM GST REG-17**, the following form shall be substituted, with effect from the 1st day of April, 2027, namely: -

“FORM GST REG-17

[See rule 22]

Reference No. –

<< Date >>

To

Registration Number (GSTIN/UIN)
(Name)
(Address)

SHOW CAUSE NOTICE FOR CANCELLATION OF REGISTRATION

Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled for the following reasons: -

(Drop Down for Specific reasons)

- a. *has obtained registration by means of fraud, wilful misstatement or suppression of facts; or*
- b. *does not conduct any business from the declared place of business; or*
- c. *issues invoice or bill without supply of goods or services or both; or*

- d. *has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 and has not commenced business within six months from the date of registration; or*
- e. *violates the provisions of third or fourth proviso to sub-rule (1) of rule 23.*

1
2
3
....

You are hereby requested to furnish a reply to this notice within seven days from the date of service of this notice.

If you wish to be heard in person, or through an authorised representative, an opportunity of personal hearing is hereby granted to appear before the undersigned on (DD/MM/YYYY) at HH:MM).

-

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided *ex parte* on the basis of available records and on merits.

Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.

Signature
<Name of the Officer>
Designation
Jurisdiction

Date:
Place:

Note: - Your registration stands suspended with effect from ----- (date).”.

37. In the principal rules, in **FORM GST REG-18**, after the letters and figure “**FORM GST REG-18**”, for the brackets, words and figures “[See rule 22(2)]”, the brackets, words and figure “[See rule 22]” shall be substituted with effect from the 01st day of April 2027.

38. In the principal rules, in **FORM GST REG-19**, -

- (i) after the letters and figure “**FORM GST REG-19**”, for the brackets, words and figures “[See rule 22(3)]”, the brackets, words and figures “[See rules 20 and 22]” shall be substituted;
- (ii) before the words “The effective date of cancellation of your registration is <<DD/MM/YYYY>>.”, the following paragraph shall be inserted.

“This has reference to your application of cancellation of registration in **FORM GST REG-16** <ref number> dated <dd/mm/yyyy>

- Whereas upon examination of the said application, it is found to be in order; OR
- Whereas upon examination of the said reply furnished by you, the same has been found satisfactory; OR
- Whereas your application for cancellation of registration is deemed to be approved in terms of sub-rule (12) of rule 20 of the CGST Rules, 2017”.

(iii) before the words “The effective date of cancellation of your registration is <<DD/MM/YYYY>>.”, the words “Your registration is hereby cancelled.” shall be inserted,

(iv) after the paragraph “It may be noted that a registered person furnishing return under sub-section (1) of section 39 of the CGST Act, 2017 is required to furnish a final return in **FORM GSTR-10** within three months of the date of this order “the words “, where applicable.” shall be inserted and after the words “You are required to furnish all your pending returns” the words “, where applicable.” shall be inserted.

39. In the principal rules, in **FORM GST REG-20**, with effect from the 01st day of April, 2027 -

- (i) for the brackets, words and figures “[See rule 22(4)]”, the brackets, words and figure “[See rule 22]” shall be substituted;
- (ii) for the words, brackets, letters and figure “clause (b) or clause (c) of sub-section (2)”, the words, brackets, letters and figure “clause (e), clause (f) and clause (g) of sub-section (3)” shall be substituted.

40. In the principal rules, in **FORM GST REG-22**, the following shall be substituted, with effect from the 01st day of April 2027: -

“**FORM GST REG-22**
[See rule 23(2) and rule 23A (2)]

Reference No.

Date

To
GSTIN/UID
(Name of Taxpayer)
(Address)

Application Reference No. (ARN)

Date

Order for revocation of cancellation of registration under rule 23(2)

This has reference to your application dated DD/MM/YYYY for revocation of cancellation of registration. Your application has been examined and the same has been found to be in order. Accordingly, your registration is restored.

Or

Order for revocation of cancellation of registration under rule 23A (2)

This has reference to your application dated DD/MM/YYYY for revocation of cancellation of registration. You have furnished all the pending return or complied with provisions of rule 10A of CGST Rules, 2017, as the case may be, and the same has been found to be in order. Accordingly, your registration is restored.

Signature

Name of Proper officer

(Designation)

Jurisdiction –

Date

Place

This is a system generated order and does not require signature when issued under rule 23A.”.

41. In the principal rules, for the **FORM GST REG-31**, the following shall be substituted, with effect from the 01st day of April, 2027, namely: -

“FORM GST REG – 31

[See rule 21A]

Reference No.

Date: <DD><MM><YYYY>

To,

GSTIN

Name:

Address:

SUB: INTIMATION FOR SUSPENSION AND NOTICE FOR CANCELLATION OF REGISTRATION UNDER SUB-RULE (2) OF RULE 21A

Registration is liable to be suspended, whereas the registered person:

- a. paying tax under section 10 has not furnished the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return; or
- b. required to file return under sub-section (1) of section 39 for each month or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of six months; or
- c. required to file return under proviso to sub-section (1) of section 39 for each quarter or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of two tax periods; or
- d. violates the provision of rule 10A.

2. Considering that the above, your registration stands suspended, with effect from the date of this communication, in terms of rule 21A.

3. Accordingly, you are requested to furnish **all the returns due or** the valid details of bank account, as the case may be, on the common portal within thirty days from the receipt of this notice.

4. The suspension of registration shall be lifted after you furnish **all the returns due or** the valid details of bank account on the common portal within stipulated time.

5. You may please note that your registration may be cancelled under sub-rule (5) of rule 22, electronically by the common portal in case you fail to furnish **all the returns due or** the valid details of bank account on the common portal within a period of thirty days from the date of suspension under sub-rule (2) of rule 21A.

NB: This is a system generated notice and does not require signature by the issuing authority.”.

42. In the principal rules, for **FORM GST REG-32**, the following shall be substituted, namely: —

“FORM GST REG-32
[See rules 14A (5) and 14B]
Application for Withdrawal

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. Address of principal place of business	
5. Option for registration under rule 14A	
(i) Yes	
(ii) No	
6. Option for registration under rule 14B	
(i) Yes	
(ii) No	
7. principal place of business after withdrawal from rule 14B: The address of the electronic commerce operator's warehouse is not permitted to be used as principal place of business. Please provide an address having a physical presence in the State/Union territory.	
8. Aadhaar Authentication	
(i) Primary Authorised Signatory (auto)	
(ii) Promoter/Partner (auto)	
9. Reason for Withdrawal from rule 14A	iii. Output tax liability in respect of supplies made to registered persons exceeds ₹2.5 lakh per month. iv. Other -Please specify
10. Reason for Withdrawal from rule 14B	v. Output tax liability in respect of supplies made to registered persons exceeds ₹2.5 lakh per month. vi. Intends to make supplies other than through an E-commerce Operator. vii. Intends to establish a physical place of business in the same State/UT. viii. Others (please specify).
11. Verification	
9. I _____ hereby solemnly affirm and declare that I want to withdraw from the option availed under sub-rule (1) of rule 14A and I understand that the provisions of sub-rules (4A), (5) and (6) of rule 8 and provisions of rule 9 relating to verification of the application and physical verification of places of business and corresponding procedures and time period shall apply to my withdrawal application.	
10. I _____ hereby solemnly affirm and declare that I want to withdraw from the option availed under sub-rule (1) of rule 14B and I understand that the provisions of sub- rules (4A) and (5) of rule 8 and	

provisions of rule 9 relating to verification of the application and physical verification of places of business and corresponding procedures and time period shall apply to my withdrawal application.

Signature of Authorised Signatory Name

Designation / Status

Place

Date

Instructions for submission of application for withdrawal

In 'Option for registration under rule 14A/14B' field, option YES will be disabled on common portal.

10. Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.
 11. Aadhaar Authentication of Primary Authorised Signatory and one selected Promoter or Partner is mandatory.
 12. Before applying for withdrawal from the option availed under rule 14A, all the pending returns till the date of application shall be furnished. It is mandatory to furnish returns for a period of minimum three months, where such application has been filed before 1st April, 2026, and a minimum one tax period, where such application is filed on or after 1st April, 2026. Before applying for withdrawal from the option availed under rule 14B, it is mandatory to furnish returns for a minimum one tax period.
 13. Please ensure that no amendment application is pending at the time of filing of FORM GST REG-32.
 14. Once FORM GST REG-32 is filed, no amendment application will be allowed to be filed till the disposal of application under FORM GST REG-32.
 15. ARN will be generated only after successful OTP based authentication of Aadhaar number or completion of the process of biometric based Aadhar authentication along with the verification of original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01.
 16. Please note that filing of cancellation application will not be allowed once FORM GST REG- 32 is filed till the disposal of application.
 17. In case the proceedings under section 29 have been initiated, application for withdrawal in FORM GST REG-32 will not be allowed to be filed.”.
43. In the principal rules, for the **FORM GST REG-33**, the following shall be substituted, namely: —
“FORM GST REG-33
[See rules 14A (10) and 14B]

Reference Number - <<>>

Date – DD/MM/YYYY

To

(Name)

(Address)

Registration Number (GSTIN)

Application Reference No. (ARN)
 DD/MM/YYYY

Dated –

ORDER OF WITHDRAWAL FROM OPTION AVAILED UNDER SUB-RULE (1) OF RULE 14A OR SUB-RULE (1) OF RULE 14B

This has reference to your application number----- dated submitted under sub-rule (5) of rule 14A or sub-rule (20) of rule 14B regarding withdrawal from the option availed under sub-rule (1) of rule 14A or sub-rule (1) of rule 14B. Your application has been examined and the same has been accepted under the provisions of sub-rule (10) of rule 14A or sub-rule (26) of rule 14B. The amended certificate of registration is available on your dashboard for download.

Signature

Name
Designation
Jurisdiction
Date:
Place:”.

44. In the principal rules, after the **FORM GST REG-33** the following shall be inserted, with effect from the 01st day of April 2027, namely: —

“FORM GST REG-34
[See rule 20 (14)]

Reference No. —

<< Date >>

To

Registration Number (GSTIN/UIN)

(Name)

(Address)

SHOW CAUSE NOTICE FOR CHANGE IN EFFECTIVE DATE OF CANCELLATION

Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that effective date of cancellation of registration is liable to be changed for the following reasons: -

(Drop Down for Specific reasons)

has obtained registration by means of fraud, wilful misstatement or suppression of facts; or

- a. does not conduct any business from the declared place of business;
- b. issues invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder; or
- c. has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 and has not commenced business within six months from the date of registration; or

You are hereby requested to furnish a reply to this notice within thirty days from the date of service of this notice.

If you wish to be heard in person, or through an authorised representative, an opportunity of personal hearing is hereby granted to appear before the undersigned on (DD/MM/YYYY) at HH:MM).

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided *ex parte* on the basis of available records and on merits.

Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.

Signature
<Name of the Officer>
Designation
Jurisdiction

Place:
Date: ”.

45. In the principal rules, after the **FORM GST REG-34** the following shall be inserted, with effect from the 01st day of April 2027, namely: —

“FORM GST REG-35

[See rule 20 (15)]

**REPLY TO THE SHOW CAUSE NOTICE ISSUED FOR CHANGE IN EFFECTIVE DATE
OF CANCELLATION**

1.	Reference No. of Notice	Date of issue
2.	GSTIN / UIN	
3.	Name of business (Legal)	
4.	Trade name, if any	
5.	Reply to the notice	
6.	List of documents uploaded	
7.	<p>Verification I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p> <p>Signature of Authorised Signatory: Name: Designation/Status:</p> <p>Place: Date: ".</p>	

46. In the principal rules, after the **FORM GST REG-35** the following Form shall be inserted, with effect from the 01st day of April 2027, namely: —

“FORM GST REG-36

[See rules 20 (16)/20(19)]

Reference No.-

Date: DD/MM/YYYY

To

<Taxpayer Name>

<Taxpayer Address>

GSTIN/ UIN: <GSTIN number>

Show Cause Notice No.: <SCN number> Date: DD/MM/YYYY

Sub: Order for Dropping the Proceedings for Change in effective date of Cancellation

This has reference to your reply filed *vide* ARN.... dated..... in response to the Show Cause Notice referred to above. Upon consideration of your reply and/or submissions made during hearing, the proceedings initiated for change in effective date of cancellation of registration stands vacated for the following reasons:

.....

Signature:

< Name of the Officer>

Designation:

Jurisdiction:

Place:

Date: ".

OR

This has reference to the Show cause notice referred to above. As no order has been issued within sixty days from the date of issue of the said notice, the proceedings initiated for change in effective date of cancellation of registration are deemed to be dropped under sub-rule (19) of rule 20.

NB: This is a system generated order and does not require signature by the issuing authority.

Date:”.

47. In the principal rules, after the FORM GST REG-36, the following form shall be inserted, with effect from the 01st day of April 2027, namely: —

“FORM GST REG-37

[See rules 20(17)/20(18)]

Reference Number

Date

To

Name

Address

GSTIN / UIN

Application Reference Number (ARN)

Date

ORDER FOR CHANGE IN EFFECTIVE DATE OF CANCELLATION OF REGISTRATION

This has reference to Show Cause Notice issued dated

7. Whereas no reply to the Show Cause Notice has been submitted; and whereas, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that effective date cancellation of your registration is liable to be changed for following reason(s): or
8. Whereas reply to the Show Cause Notice has been submitted *vide* <ARN Number> dated___; and whereas, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that effective date of cancellation of your registration is liable to be changed for following reason(s): or
9. Whereas no reply to the Show Cause Notice has been submitted and on day fixed for personal hearing, and whereas, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that effective date of cancellation of your registration is liable to be changed for following reason(s): or
10. Whereas no reply to the Show Cause Notice has been submitted, but you/ your authorised representative attended the personal hearing and made a written or verbal submission; and whereas, the undersigned on examination of your written or verbal submission made during personal hearing and based on record available with this office is of the opinion that that effective date of cancellation of your registration is liable to be changed for following reason(s): or
11. Whereas reply to the Show Cause Notice has been submitted *vide* <ARN Number> dated___. But you or your authorised representative did not attend the personal hearing on scheduled or extended date; and whereas, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that effective date of cancellation of your registration is liable to be changed for following reason(s): or
12. Whereas reply to the Show Cause Notice has been submitted *vide* <ARN Number> dated___and you/ your authorised representative attended the personal hearing, made a written/oral submission during personal hearing; and whereas, the undersigned has examined your reply to show cause notice as well as submissions

made at the time of personal hearing and is of the opinion that effective date of cancellation of your registration is liable to be changed for following reason(s):

The effective date of cancellation of your registration is <<DD/MM/YYYY>>.

Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.

It may be noted that a registered person furnishing return under sub-section (1) of section 39 of the CGST Act, 2017 is required to furnish a final return in FORM GSTR-10 within three months of the date of this order.

- You are required to furnish all your pending returns.
- It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

Signature:

< Name of the Officer>

Designation:

Jurisdiction:

Place:

Date: ”.

48. In the principal rules, after the **FORM GST REG-37**, the following Form shall be inserted, namely: —

FORM GST REG-38

[See rules 14(B), 20 and 22]

Reference No.- ...

Date: DD/MM/YYYY

To GSTIN/ UIN:

Date: DD/MM/YYYY

Cancellation of Registration

This is in reference to application for cancellation of registration submitted by you *vide* Reference Number ... dated DD/MM/YYYY. Upon submission of application for cancellation of registration, the registration is deemed to be cancelled from the date of submission of the application/date from which cancellation is sought.

OR

The registration obtained under rule 14B is deemed to be cancelled whereas-

- a) the electronic commerce operator withdraws the permission given to the registered person for making the supply of goods through him from his warehouse which has been declared as his principal place of business by the registered person or whose registration including associated registration for collection of tax at source under section 52 has been cancelled and where the said registered person has not applied for amendment of details of registration within thirty days from the date of withdrawal of such permission or cancellation of such registration, as the case may be; or
- b) the registration obtained in the home State has been cancelled declaring which the registration under this rule has been obtained; Or
- c) the electronic commerce operator's application for change of the address declared as the registered person's principal place of business has been approved, and the registered person, being required to amend its registration, accordingly, has failed to file the requisite amendment application within thirty days of such approval.

3. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

Place:

Date:

*This is system generated order and it does not require any signature.”.

49. In the principal rules, in **FORM GSTR-3B**, after the word, letters and figure “**FORM GSTR-3B**”, for the brackets, words and figures “[See Rule 61(5)]”, the brackets, words and figures “[See rule 61(1)]” shall be substituted.

50. In the principal rules, in **FORM GSTR-4**, -

(i) for Table number 5 and entries relating thereto, the following Table shall be substituted, namely: -

Sl. No.	Description	Value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	Outward supplies of Goods (including exempt supplies)					
1(a)	Outward supplies of Services (including exempt supplies) but (excluding supplies of Services made through an ECO, where the ECO is liable to pay tax under section 9(5))					
1(b)	Outward supplies of Services made through an ECO, where the ECO is liable to pay tax under section 9(5).					
2	Inward supplies attracting reverse charge including import of services					
3	Tax payable (1+1(a)+2)					
4	Interest payable, if any					
5	Tax and interest paid					”,

(ii) under the heading "Instructions", after serial number 5, the following serial numbers shall be inserted, namely: -

“5A The taxpayer shall report outward supplies (and adjustments thereof) for the supply of goods (including exempt supplies) in the designated column.

5B Outward supplies (and adjustments thereof) of services including exempt supplies but excluding supply of services where ECO is liable to pay tax under section 9(5), are to be reported in Table 1(a)

5C The taxpayer shall report Outward Supplies of Services (and adjustments thereof) where the electronic commerce operator (ECO) is liable to pay tax under section 9(5), separately Table 1(b). Composition taxpayers are not required to discharge tax liability on such supplies; however, these supplies shall be included in the calculation of their annual aggregate turnover for compliance and reporting purposes.”

51. In the principal rules, in **FORM GSTR-4A**, after the word, letters and figure “**FORM GSTR-4A**”, for the brackets, words and figures “[See Rules 59(3) and 66(2)]”, the brackets, words and figures “[See rule 60(1)]” shall be substituted.

52. In the principal rules, in **FORM GSTR-5**, under the heading “Instructions”, in serial number 3, for the figure and letters “20th”, the figure and letters “13th” shall be substituted.

53. In the principal rules, in **FORM GSTR-6**, -

(i) Table 7 and entries relating thereto and Table 11 and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in Table 8, after the words and figure “Table No. 6”, the word and figure “and 7” shall be omitted;

(iii) under the heading “Instructions: -”, -

(A) in serial number 6, after the words “its Units”, the words “in the same tax period in which the inward supplies have been received” shall be omitted;

(B) serial number 9 and entries relating thereto and serial number 10 and entries relating thereto shall be omitted.

54. In the principal rules, in **FORM GSTR-6A**, -

(i) for the brackets, words and figures “[See Rules 59(3) and 65]”, the brackets, words and figures “[See rules 60(1) and 65]” shall be substituted;

(ii) after the words “DETAILS OF SUPPLIES AUTO-DRAFTED FORM”, for the brackets, words, letters and figures “(Auto-drafted from GSTR-1, GSTR-1A, GSTR-5 and GSTR-7)”, the brackets, words, letters and figures “(Auto-drafted from GSTR-1, GSTR-1A and GSTR-5)” shall be substituted.

55. In the principal rules, in **FORM GSTR-7A**, with effect from 1st day of January, 2027, Table No. 7 and entries relating thereto, shall be substituted with the following table, namely: -

“7. Details of supplies and Amount of tax deducted –

Invoice/ Document details			Amount paid to deductee liable for TDS (₹)	Amount of Tax Deducted at Source (₹)		
No.	Date	Value		Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4	5	6	7
						”;

56. In the principal rules, in **FORM GSTR-9**, under the heading “Instructions”, -

(i) in paragraph 4, -

(A) after the words, letters and figures “or FY 2024-25” the words, letters and figures “or FY 2025-26 onwards” shall be inserted;

(B) in the Table, -

(I) in second column, against table number “5D, 5E and 5F”, for the letters, figures and words “FY 2023-24 and FY 2024-25”, the letters, figures and words “FY 2023-24, FY 2024-25 and FY 2025-26 onwards” shall be substituted;

(II) in second column, against table numbers 5H, 5I and “5J and 5K”, for the figures and word “2023-24 and 2024-25”, the figures and words “2023-24, 2024-25 and 2025-26 onwards,” shall be substituted;

(ii) in paragraph 5, in second column, against table numbers 6B, 6C and 6D, for the figures and word “2023-24 and 2024-25”, the figures and words “2023-24, 2024-25 and 2025-26 onwards,” shall be substituted;

(iii) in paragraph 8, in second column, against table numbers “15A, 15B, 15C and 15D”, “15E, 15F and 15G”, 16A, 16B, 16C and “17 & 18”, for the figures and word “2023-24 and 2024-25”, the figures and words “2023-24, 2024-25 and 2025-26 onwards,” shall be substituted.

57. In the principal rules, in **FORM GSTR-9C**, under the heading “Instructions”, -

(i) in paragraph 4, in second column, against table numbers 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5H, 5I, 5J, 5K, 5L, 5M and 5N, for the figures and word “2023-24 and 2024-25”, the figures and words “2023-24, 2024-25 and 2025-26 onwards,” shall be substituted;

(ii) in paragraph 6, in second column, against table number 14, for the figures and word “2023-24 and 2024-25”, the figures and words “2023-24, 2024-25 and 2025-26 onwards,” shall be substituted.

58. In the principal rules, for the **FORM GST RFD-01** the following FORM shall be substituted with effect from the 01st day of December, 2026, namely:-

“FORM- GST-RFD-01

[See rules 89(1), 89 (1A) and 89 (1B)]

Application for Refund

(Applicable for casual or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector, un-registered person and other registered taxable person)

1.	GSTIN / Temporary ID							
2.	Legal Name							
3.	Trade Name, if any							
4.	Current registration status, as on date of filing							
5.	Address							
6.	Tax period (if applicable)		From<Year><Month>		To		<Year><Month>	
7.	Amount of Refund Claimed (Rs.)	Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central tax								
State / UT tax								
Integrated tax								
Cess								
Total								
8.	Ground of refund claim (select from drop down)	(a) Excess balance in Electronic Cash Ledger						
(b) Exports of services-with payment of tax								
(c) Exports of goods/services-without payment of tax (accumulated ITC) Whether refund of ITC availed on capital goods being claimed? Y/N								
(d) On account of order								
Sr. No.		Type of order	Order no.	Order date	Order Issuing Authority	Payment reference no., if any		
ii.		Assessment						
iii.		Finalization of Provisional assessment						
iv.		Appeal						
v.		Any other order (specify)						
(e) ITC accumulated due to inverted tax structure except refund filed under category mentioned in (f).								

			[clause (ii) of first proviso to section 54(3)] Whether refund of ITC availed on capital goods being claimed? Y/N ☐			
		(f)	ITC accumulated due to inverted tax structure where ITC accumulated involves supply made on account of notification No. 40/2017-CT(R) dated 23.10.2017 or notification No. 41/2017-IT(R) dated 23.10.2017. [clause (ii) of first proviso to section 54(3)] ☐ Whether refund of ITC availed on capital goods being claimed? Y/N			
		(g)	On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer (with payment of tax)			
		(h)	On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer (without payment of tax) ☐ Whether refund of ITC availed on capital goods being claimed? Y/N			
		(i)	Recipient of deemed export supplies/ Supplier of deemed export supplies			
		(j)	Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-state supply and vice versa (change of POS)			
		(k)	Excess payment of tax, if any			
		(l)	Refund to unregistered person			
		(m)	Export of electricity without payment of tax (accumulated ITC) ☐ Whether refund of ITC availed on capital goods being claimed? Y/N			
		(n)	Additional integrated tax paid on upward revision in price of goods subsequent to export			
		(o)	Any other (<i>specify</i>)			
9	Details of Bank account	Name of bank	Address of branch	IFSC	Type of account	Account No.
10.	CA certificate, under rule 89(2)(m), if applicable		UDIN No.: Date: Firm registration No.: ICAI enrolment No.: CA name: (This Certificate is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.) <i>Attachment of CA certificate (Annexure 2)</i>			

Nature of Business activity/Brief profile of business activity[optional]:
(in not more than **1000 words**):

DECLARATION- A [First proviso to section 54(3), rule 89(4) and 89(5)]

In case of refund claimed under clause (i) of first proviso to section 54(3)

I/We hereby declare that the refund of input tax credit claimed in the application does not include (1) ITC availed on capital goods and (2) ITC not available under 17(5).

In case of refund claimed under clause (ii) of first proviso to section 54(3)

I/We hereby declare that the refund of input tax credit claimed in the application does not include (1) ITC availed on capital goods, (2) ITC not available under 17(5), (3) ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies, and (4) ITC availed on input services.

DECLARATION - B [rule 89(2)(f)]

I/We hereby declare that tax has not been collected from the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer in respect of supply of goods or services or both covered under this refund claim.

DECLARATION - C [Second proviso to rule 89(1)]

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient

I/We hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I/We also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier

I/We hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed. I/We also declare that the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

DECLARATION - D (section 54(4) & rule 89(2)(i))

I/We hereby declare that in respect of the refund amounting to Rs.--/ with respect to the tax, interest, or any other amount claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54)

DECLARATION - E [Rule 91(1)]

I/We hereby declare that I/We have not been prosecuted for any offence under the Act or under an existing law where the amount of tax evaded exceeds five hundred lakh rupees, during any period of five years immediately preceding the tax period to which the claim for refund relates.

UNDERTAKING - A

I/We hereby undertake to deposit to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case of non-receipt of foreign exchange remittances as per section 16 of the IGST Act, 2017 read with rule 96B of the CGST Rules, 2017.

UNDERTAKING - B

I/We hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of sub-section (2) of section 16 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

11. Verification

I/We <Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.

Place

Date

Signature of Authorised Signatory

(Name)

Designation/Status

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

(Amount in Rs.)

[illegible]

Statement 2[rule 89(2)(c)]
Refund Type: Export of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Document Details					Integrated Tax	BRC/FIRC			GSTR 1 period
	Type of Document	No.	Date	Value	Taxable Value		No.	Date	Value	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Statement 3 [rule 89(2)(b) and rule 89(2)(c)]
Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)

(Amount in Rs.)

Sr. No	Document Details					Goods/ Services (G/S)	HSN/ SAC	Shipping bill/Bill of export				EGM Details		BRC / FIRC		
	Type of Document	No.	Date	Value				Port Code	No.	Date	FOB Value	Ref. No.	Date	No.	Date	Value
1	2	3	4	5	6		6A	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Statement-3A [rule 89(4)]
Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)

(Amount in Rs.)

	Turnover of zero-rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover (3=3a+3b+3c)			Refund amount (1x2÷3)
Tax/Cess			Non zero-rated supply of goods and services	Zero-rated supply of goods	Zero-rated supply of services	
1A	1	2	3a	3b	3c	4

Integrated Tax						
Central Tax						
State / UT Tax						
Cess						
TOTAL						

Statement-3B [rule 89 (2) (ba)]

Refund Type: Export of electricity without payment of tax (accumulated ITC)

(Amount in Rs.)

[illegible]

■

Statement 4 [rule 89(2)(d) and rule 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Document Details					Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export (in case of supply of goods)/ Endorsed invoice by SEZ (in case of supply of services)			Taxable Value	Integrated Tax	Cess	Payment details				
	Type of Document	No.	Date	Value	HSN/ SAC		Port Code	No.	Date				Transaction ID No.	Date	Amount	Bank account no.	IFSC Code
1	2	3	4	5	5A	5B	5C	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (without payment of tax)

[illegible]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC)

	Turnover of zero-rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover (3=3a+3b+3c)			Refund amount (1x2÷3)
Tax/Cess			Non zero-rated supply of goods and services	Zero-rated supply of goods	Zero-rated supply of services	
1A	1	2	3a	3b	3c	4
Integrated Tax					-	
Central Tax						
State / UT Tax						
Cess						
TOTAL						

■

Refund Type: On account of deemed exports claimed by supplier

[illegible]

Statement-8

[rule 89(2)(ka)]

Refund Type: Refund for unregistered persons

(Amount in Rs.)

[illegible]

Statement 9A

[rule 89(2)(bb)]

Refund Type: Additional integrated tax paid on upward revision in price of goods subsequent to export

(Amount in Rs.)

[illegible][illegible]

Statement 9B

[Rule 89(2)(bc)]

Refund Type: Details of debit/credit notes/supplementary invoice issued for export of goods

(Amount in Rs.)

[illegible]

Statement 10 [rules 89(4) and 89(5)]															
Refund type: Zero rated supplies without payment of tax (accumulated ITC) or ITC accumulated due to inverted tax structure Refund of eligible input tax credit availed on capital goods															
S. No	Supplier's GSTIN	Invoice Details of capital goods						GSTR-2B period	Tax on inward supply of capital goods			ITC reversed for the relevant period			Net ITC of capital goods for the relevant period
Type of Document	No	Date	Value	HSN	IGST	CGST	SGST	IGST	CGST	SGST					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Invoice/CN/DN/Bill of Entry													

Annexure-2

Certificate [rule 89(2)(m)]

This is to certify that in respect of the refund amounting to Rs. <<>> ----- (in words) claimed by M/s----- (Applicant 's Name) GSTIN/ Temporary ID----- for the tax period < ---->, the incidence of tax and interest, has not been passed on to any other person. This certificate is based on the examination of the books of account and other relevant records and returns particulars maintained/ furnished by the applicant.

Signature of the Chartered Accountant/ Cost Accountant:

Name:

UDIN No.:

Firm registration No.:

ICAI enrolment No.

Place:

Date:

Note - This Certificate is not required to be furnished by the applicant, claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54 of the Act.

Annexure-3**Annexure – 3 (rule 89 (2)(n))****Statement of inward supplies to be submitted with application for refund of unutilized ITC**

Sr. No.	Particulars	Total Central Tax	Total State Tax/ Union Territory Tax	Total Integrated Tax	Total Cess
(1)	Total ITC as per Invoices mentioned in Utility				
(2)	Reversal as per Rules 38,42 & 43 of CGST Rules and Section 17(5)				
(3)	Reversals - Others				
	Net Input Tax Credit after Reversals (1)-(2)-(3)				

Sr. No.	Type of Inward Supply	Type of Document	GSTIN of the supplier	Name of the Supplier	Document Details				Category of inward supplies	HSN/ SAC	Total Tax Paid					Whether ITC not available under section 17(5)	Eligible for ITC	Amount of Eligible ITC	GSTR-2B Return Period (mm-yyyy)
					Document No./ Bill of Entry No.	Port Code	Date	Taxable Value			Central Tax	State Tax / Union Territory Tax	Integrated Tax	Cess	Total Tax Paid (12+13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Y/N	Y/N/partially		

Annexure-4**Statement of Scheduled Energy for exported electricity by Generation Plants (Using Fuel except nuclear, gas, domestic linkage coal, mix fuel) for claiming Input Tax Credit**

8. Month in which electricity was exported : (mm/yyyy)
9. Name of Generating Station and Location : (insert name of Generating station, District, State)
10. Name of Company : (insert name of Company)
11. GSTIN of Company : (insert GSTIN of Company)
12. Installed capacity of Generating Station : (insert Installed capacity in MW)
13. Connection point, State and region : (specify “STU/ISTS” – insert name of sub-station), state, region

14. Details of the Scheduled Energy during the month:

Domestic	
Name of Domestic Entity	Scheduled Energy in (MU)
-	-

Subtotal Domestic Sale (A)	
Cross Border	
-	-
Subtotal Export (B)	
Total Scheduled Energy of Generating Station (C=A+B)	(insert sum of subtotal-A and subtotal-B)

Note: As per Complementary Commercial Mechanism under Section 6.1 (d) of CERC (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010; beneficiaries shall pay energy charges for the scheduled dispatch, in accordance with the relevant contracts/ orders of CERC.

INSTRUCTIONS

1. List of all statements/declarations/undertakings/certificates and other supporting documents to be provided along with the refund application may be found in the Annexure appended to these instructions.
2. In cases where the credit has accumulated both on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies, and output supplies being made under a concessional notification due to which the rate of tax on output supplies is less than the rate of tax on inputs, separate refund applications shall be filed, distinctly identifying the accumulation under each category. In such cases, it shall be ensured that the details of outward supplies pertaining to the relevant category are furnished exclusively in the respective statement, namely Statement 1A or Statement 1B. Further, outward supply details do not have to correspond exactly to the inward-supply details in the same row.
3. Item-wise details of supplies are required to be filled in Annexure-3 in case of refund of unutilised input tax credit.
4. Debit entry shall be made in electronic credit or cash ledger at the time of filing the application.
5. Acknowledgement in FORM GST RFD-02 will be issued if the application is found complete in all respects.
6. Claim of refund on export of goods with payment of IGST shall not be processed through this application.
7. Bank account details should be as per registration data. Any change in bank details shall first be amended in registration particulars before quoting in the application.
- 8A. In case of refund claim of accumulated input tax credit on account of inverted duty structure, net input tax credit means input tax credit availed on inputs and input services (in respect of which input tax credit has been availed on or after 1st November 2026).
- 8B. In case of refund claim of accumulated input tax credit on account of zero-rated supplies, net input tax credit means input tax credit availed on inputs and input services.
9. Adjusted total turnover shall have the same meaning as defined in rule 89(4)(E).
10. For the purpose of Statement-1A, refund claim will be based on supplies reported in GSTR-1 as amended by GSTR-1A, if any.
11. BRC or FIRC details will be mandatory where refund is claimed against export of services, while details of shipping bill and EGM will be mandatory to be provided in case of exporting goods.
12. Where the invoice details are amended (including export), refund shall be allowed as per the calculation based on amended value.
13. Details of export made without payment of tax shall be reported in Statement-3.

14. Availability of refund to be claimed in case of supplies made to SEZ unit or SEZ developer without payment of tax shall be worked out in accordance with the formula prescribed in rule 89(4).

15. Turnover of zero-rated supply of goods and services shall have the same meaning as defined in rule 89(4).

Annexure

S. No.	Type of Refund	Statement/Declaration/Undertaking/ Certificates/ Supporting documents
1.	Exports of services-with payment of tax	a. Statement 2 (Statement of Outward supplies): to be based on supplies reported in Table 6A of FORM GSTR-1. b. Declaration E (Declaration of non-prosecution) and Undertaking B.
2.	Exports of goods/ services- without payment of tax (accumulated ITC)	a. <i>Statement 3 (Statement of outward supplies): to be based on supplies reported in Table 6A of FORM GSTR-1.</i> b. <i>Statement 3A (Calculation of refund amount):</i> <ul style="list-style-type: none"> • Column 1 to be based on supplies reported in Table 6A of FORM GSTR 1. • Column 2 to not exceed the value of Net ITC available as reported in Table 4C of FORM GSTR-3B. • Column 3 to be based on supplies reported in Table 3.1 of FORM GSTR-3B. c. <i>Annexure 3 (Statement of inward supplies): to be based on details of invoices on the basis of which input tax credit has been availed during the relevant period for which the refund is being claimed.</i> d. <i>Declaration A (declaration regarding eligibility of input tax credit), Declaration E (Declaration of non-prosecution) and Undertaking A and B.</i> <i>Other Supporting documents: in case of export of goods made through non-EDI ports, copy of Shipping bill.</i>
3.	Refund of ITC unutilized on account of accumulation due to inverted tax structure	a. Statement 1A (Statement of inward and outward supplies): <ul style="list-style-type: none"> a. to be based on details of invoices on the basis of which input tax credit has been availed during the relevant period for which the refund is being claimed. b. to be based on supplies reported in Table 6A of FORM GSTR-1. b. Statement 1 (Calculation of refund amount): Column 3 to be based on supplies reported in Table 3.1 of FORM GSTR-3B. c. Annexure 3 (Statement of inward supplies): to be based on details of invoices on the basis of which input tax credit has been availed during the relevant period for which the refund is being claimed. d. Declaration A (declaration regarding eligibility of input tax credit), Declaration E (Declaration of non-prosecution) and Undertaking B.
4.	On account of supplies made to SEZ units/ SEZ developer (without payment of tax)	b. Statement 5 (Statement of outward supplies): to be based on supplies reported in Table 6B of FORM GSTR-1. c. Statement 5A (Calculation of refund amount): <ul style="list-style-type: none"> • Column 1 to be filled as reported in Table 6B of FORM GSTR 1. • Column 2 to not exceed the value of Net ITC available as reported in Table 4C of FORM GSTR-3B. • Column 3 to be filled as reported in table 3.1 of FORM GSTR-3B.

		<p>d. Annexure 3 (Statement of inward supplies): to be based on details of invoices on the basis of which input tax credit has been availed during the relevant period for which the refund is being claimed.</p> <p>d. Declaration A (declaration regarding eligibility of input tax credit), Declaration B (declaration regarding collection of tax from the Special Economic Zone unit or developer), Declaration E (Declaration of non-prosecution) and Undertaking A.</p> <p>e. Proof of payment (in case of supply of services)</p>
5.	On account of supplies made to SEZ units/ SEZ developer (with payment of tax)	<p>a. Statement 4 (Statement of outward supplies): to be based on supplies reported in Table 6B of FORM GSTR-1.</p> <p>b. Declaration B (declaration regarding collection of tax from the Special Economic Zone unit or developer), Declaration E (Declaration of non-prosecution) and Undertaking B.</p> <p>c. Proof of payment (in case of supply of services)</p>
6.	<p>ITC accumulated due to inverted tax structure where ITC accumulated involves supply made on account of concessional rate notifications</p> <p>[clause (ii) of first proviso to section 54(3)]</p>	<p>a. Statement 1B (Statement of outward supplies):</p> <ol style="list-style-type: none"> to be based on supplies at concessional rate reported in Table 4 of FORM GSTR-1. details of shipping bill/bill of export and EGM in respect of said outward supplies filed by the recipient to be filled. <p>b. Statement 1 (Calculation of refund): Column 3 to be based on supplies reported in Table 3.1 of FORM GSTR-3B.</p> <p>c. Annexure 3 (Statement of inward supplies): to be based on details of invoices on the basis of which input tax credit has been availed during the relevant period for which the refund is being claimed.</p> <p>d. Declaration A (declaration regarding eligibility of input tax credit) and Undertaking B.</p>
7.	Export of electricity without payment of tax (accumulated ITC)	<p>a. Statement 3 (Statement of outward supplies): to be based on supplies reported in Table 6A of FORM GSTR-1.</p> <p>b. Statement 3A (Calculation of refund amount):</p> <ul style="list-style-type: none"> Column 1 to be based on supplies reported in Table 6A of FORM GSTR 1. Column 2 to not exceed the value of Net ITC available as reported in Table 4C of FORM GSTR-3B. Column 3 to be based on supplies reported in Table 3.1 of FORM GSTR-3B. <p>c. Statement 3B (Statement of invoices for export of electricity)</p> <p>d. Annexure 3 (Statement of inward supplies): to be based on details of invoices on the basis of which input tax credit has been availed during the relevant period for which the refund is being claimed.</p> <p>e. Undertaking A and Undertaking B</p> <p>f. Statement of scheduled energy for electricity exported by the Generation Plants (in format attached as Annexure 4).</p>
8.	Refund to supplier of tax paid on deemed export supplies	<p>a. Statement 5B (Statement of inward supplies): to be based on details of invoices on the basis of which input tax credit has been availed during the relevant period for which the refund is being claimed.</p> <p>b. Declaration C (Declaration in respect of exports deemed by supplier) and Undertaking B.</p> <p>c. Declaration D (declaration regarding passing of incidence of tax to another person), if amount claimed does not exceed two lakh rupees Or CA certificate details if amount claimed exceeds two lakh rupees (Annexure 2).</p>

		d. Documents required under notification No. 49/2017-Central Tax dated 18.10.2017.
9.	Refund to recipient of tax paid on deemed export supplies	a. Statement 5B (Statement of inward supplies): to be based on details of invoices on the basis of which input tax credit has been availed during the relevant period for which the refund is being claimed. b. Declaration C (Declaration in respect of deemed exports by recipient) and Undertaking B. c. Declaration D (declaration regarding passing of incidence of tax to another person), if amount claimed does not exceed two lakh rupees Or CA certificate details if amount claimed exceeds two lakh rupees (Annexure 2). d. Documents required under circular No. 14/14/2017-GST dated 06.11.2017.
10.	Refund of tax paid on intra-state supply which is subsequently held to be an inter-state supply and vice versa	a. Statement 6 (Statement of details of transactions considered as intra-State/inter-State earlier and subsequently) b. Undertaking B
11.	Refund of excess payment of tax	a. Statement 7 (Statement of invoices where excess payment of tax is made) b. Undertaking B c. Declaration D (declaration regarding passing of incidence of tax to another person), if amount claimed does not exceed two lakh rupees Or CA certificate details if amount claimed exceeds two lakh rupees(Annexure 2) c. Documents required under circular No. 14/14/2017-GST dated 06.11.2017
12.	Refund on account of assessment/assessment/appeal/ any other order	a. Undertaking B b. Declaration D (declaration regarding passing of incidence of tax to another person), if amount claimed does not exceed two lakh rupees Or CA certificate details if amount claimed exceeds two lakh rupees(Annexure 2) c. Reference number of the order d. copy of the Assessment/Provisional Assessment/Appeal/Any Other Order e. Reference number/proof of payment of pre-deposit made earlier for which refund is being claimed
13.	Refund on account of any other ground or reason	a. Undertaking B b. Declaration D (declaration regarding passing of incidence of tax to another person), if amount claimed does not exceed two lakh rupees Or CA certificate details if amount claimed exceeds two lakh rupees (Annexure 2) c. Documents in support of the claim
14.	Refund to unregistered person	a. Statement 8 (Statement of invoices in respect of which refund is being claimed) b. Undertaking B c. Declaration D (declaration regarding passing of incidence of tax to another person), if amount claimed does not exceed two lakh rupees Or CA certificate details if amount claimed exceeds two lakh rupees(Annexure 2) c. Certificate issued by supplier as per rule 89(2)(kb).
15.	Refund of additional Integrated Tax (IGST) paid on account of upward revision in price of the goods subsequent to exports	a. Statement 9A (Statement of export invoices) b. Statement 9B (Details of debit/credit notes/supplementary invoice issued for export of goods) c. Copy of shipping bill or bill of exports; d. Copy of original invoices;

		<p>e. Copy of contract/ other document(s), as applicable, indicating requirement for the revision in price of such goods subsequent to exports;</p> <p>f. Copy of the original invoices as well as relevant debit note(s)/ supplementary invoices;</p> <p>g. Proof of payment of additional IGST and applicable interest and details of the relevant FORM GSTR-1/ FORM GSTR-3B furnished by the applicant in which the said debit note(s)/ supplementary invoice(s) were declared and tax and interest thereon had been paid by the applicant;</p> <p>h. Proof of receipt of remittance of additional foreign exchange (FIRC) issued by Authorised Dealer-I banks;</p> <p>i. A certificate of a practising chartered accountant or a cost accountant certifying therein that the said additional foreign exchange remittance is on account of such upward revision in price of the goods subsequent to export.</p>
--	--	---

59. In the principal rules, in **FORM GST RFD-07**, after the word, letters and figure “**FORM GST RFD-07**”, for the brackets, words and figures “[See Rules 92(2) and 96(6)]”, the brackets, words and figures “[See rule 92(2)]” shall be substituted.
60. In the principal rules, with effect from the 1st day of April 2027, for the **FORM GST DRC-01**, the following Form shall be substituted, namely: -

“FORM GST DRC – 01
[See rule 100 (2) & 142(1)(a)]

Reference No.

Date:

To,

..GSTIN/Tem. ID

.....Name

.....Address

Proceeding under which SCN is issued <Select from drop down as per Annexure A> _____ Reference No.

Tax Period(s) _____ FY Act

Whether DRC-01A issued_(Y/N)_

(if Y, DRC-01A Reference No.) _____

Section / sub-section under which SCN is being issued _____

SCN Reference No _____

Date:

Summary of Show Cause Notice

(a) Brief facts of the case :

(b) Grounds <Select from drop down as per Annexure B> __<<text>> _____:

(c) Tax and other dues:

(Amount in Rs.)

Sr No.	Tax rate	Turnover	Tax period		Act	POS(Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
			From	To								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total												

.....

Signature

Name.....

Designation.....

Jurisdiction.....

Address.....

Note –

1. Only applicable fields may be filled up.
2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.
3. Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.

Annexure A [Proceeding under which DRC-01 is issued]

S. No.	List of proceeding under which SCN is issued	Reference No. (if any intimation/notice/report/order issued in earlier proceeding in relation to this SCN)
1.	Mismatch of returns under rule 88D	FORM GST DRC-01C
2.	Assessment	FORM GST ASMT-18
3.	Assessment of unregistered persons	FORM GST ASMT-14
4.	Scrutiny	FORM GST ASMT-10
5.	Audit	FORM GST ADT -02/ FORM GST ADT-04
6.	Erroneous refund	FORM GST RFD-06
7.	Investigation	FORM GST INS -02/ FORM GST INS -03
8.	Detention, seizure and release of goods and conveyance in transit	FORM GST MOV-07

Annexure B [Ground for Summary of Show Cause Notice of the Main Form]

S. No.	Grounds
1.	Misclassification of any goods or services or both
2.	Wrong availment of benefit of concessional notification
3.	Tax liability on reverse charge basis
4.	Related to composition levy
5.	Value of supply of good or services or both
6.	Nature of supply (Intra-state/Inter-state)
7.	Time of supply
8.	Non-payment/ short payment of standalone interest
9.	Non-payment/ short payment of late fee
10.	Supply not declared (clandestine removal)
11.	Input Tax credit related
12.	Category of Refund erroneously claimed
13.	Tax deduction at source, not deducted or deposited
14.	Tax collection at source not deducted or deposited
15.	Summary assessment in certain special cases
16.	Tax collected but not paid to the Government
17.	Mismatch of return
18.	Penalty
19.	E-way bill related issues
20.	Transitional provisions
21.	Restriction in the use of amount in electronic credit ledger
22.	Wrong claim of zero-rating benefit”.

61. In the principal rules, with effect from the 1st day of April 2027, in **FORM GST DRC-01A**, -
- (i) in Part-A, after the words “Address.....” and before the words, figures and letters “Sub.: Case Proceeding Reference No..... Intimation of liability under section 73(5)/section 74(5)/74A(8)/74A(9)”, a paragraph with following words and letters shall be inserted, namely: -
- “Proceeding under which liability is issued <Select from drop down as per Annexure A> _____ Reference No.

Grounds <Select from drop down as per Annexure B>: _____”;

- (ii) after the box with words “Upload Attachment” in Part C, in new paragraph, the following words, figures, letters, tables and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

“Annexure A [Proceeding under which DRC-01A is issued]

S.No.	List of proceeding under which SCN is issued	Reference No. (if any intimation/notice/report/order issued in earlier proceeding in relation to this SCN)
1.	Mismatch of returns under rule 88D	FORM GST DRC-01C
2.	Scrutiny	FORM GST ASMT-10
3.	Audit	FORM GST ADT -02/ FORM GST ADT-04
4.	Erroneous refund	FORM GST RFD-06
5.	Investigation	FORM GST INS -02/ FORM GST INS -03

Annexure B [Ground for issuance of DRC-01A of the main form]

S. No.	Grounds
1.	Misclassification of any goods or services or both
2.	Wrong availment of benefit of concessional notification
3.	Tax liability on reverse charge basis
4.	Related to composition levy
5.	Value of supply of good or services or both
6.	Nature of supply (Intra-state/Inter-state)
7.	Time of supply
8.	Non-payment/ short payment of standalone interest
9.	Non-payment/ short payment of late fee
10.	Supply not declared (clandestine removal)
11.	Input Tax credit related
12.	Category of Refund erroneously claimed
13.	Tax deduction at source, not deducted or deposited
14.	Tax collection at source not deducted or deposited
15.	Summary assessment in certain special cases
16.	Tax collected but not paid to the Government
17.	Mismatch of return
18.	Penalty
19.	E-way bill related issues
20.	Transitional provisions
21.	Restriction in the use of amount in electronic credit ledger
22.	Wrong claim of zero-rating benefit”;

62. In the principal rules, with effect from the 1st day of April 2027, in **FORM GST DRC-07**, serial numbers 1 to 5 shall be re-numbered as serial numbers 2 to 6 and before serial number 2 as so re-numbered, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:

“1. Details of the SCN:

a. SCN No.....

b. SCN Date....”.

63. In the principal rules, in **FORM GST DRC-22**, -
- (i) , for the brackets, words and figures “[See rule 159(1)]”, the brackets, words, figures and letter “[See rules 159(1), 159(5)]” shall be substituted;
- (ii) before the words “Reference No.”, a new paragraph with the word and letter “Part A” shall be inserted;
- (iii) after the words and brackets “Copy to (person)”, a new paragraph with the following words, letters, figures and brackets shall be inserted, namely: -

“Part B

Date:.....

Reference No.:

ARN No. of application for filing objection in **FORM GST DRC-22A**:**To,**

GSTIN (in case of registered person) :

PAN and/ or Aadhaar No./Temporary ID (in case of others) :

Address

Order for rejection of application submitted for restoration of provisionally attached property/bank account

This has reference to your application under **FORM GST DRC-22A** with reference no.....dated.....furnishing details/information and documents in support of your objection request against provisional attachment of property under section 83.

<< text box>>*

<...Documents to be uploaded...>

2. The objection furnished by you vide application referred above has not been found to be in order for the following reasons:

<<text box.....>>*

<...Documents to be uploaded...>

Therefore, the application filed by you for restoration of provisionally attached property/bank account is hereby rejected.

[Name of the Tax officer]

[Designation].....

[Office Name]

[Contact Information]”.

64. In the principal rules, after the **FORM GST DRC-25** the following shall be inserted, with effect from the 01st day of April, 2027, namely: —

“FORM GST DRC – 26*[See rules 86A(1) and 86A(2)]*

Date –

Reference No. –

To

GSTIN –

Name –

Address –

Order for restricting debit from electronic credit ledger under sub-rule (1) of rule 86A

Whereas it appears from the information/proceedings available with the undersigned that the input tax credit amounting to rupees..... in your electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible for the following reasons: –

<<text box.....>>*

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of rule 86A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the debit of input tax credit amounting to rupees....., equivalent to such credit, from the electronic credit ledger is hereby restricted.

This order shall remain in force till the earlier of the following: –

- the expiry of a period of one year from the date of issuance of this order; or
- the date on which the undersigned, upon being satisfied that the conditions for disallowing debit of the electronic credit ledger no longer exist, allows such debit by a subsequent order.

You may file your objection, if any, against this order in **FORM GST DRC-27**, as prescribed under rule 86A.

Signature

[Name of the Proper Officer]

[Designation]

[Jurisdiction]

Place:

Date: ”.

65. In the principal rules, after the **FORM GST DRC-26**, the following Form shall be inserted with effect from the 01st day of April, 2027, namely: —

“FORM GST DRC – 27*[See rule 86A(3)]*

Reference No.

Date.....

ARN of the order in **FORM GST DRC-26**

To,

The Proper Officer,

.....(Jurisdiction)

Application for filing objection against order restricting debit from electronic credit ledger

Whereas, an order in **FORM GST DRC 26** has been issued for restricting debit of sum of rupees from my/our electronic credit ledger under sub-rule (1) of rule 86A, vide ARN No.....

2. In accordance with the provisions of Rule 86A of the CGST Rules, 2017, I/We hereby submit my/our objection on the basis of the following facts and circumstances:

<<text box.....>>*

<<...Documents, if any, to be uploaded...>>

Verification

I/We hereby solemnly affirm and declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Name –
GSTIN –
Address –

Place –

Date –

Signature of Authorised Signatory ”.

66. In the principal rules, after the **FORM GST DRC-27**, the following shall be inserted with effect from the 01st day of April, 2027, namely: —

“FORM GST DRC – 28*[See rule 86A(4)]*

Reference No. –

Date.....

To

GSTIN –

Name –

Address –

ARN of objection filed in **FORM GST DRC-27** –ARN of in **FORM GST DRC 26** -**Order in respect of application filed against restriction of debit from electronic credit ledger**

This has reference to your application under **FORM GST DRC-27** with reference no..... dated furnishing details/information and documents in support of your application filed against order for restriction of debit from electronic credit ledger under **FORM GST DRC-26** with reference no..... dated

2. After considering the objection filed by you and granting you a reasonable opportunity of being heard, it is ordered as under: –

Part A

The application for objection furnished by you under **FORM GST DRC-27** is hereby allowed and debit of the electronic credit ledger is hereby restored with effect from

Or;

Part B

The application for objection furnished by you under **FORM GST DRC-27** has not been found to be in order for the following reasons:

<<text box.....>>*

Therefore, the application filed by you under **FORM GST DRC-27** is hereby rejected and the restriction imposed vide order in **FORM GST DRC-26** with reference no..... dated shall continue:

–

Signature
[Name]
[Designation]

Copy to- ”.

67. In the principal rules, in **FORM GST INV-01** with effect from 1st day of January, 2027, in the, -
- (i) in the heading, for the words, brackets and figure “**Schema (Version 1.1)**”, the words, brackets and figure “**Schema (Version 1.2)**”;
 - (ii) in the row with serial number 1.0, in the entry under column with description “Sample Value of the Field”, for the figure “1.1”, the figure “1.2” shall be substituted;
 - (iii) in the row with serial number 1.2, -
 - (A) for the entry under the column with description “Sample Value of the Field”, the following entry shall be substituted, namely, -

“B2B / B2C / SEZWP / SEZWOP / EXPWP / EXPWOP / DEXP / SEZWPA / SEZWPNA / RCMDOM / RCMIMP;
 - (B) for the entry under the column with description “Explanatory Notes”, the following entry shall be substituted, namely, -

“This will be the code to identify type of supply.
 B2B: *Business to Business*
 B2C: *Business to Consumer*
 SEZWP: *To SEZ with Payment*
 SEZWOP: *To SEZ without Payment*
 EXPWP: *Export with Payment*
 EXPWOP: *Export without Payment*
 DEXP: *Deemed Export*
 SEZWPA: *To SEZ with Payment for Authorised Operations*
 SEZWPNA: *To SEZ with Payment for Non-Authorised Operations*
 RCMDOM: *Domestic supply from unregistered person under RCM*
 RCMIMP: *Import of services*”.

[F. No. CBIC-20001/1/2026-GST]

KRITI PANDEY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published, vide number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended, vide notification No. 18/2025–Central Tax, dated the 31st October, 2025, vide number G.S.R. 805(E), dated the 31st October, 2025.